

11वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

वार्षिक आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022, पूर्वाह्न 11.00
बजे चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स
जम्मू-180012, जम्मू और कश्मीर

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

सीआईएन :यू40105जेके2011पीटीसी003321

निदेशक मंडल

श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष (22.11.2019 से)
श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस	निदेशक (09.06.2022 से)
श्री नितीशवर कुमार, आईएएस	निदेशक (24.03.2022 से)
श्री वाई के चौबे	निदेशक (01.10.2020 से)
श्री आर पी गोयल	निदेशक (01.10.2020 से)
श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक (27.06.2022 से)
श्री ए के चौधरी	प्रबंध निदेशक *
श्री रोहित कंसल, आईएएस	निदेशक **
श्री अटल डुल्लू, आईएएस	निदेशक **
श्री रजत गुप्ता	प्रबंध निदेशक ****

* श्री ए.के. चौधरी 30.09.2021 को एनएचपीसी की सेवा से सेवानिवृत्ति पर निदेशक नहीं रहे।

** श्री रोहित कंसल 24.03.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण कंसल निदेशक नहीं रहे।

** श्री अटल डुल्लू 04.05.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

**** श्री रजत गुप्ता 09.06.2022 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे

कंपनी सचिव

श्री सुधीर आनंद

विषय-वस्तु :

1. एजीएम सूचना।

2. बोर्ड का प्रतिवेदन

- अनुबंध I - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

- अनुबंध II - फॉर्म सं. एओसी-2।

- अनुबंध III - प्रबंधन के उत्तरों के साथ सीएजी की टिप्पणियां।

- अनुबंध IV - फॉर्म एमजीटी -9।

- अनुबंध V - सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट- 2021-22।

3. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

- तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा।

4. प्रतिनिधि फॉर्म (एमजीटी - 11)।

पंजीकृत कार्यालय और निवेशक संबंध कक्ष

चिनाब जल शक्ति भवन सरस्वती धाम रेलहेड कॉम्प्लेक्स के सामने, जम्मू-180012-जम्मू और कश्मीर।


सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जेएसवीपी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट।

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स रेशी एंड एसोसिएट्स

अध्यक्ष का भाषण



"समावेशी और सतत विकास लाने के लिए परानुभूति और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा संगठन बनना"

प्रिय शेयरधारको

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीवीपीपीपीएल की 11वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सीवीपीपीपीएल बोर्ड की ओर से, मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा।

मैं मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सीवीपीपीपीएल की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख करूंगा।

- **वित्तीय कार्यनिष्पादन का परिचय**

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, जो अभी भी निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने केवल 'अन्य आय' अर्जित की है अर्थात् बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर ब्याज आय।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन और अन्य आय से राजस्व 31.39 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में यह 17.63 करोड़ रुपये था।

- **एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की 2% इक्विटी के अधिग्रहण के बारे में निर्णय**

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने 'प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 5/1/2021 दिनांक 01.01.2021 द्वारा एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (आई) लिमिटेड के 2% इक्विटी शेयरों को लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसके बारे में जीओजेके, पीडीडी द्वारा सचिव एमओपी, भारत सरकार को 11.01.2021 को अवगत कराया गया। एनएचपीसी लिमिटेड ने 12.02.2021 को एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड के 2% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अपनी सहमति से एमओपी अवगत कराया था और उसके बाद, एमओपी, भारत सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की 2% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संप्रेषित किया। सीवीपीपीपीएल के बोर्ड ने 24.06.2021 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड के 2% शेयरों को एनएचपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की। तथापि, इस संबंध में सीवीपीपीपीएल के एमओए और एओए में आवश्यक परिवर्तन एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच "अनुपूरक प्रवर्तक" करार पर हस्ताक्षर करने तथा संबंधित प्रवर्तकों द्वारा एमओए और एओए में परिणामी परिवर्तनों के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे।

● वर्ष की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, सीवीपीपीपीएल ने अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. पकल दुल जलविद्युत परियोजना के मरुसुदर नदी के विपथन को 01.11.2021 को हासिल कर लिया गया है और इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय विद्युत और एनआरई मंत्री ने भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, एनएचपीसी और सीवीपीपीपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इससे कंक्रीट फेस रॉकफिल बांध के निर्माण कार्य शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
2. भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी।
3. मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने 27 अप्रैल 2022 को किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 4526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। ।
4. क्वार जलविद्युत परियोजना के सिविल कार्य मैसर्स 11.05.2022 को पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को प्रदान किए गए हैं। ।
5. किरू जलविद्युत परियोजना के मामले में चिनाब नदी का विपथन 31.12.2021 को पूरा कर लिया गया है।
6. पकल दुल जलविद्युत परियोजना में कंक्रीट फेसड रॉकफिल बांध के भरने का कार्य दिनांक 05.03.2022 से शुरू हो गया है।
7. किरू जलविद्युत परियोजना के पावर हाउस कैवर्न का क्राउन चौड़ीकरण कार्य मार्च 2022 के महीने में पूरा कर लिया गया है और पावर हाउस कैवर्न की बेंचिंग 15.03.2022 को शुरू हो गई है।
8. पकल दुल जलविद्युत परियोजना ने 09.02.2022 को प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर्स के निर्माण का सफल प्रारंभ करते हुए एक उपलब्धि हासिल की है।

• **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

सीवीपीपीएल अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को प्रोत्साहित करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजनार्थ निरंतर प्रयास करता है। सीएसआर क्रियाकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जैसा कि बोर्ड की रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, परिवर्तन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीपीएल के प्रवर्तकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके बिना कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति अपना आभार व्यक्त स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की सभी एजेंसियों, उनके अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की हृदय से सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहादुरी के साथ कोविड महामारी का सामना किया और आवश्यक सेवाओं को चालू रखा।

मैं सीवीपीपीपीएल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए भी हृदय से सराहना करता हूँ।
धन्यवाद।

स्थान : जम्मू

दिनांक: 07.09.2022

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

11^{वीं} वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 11^{वीं} वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** सीवीपीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, में निम्नलिखित कार्यों का संव्यवहार करने के लिए **सीवीपीपीपीएल कार्यालय से होस्ट की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से** आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य:

मद सं. 1: वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखाओं का अंगीकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना, जिसमें 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखाओं का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के निबंधनों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां भी शामिल है।

मद सं. 2: लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का नियतन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों, सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के उपबंधों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें उसके तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं) के अन्य सभी लागू उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल को वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और अधिकृत किया जाता है।

**बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**

**स्थान: जम्मू
दिनांक: 07.09.2022**

**हस्ता./-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव**

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,

सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स,

जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर

टिप्पणियां:

1. उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनिधि का फॉर्म संलग्न है।
2. प्रतिनिधि के लिखत को पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-**180012**, जम्मू-कश्मीर में बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से कम-से-कम **48** घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **170** के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) और उनकी शेरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **189** के अंतर्गत अनुरक्षित ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं, जिनमें निदेशकों की रुचि है, का रजिस्टर कंपनी की एजीएम के समय निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।
4. सीवीपीपीएल का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।
5. कंपनी का कोई भी निदेशक व्यावसायिक/नियोजन क्षमता को छोड़कर किसी भी तरह से एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।
6. वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - क) बैठक जूम एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
 - ख) सदस्य जूम ऐप या डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
 - ग) आपको पंजीकृत ईमेल आईडी पर लिंक प्राप्त होगा अर्थात उस ईमेल पर जिसमें आपको बैठक में शामिल होने के लिए एजीएम की सूचना प्राप्त हुई है।
 - घ) एंड्रॉइड/आईफोन कनेक्शन के मामले में, प्रतिभागियों को मेल में दिए गए उपयुक्त एप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - ड.) इसके अलावा, सदस्यों को मोबाइल ऐप पर बैठक को व्यवस्थित करते समय कैमरे की अनुमति देने और इंटरनेट ऑडियो सेटिंग्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- च) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से बैठक में जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए किसी समुचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- छ) बैठक में शामिल होने की सुविधा सुबह 10.30 बजे से खुली रखी जाएगी और दोपहर 1.00 बजे बंद कर दी जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति की गणना के लिए की जाएगी।
- ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अंतर्गत किसी ऐसे सदस्य की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है। चूंकि, वीसी के माध्यम से आम बैठक आयोजित की जा रही है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसरण में, वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने और मतदान के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।

- झ) कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रकोप को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग एक पूर्व-आवश्यकता है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसार एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सदस्यों को वीसी के माध्यम से ही आगामी एजीएम में भाग लेना होगा और उपस्थित रहना होगा।
- ञ) मतदान पहली बार में हाथ दिखाकर किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न लें। यदि अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय लिया जाता है या मांग की जाती है, तो मतदान तुरंत आयोजित किया जाएगा और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक के दौरान मतदान संचालित किए जाने के समय मद संख्यावार अपनी सहमति या असहमति cscvpp@gmail.com पर उस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजें, जिस पर उन्हें एजीएम के दौरान एजीएम की सूचना मिली है।
- ट) बैठक के दौरान निरीक्षण के लिए खोले गए सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- ठ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में अपनी पूछताछ ईमेल आईडी cscvpp@gmail.com पर बैठक से पूर्व करें या +919419181543 पर कॉल करें।

**बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**

**स्थान: जम्मू
दिनांक: 07.09.2022**

**हस्ता/-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव**

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर
सेवा में,

1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयरधारक।
2. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशक।
3. कंपनी के सांविधिक और सचिवीय लेखापरीक्षक।

भवदीय

बोर्ड के आदेश द्वारा
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए

स्थान: जम्मू
दिनांक: 07.09.2022

हस्ता/-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स,
जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

सीवीपीपीएल के निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन पर 11वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, जहां एक ओर पकल दुल और किरू जलविद्युत परियोजनाओं के सभी प्रमुख कार्य पैकेज पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, वहीं सभी उपलब्ध मोर्चों पर परियोजना के कार्य पूरे जोरों पर चल रहे हैं।

कार जलविद्युत परियोजना के मामले में, सिविल कार्य पैकेज की निविदा तथा एचएम पैकेज और ईएंडएम पैकेज की बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.02.2021 के पत्र के माध्यम से विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों के लिए पीआईबी ज्ञापन परिचालित किया है। पहली पीआईबी बैठक 16.11.2021 को आयोजित की गई। जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 28.12.2021 के आदेश के माध्यम से सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए 12% निःशुल्क बिजली की छूट को संशोधित कर परियोजना के सीओडी से 5वें वर्ष तक कटौती की रीति से निःशुल्क बिजली की छूट दी है। निःशुल्क बिजली की छूट पहले वर्ष में 10% होगी और परियोजना के सीओडी के बाद 5वें वर्ष तक हर साल 2% घट जाएगी। 6वें वर्ष से निःशुल्क बिजली का भाग 12% पर बहाल हो जाएगा। निवेश की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के निवेश अनुमोदन पर विचार करने के लिए दूसरी पीआईबी बैठक 27.01.2022 को आयोजित की गई है। बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2022 को जारी किया गया जिसमें परियोजना के निवेश के अनुमोदन की सिफारिश की जाती है।

चूंकि आपकी कंपनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इसकी कोई विक्रय आय नहीं है, और राजस्व मुख्य रूप से इक्विटी के रूप में प्रवर्तकों से उपलब्ध निधि पर अर्जित ब्याज से प्राप्त होता है।

1. वित्तीय परिणाम:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूप में)

विवरण	2021-22	2020-21
प्रचालन से राजस्व और अन्य आय	31.39	17.63
कर पूर्व लाभ	12.47	1.25
कर व्यय	7.90	4.43
नियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ	4.57	(3.18)
नियामक आस्थगित लेखा शेष (कर का निवल)	0.10	0.01
वर्ष के लिए लाभ	4.67	(3.17)
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00
कुल व्यापक आय	4.67	(3.17)
घटाएं विनियोजन	0.00	0.00
आरक्षित और अधिशेष को अग्रेनीत प्रतिधारित आय का अंतिम शेष	4.67	(3.17)

2. कार्य की स्थिति:

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है जो अभी भी निर्माणाधीन हैं और प्रचालनों से राजस्व शून्य है। कंपनी ने केवल अन्य आय अर्जित की है अर्थात बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधि पर ब्याज के रूप में आय।

3. परियोजनाओं की स्थिति:

I. पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय:

पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी मरुसुदर पर निर्माणाधीन है। परियोजना को एक भंडारण योजना के रूप में नियोजित किया गया है और इसमें सिंधु जल संधि के तहत 0.1 एमएएफ के अनुमेय भंडारण का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में 167 मीटर ऊंचे कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध, 7.20 मीटर व्यास और 9.6 किमी लंबाई वाली 2 हेड रेस टनलों और 250 मेगावाट की 4 इकाइयों के साथ एक भूमिगत पावर हाउस के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसका वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 3230 एमयू होगा।

परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), परियोजना लेआउट



परियोजना की स्थिति:

i. सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं अर्थात् सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, मत्स्य विभाग और हाइड्रोलिक डिवाजन (पीएचई और सिंचाई) जम्मू-कश्मीर सरकार से मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पकल दुल परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि।

ii. सीसीईए अनुमोदन

भारत सरकार से 2500 करोड़ रूपए के अधीनस्थ ऋण तथा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा डब्ल्यूसीटी/प्रवेश कर से छूट और परियोजना के पूरा होने की तारीख से पहले दस वर्षों के लिए 12% निःशुल्क बिजली और पानी के उपयोग शुल्क की छूट को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 को मूल्य स्तर पर 8112.12 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत पर 28.10.2014 को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिसूचना एसओ 281 दिनांक 17.08.2021 दारा परियोजना के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए योजना को अधिसूचित किया है। कंपनी द्वारा भुगतान किए गए डब्ल्यूसीटी/जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने परियोजना में जेकेएसपीडीसी की ओर से सीवीपीपीपीएल को अनुदान के रूप में 1192 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। पूर्ण इक्विटी राशि पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है और सीवीपीपीपीएल द्वारा 31 मार्च 2022 तक प्राप्त की जा चुकी है।

iii. भूमि अधिग्रहण

पावर हाउस क्षेत्र की भूमि और जलाशय क्षेत्र की भूमि के अधिग्रहण के लिए अंतिम निर्णय पहले ही दिया जा चुका है और मुआवजे के वितरण के लिए 115.84 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। अब तक 91.57 करोड़ रूपए (लगभग) का वितरण किया जा चुका है। निर्माण क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए आवश्यक वनभूमि भी परियोजना के कब्जे में है।

iv. पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 22.02.2017 के आदेश द्वारा परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दे दी है। मुआवजे में वृद्धि को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2019 के आदेश के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

v. आर एंड आर लाभों का संवितरण

सीवीपीपीपीएल द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को संवितरण के लिए संबंधित राज्य राजस्व प्राधिकरण के पास 64.09 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई थी और आज की तारीख तक कुल 60.50 करोड़ रूपए का वितरण किया जा चुका है।

परियोजना की आरएंडआर योजना के अंतर्गत पीएएफ को आगे संवितरण और अन्य घटकों के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त (आरएंडआर) अर्थात् डीसी किशतवाड़ के साथ मामले को आगे उठाया जा रहा है।

vi. प्रमुख कार्य प्रदान किया जाना

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 19 मई 2018 को परियोजना की आधारशिला रखी है। पावर हाउस पैकेज, बांध पैकेज, ईएंडएम पैकेज, एचएम पैकेज और एचआरटी-टीबीएम पैकेज के लिए एलओए क्रमशः 21.02.2018, 21.06.2018, 02.01.2019, 26.08.2019 और 03.07.2020 को जारी किया गया है।

बांध स्थल पर नदी का विपथन 01.11.2021 को किया गया। पावर हाउस और बांध स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ईएंडएम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग प्रगति पर है जिसमें ड्राइंग, लेआउट योजना की प्रस्तुति/जांच और उपकरण निर्माण/आपूर्ति/निरीक्षण शामिल है। इसके अलावा, सभी सभी इकाइयों के लिए उपकरण जैसे, ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर और अन्य संबंधित सहायक सामग्रियां, जीएसयू ट्रांसफार्मर कैवर्न में तेल और जल निकासी प्रणाली के लिए एम्बेडेड पाइप, पीएच ईओटी क्रैन-1 की सभी सामग्री और सभी चार (04) यूनिटों स्पेयर के स्टेटर बार और स्पेयर पार्ट्स परियोजना स्थल पर प्राप्त हो गए हैं।

एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग/विनिर्माण प्रगति पर है। इंटेक ट्रेश रैक पैनल के पहले चरण के एम्बेडेड भागों की आपूर्ति की गई है।

टीबीएम एडिट पोर्टल का निर्माण, प्लेटफॉर्म का विकास और संबंधित आधारभूत संरचना कार्य प्रगति पर हैं। टीबीएम की विस्तृत इंजीनियरिंग पूरी हो गई है। जर्मनी में 7-15 नवंबर, 2021 के बीच टीबीएम-1 की फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और टीबीएम-2 के लिए इसे 17-21 जनवरी 2022 के बीच पूरा किया गया।

टीबीएम-1 को 14.02.2022 को प्रेषित किया गया और यह 15.03.2022 को मुंबई पोर्ट पहुंचा। खेप को साइट तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है।


vii. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रगति

पावर हाउस साइट, बांध साइट पर निर्माण कार्य, टीबीएम-एचआरटी पैकेज, ईएंडएम कार्य और एचएम कार्य प्रगति पर हैं।

पावर हाउस कॉम्प्लेक्स के कार्य की स्थिति:

पावर हाउस कॉम्प्लेक्स का योजनाबद्ध 3डी लेआउट

पीडीएचईपी- सामान्य लेआउट



पावर हाउस कॉम्प्लेक्स में कार्य की घटकवार स्थिति:

क्रमांक	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% अनुपालन	टिप्पणियां
31.03.2022 तक विद्युत गृह कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति							
1.	विद्युत गृह निर्माण						
1.1	यूजी उत्खनन पावर हाउस कैवर्न	घन मीटर	145693.4	145693.4	0.00	100.00	1. यूनिट-1 और यूनिट-2 में ड्राफ्ट ट्यूब के लिए गड्ढे की खुदाई का काम पूरा हो गया है।
1.2	4 गड्ढों की खुदाई	घन मीटर	5600.0	3360.0	2240.0	60.00	2. ईएल 1238 मीटर तक ड्राफ्ट ट्यूब पिट-3 की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। 3. ड्राफ्ट ट्यूब 1 और 2 से टीआरटी तक के ट्रांजिशन हिस्से की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। 4. यूनिट 1-और यूनिट 2-को क्रमशः 08.03.2022 और 20.03.2022 अर्थमैट बिछाने और लगाने के लिए ईएंडएम ठेकेदार को सौंप दी गई है। 5. 09.03.2022 को ईएल 1245 मीटर पर कंट्रोल ब्लॉक में राफ्ट कंक्र्रीटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 6. ईएल 1240.5 मीटर पर नियंत्रण खंड में राफ्ट सुदृढीकरण कार्य प्रगति पर है।
2	एमआईवी कैवर्न						
	यूजी उत्खनन एमआईवी कैवर्न	घन मीटर	19024.8	18167	857.89	95.5	1. सर्वोमोटर के लिए ईएल.1245.5 से 1241.5 मीटर तक गड्ढे की खुदाई का शेष कार्य एमआईवी से

पावर हाउस तक सभी चार निचले क्षैतिज दबाव शाफ्ट के पूरा होने के बाद किया जाएगा।

2. एमआईवी के सर्विस बे राफ्ट की कंक्रीटिंग का कार्य 29.06.2021 को पूरा कर लिया गया है।
3. सर्विस बे पर ईओटी क्रेन बीम 24.02.2022 को पूरा कर लिया गया है। एलएचपीएस-1बी और 2ए (पेनस्टॉक नंबर 2 और 3) एमआईवी से पीएच तक स्टील लाइनर इरेक्शन के लिए एचएम ठेकेदार को सौंप दिया गया है।
4. एमआईवी से पीएच तक पैदल यात्री गैलरी की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

3 ट्रांसफार्मर हॉल

3.1	यूजी उखनन घन ट्रांसफार्मर केवर्न	मीटर	28175.0	27801.0	374.00	99	0	1. ग्रिड तक 17 अर्थमैट बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और सुदृढीकरण के लिए सिविल ठेकेदार को सौंप दिया गया है। ग्रिड 14 से 17 तक राफ्ट सुदृढीकरण प्रगति पर है। 2. बस डक्ट नं. 1 और 2 की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।
3.2	बस डक्ट - 1,2,3 और 4 की खुदाई ईएल 1260.70 मीटर	मीटर	48.50	48.5	0.00	100.00		24.02.2021 को पूरा हुआ।

4 सर्ज शाफ्ट

4.1	अपर सर्ज गैलरी-1	मीटर	257	28.00	229.00	1	1	
4.2	अपर सर्ज गैलरी 2- का एडिट	मीटर	94.3	28.00	66.30		30	

5 वाल्व हाउस

5.1	वाल्व हाउस ईएल.1536.62 वर्ग मीटर तक एक्सेस एडिट का निर्माण	मीटर	585	585.00	0.00	100.00		30.08.2021 को पूरा हुआ।
5.2	वाल्व हाउस (सेंट्रल हैडिंग्स) की खुदाई	मीटर	102	96.50	5.00		95	

6 प्रेशर शाफ्ट

6.1	प्रेशर शाफ्ट- वर्टिकल पीएस4, पायलट छिद्र निष्पादन	मीटर	291	150.00	141		52	
-----	---	------	-----	--------	-----	--	----	--

7 केबल/वेंटिलेशन टनल

	वीटी/केबल टनल की खुदाई।	मीटर	198.296	46.50	151.79	23.45		6	सीवीटी पोर्टल के आवश्यक स्तर पर पहुंचने के बाद स्विचयार्ड की तरफ से शेष उखनन किया जाएगा।
--	-------------------------	------	---------	-------	--------	-------	--	---	--

8 ड्रेनेज गैलरी						
8.1	अपस्ट्रीम ड्रेनेज गैलरी की खुदाई	मीटर	186.237	167.50	18.74	90
		-				
9 टीआरटी						
9.2	टीआरटी-1	मीटर	104	104	0	100
31.03.2022 को पूरा हुआ						
9.3	टीआरटी-2	मीटर	104	64.50	39.50	62
9.4	टीआरटी-4	मीटर	104	64.00	40.00	62
		-				

चित्र :



पावर हाउस कैवर्न



ट्रांसफार्मर हॉल कैवर्न में राफ्ट सुदृढीकरण



ऊपरी इरेक्शन गैलरी पीएस टॉप पर रेज़ बोरर




सर्ज शाफ्ट की खुदाई



टीआरटी-1 का उत्खनन पूरा हुआ | ईएल 1234.5 मीटर पर ड्राफ्ट ट्यूब-1 का राफ्ट सुदृढीकरण कार्य प्रगति पर है।

बांध परिसर में कार्यों की स्थिति:

बांध परिसर का योजनाबद्ध लेआउट



बांध परिसर में कार्यों की घटक-वार स्थिति:

क्रम सं.	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% पूर्णता	टिप्पणियां
31.03.2022 तक बांध कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति							
1.	एचआरटी और एडिट की खुदाई						
1.1	एचआरटी-2 की खुदाई	मीटर _	2082.6	1225.997	856.638	59	
1.2	एचआरटी-1 की खुदाई	मीटर _	2034.2	1170.97	863.23	58	
2.	सतह उत्खनन - सामान्य और रॉक उत्खनन मात्रा:						
2.1	गेट शाफ्ट प्लेटफार्म सहित विद्युत इंटेक ढांचा	घन मीटर	377500	159040	218460	42	
2.2	टनल स्पिलवे आउटलेट, इनलेट और गेट शाफ्ट प्लेटफार्म	घन मीटर	320000	124670	195330	39	
2.3	भूतल स्पिलवे	घन मीटर	763000	195425	567575	26	
3.	कॉफ़र बांध						
3.1	अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध	घन मीटर	385000	155438	229562	40	
3.2	डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध	घन मीटर	35000	29510	5490	84	

चित्र :



नदी अपवर्तन के पश्चात अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध में जारी निर्माण कार्य



नदी अपवर्तन के पश्चात डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध पर जारी निर्माण कार्य

एचआरटी-टीएमबी कार्य:

- I एलओए दिनांक 03.07.2020 को मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को जारी किया गया है और 14.08.2020 को सीवीपीपीएल और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बीच संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- II टीबीएम एडिट पोर्टल का निर्माण, प्लेटफॉर्म का विकास और सहयोजित आधारभूत संरचना कार्य प्रगति पर हैं। टीबीएम की विस्तृत इंजीनियरिंग पूरी हो गई है। जर्मनी में 7-15 नवंबर, 2021 के बीच टीबीएम-1 का फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और टीबीएम-2 के लिए इसे 17-21 जनवरी, 2022 के बीच पूरा किया गया।
- III टीबीएम-1 को 14.02.2022 को जर्मनी से रवाना किया गया और यह 15.03.2022 को मुंबई पोर्ट पहुंचा। इस खेप को साइट तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है।



टीबीएम का फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण



साइट पर टीबीएम कंसाइनमेंटों का आंशिक आगमन



टीबीएम एडिट पोर्टल क्षेत्र

एचएम कार्य:

- I. सीवीपीपीपीएल और मेसर्स पीईएस के बीच 21.10.2019 को संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए। ड्राइंग की प्रस्तुति/जांच सहित एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग और एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग/विनिर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- II. इंटेक ट्रेश रैक पैनल के द्वितीय चरण के एम्बेडेड भागों की आपूर्ति की गई है।
- III. 2.9 मीटर व्यास का उत्पादन। लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट पीएस1बी और पीएस2ए के प्रेशर शैफ्ट लाइनर्स को शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक 54.6 मीटर में से क्रमशः 24.6 मीटर और 17.9 मीटर का काम पूरा कर लिया गया है।



पीएस में स्टील लाइनर के उत्पादन की सफल शुरुआत

ईएंडएम कार्य:

- i. दिनांक 02.01.2019 को एलओए मैसर्स वोइथ हाइड्रो लिमिटेड को जारी कर दिया गया है।
 - ड्राइंग लेआउट योजना की प्रस्तुति/जांच और उपकरण निर्माण/आपूर्ति/निरीक्षण सहित ईएंडएम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग प्रगति पर है।
 - साइट पर पहुंचे उपकरण:
 - सभी इकाइयों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर्स और अन्य संबद्ध सामान साइट पर प्राप्त।
 - जीएसयू ट्रांसफार्मर कैवर्न में तेल और जल निकासी प्रणाली के लिए एम्बेडेड पाइप साइट पर प्राप्त।
 - पीएच ईओटी क्रेन-1 की सभी सामग्री साइट पर प्राप्त हो गई है।
 - सभी चार (04) यूनिट और स्पेयर के स्टेटर बार साइट पर प्राप्त हो गए हैं।
- उत्पादन
 - पीएच सर्विस बे, एमआईवी सर्विस बे, जीटी इंटरकनेक्टिंग टनल, बस डक्ट यू#1, बस डक्ट यू#2 और बस डक्ट #2 तक ट्रांसफार्मर कैवर्न में अर्थ मेट बिछाने का काम पूरा हो गया है।
 - सर्विस बे, कनेक्टिंग टनल और ट्रांसफार्मर कैवर्न को जीटी-4 (ग्रिड-9) तक जीटी रॉड के एंबेडमेंट को संस्थापित करने का काम पूरा हो चुका है।
 - सर्विस बे में पीएच ईओटी क्रेन का निर्माण दिनांक 01.09.2021 को शुरू हुआ और लोड परीक्षण को छोड़कर पूरा हो गया है।
 - ईएल 1246.5 मीटर पर पीएच कंट्रोल ब्लॉक में अर्थ मेट बिछाने का काम पूरा हो गया है और ईएल 1242.5 मीटर पर पीएच कंट्रोल ब्लॉक में अर्थ मेट बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
 - एमआईवी सर्विस बे में एमआईवी क्रेन एंबेडमेंट की संस्थापित करने का काम पूरा हो गया है।

- ए.टी.वी. मथुरा, उ.प्र. में ड्राफ्ट ट्यूब लाईनर, इकाई#1 का निरीक्षण



- सभी 4 इकाइयों की ड्राफ्ट ट्यूब कोन और सेगमेंट साइट पर प्राप्त हो गए हैं।



- वोइथ वडोदरा विनिर्माण इकाई पर इकाई#1 का स्टेज निरीक्षण (14.02.22 से 15.02.22 तक)



- एमआईवी सर्विस बे में एमआईवी क्रेन एम्बेडमेंट्स की संस्थापना





260 टन पीएच ईओटी क्रेन का स्थापन पूर्ण हो गया है |

I. किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय:

परियोजना एक रन-ऑफ-रिवर योजना है तथा यह एक जलाशय के साथ जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर में स्थित है। किरू जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और इसमें 135 मीटर ऊंचे बांध और 156 मेगावाट की 4 इकाइयों के साथ एक भूमिगत पावर हाउस के निर्माण की परिकल्पना की गई है। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2272 एमयू होगा।

परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

परियोजना की स्थिति:

i) सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त की गई है जैसे सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, मत्स्यपालन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि।

ii) सीसीईए अनुमोदन

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला **03.02.2019** को रखी गई।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से परियोजना के निर्माण के लिए जुलाई 2018 के मूल्य स्तर पर **4287.59 करोड़ रुपये** की लागत के निवेश को मंजूरी दी है।

• **जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई छूटें**

- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्षों की अवधि के लिए।
- 9% एसजीएसटी की छूट: वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने परियोजना के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए दिनांक 17.08.2021 की अधिसूचना एसओ 281 के माध्यम से योजना को अधिसूचित किया है।
- पथकर में छूट: जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के अनुसार।

• **भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता**

- भारत सरकार से अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर सरकार की इक्विटी।
- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार को पहली किश्त के रूप में दिनांक 04.06.2019 को 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और इसे जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सीवीपीपीएल को जारी किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जेकेएसपीडीसी द्वारा इक्विटी योगदान के रूप में 100 करोड़ रुपए जारी किए गए।

iii) **भूमि अधिग्रहण**

परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ अंतिम निर्णय दिनांक 01.07.2017 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया है और इसमें शामिल वृक्षों और संरचनाओं के लिए अनुपूरक अवार्ड दिनांक 11.06.2019 को जारी किया गया है। भू-स्वामियों को संवितरण के लिए कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, किश्तवाड़ के पास 32.47 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है, जिसमें से अब तक 30.70 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 82.05 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए 19.05.2016 को वन मंजूरी दे दी है। वन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सीवीपीपीएल को वन भूमि दिनांक 14.03.2018 को सौंप दी गई है।

iv) **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना**


जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा आरएंडआर योजना को कुल 9956.22 लाख रुपए की राशि के लिए अनुमोदित प्रदान किया गया है। आयुक्त आरएंडआर के कार्यालय में अब तक 40.00 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है, जिसमें से 31.62 करोड़ रुपये की राशि परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच वितरित की गई है। इसके अलावा, पीएफ को आरएंडआर लाभों के वितरण का कार्य प्रगति पर है।

v) **प्रमुख कार्य प्रदान किया जाना**

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 03 फरवरी 2019 को परियोजना की आधारशिला रखी है।
- सभी प्रमुख कार्य पैकेजों अर्थात् सिविल वर्क्स पैकेज, एचएम पैकेज और ईएंडएम पैकेज के लिए एलओए 24.02.2020 को जारी किया गया है।
- सभी पैकेजों के संविदा करारों पर जून 2020 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
- नदी का विपथन 31.12.2021 को हासिल किया गया।
- यू/एस एंड डी/एस कॉफ़र डैम, पीएच कैवर्न, टीएच कैवर्न, प्रेशर शाफ्ट का निर्माण प्रगति पर है। नदी के तल के नीचे बांध की स्ट्रिपिंग और बांध की खुदाई भी प्रगति पर है।
- एचएम घटकों की विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/विनिर्माण/आपूर्ति और विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/ईएंडएम उपकरण का निर्माण/निरीक्षण प्रगति पर है।

vi) प्रमुख कार्यों की प्रगति

परियोजना का योजनाबद्ध लेआउट



क्रम सं.	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% पूर्णता	टिप्पणियां
1.	कॉफ़र बांध						
1.1	प्री कॉफ़र बांध का निर्माण	घन मीटर	15000	15000	0	100	19.01.2022 को पूर्ण हुआ
1.2	कोफर बांध यू/एस का निर्माण	घन मीटर	75000	29862	45138	40	
2.	बांध कार्य						
2.1	नदी तल के नीचे बांध की खुदाई	घन मीटर	140000	65250	74750	47	
3.	पावर हाउस खुदाई						
3.1	पीएच पायलट उत्खनन	मीटर	182	182	0	100	29.08.21 को पूर्ण हुआ
3.2	पीएच क्राउन चौड़ीकरण	मीटर	182	182	0	100	31.03.22 को पूर्ण हुआ
3.3	मैट शीर्ष स्तर अर्थात ईएल 1401.1 मीटर तक पीएच- बेंचिंग	घन मीटर	28400	1625	26775	6	
4	ट्रांसफार्मर हॉल केवर्न खुदाई						
4.1	टीसी-पायलट उत्खनन	मीटर	137	137	0	100	31.08.21 को पूर्ण हुआ
4.2	टीसी क्राउन चौड़ीकरण	मीटर	137	114.5	22.5	83	
5	प्रेसर शाफ्ट						
5.1	निचला क्षैतिज पीएस-3	मीटर	112.4	50	62.4	44	
5.2	झुका हुआ पीएस 1 पायलट उत्खनन	मीटर	125	2.8	122.2	2	
5.3	शीर्ष क्षैतिज पीएस-1	मीटर	53.9	5.5	48.4	10	
5.4	शीर्ष क्षैतिज पीएस-3	मीटर	28	7.0	21.0	25	

चित्र :



कॉफर बांध और बांध उत्खनन



नदी तल के नीचे बांध उत्खनन में ग्राउटिंग कार्य प्रगति पर



600 टीपीएच क्रशर प्लांट का उत्पादन



प्रेसर शाफ्ट कार्य



पावर हाउस – क्राउन को चौड़ा किया जाना

i) आधारभूत संरचना कार्य

- क) बांध, पावर हाउस, टीआरटी जैसी प्रमुख संरचनाओं के लिए संपर्क सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, परियोजना स्थल पर अस्थायी आवासीय भवनों (फील्ड हॉस्टल), सुरक्षा बैरकों और कार्यालय भवनों के निर्माण जैसे आधारभूत संरचना कार्य पूरे हो गए हैं।
- ख) दुल में एलआई/एलओ व्यवस्था सहित 33 केवी लाइन निर्माण कार्य और किरू में 33/11 केवी सब-स्टेशन कार्य पूरा हो गया है और परियोजना स्थल पर 3 मेगावाट की निर्माण शक्ति उपलब्ध कराई गई है।
- ग) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दुल-गल्हर रोड पर दो पुलों के उन्नयन का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, नागराह पुल का निर्माण बीआरओ द्वारा निक्षेप आधार पर पूरा किया गया है और मिथल गढ़ (गलहर नाला) पुल के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

सांविधिक जानकारी:

क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन:

1. प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था:

हरित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक पहल के रूप में, मौजूदा परियोजना स्थल कार्यालयों की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किरू जलविद्युत परियोजना की पथरनाक्की साइट पर बैटरी, सौर पैनल, इन्वर्टर इत्यादि के साथ पूर्ण 3.5 केवीए क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है। सीवीपीपीपीएल भविष्य में अन्य स्थानों में सौर ऊर्जा का पता लगाने और उसका उपयोग करने की भी परिकल्पना करता है।

2. ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें:

बिजली की कम खपत के लिए सीवीपीपीपीएल प्रतिष्ठानों में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

II. ऋार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय

यह परियोजना जम्मू-कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। ऋार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) में 109 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें 135 मेगावाट प्रत्येक की 4 इकाइयों के साथ एक भूमिगत पावर हाउस होगा। वार्षिक उत्पादन 1975 एमयू होगा।

परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

परियोजना की स्थिति:

i) सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त की गई है जैसे सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, मत्स्यपालन विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार से मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना स्थापित करने की सहमति आदि।

ii) निवेश अनुमोदन की स्थिति

- एनएचपीसी द्वारा मसौदा पीआईबी ज्ञापन दिनांक 01.02.2018 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2018 के पत्र द्वारा विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों के लिए पीआईबी ज्ञापन परिचालित किया है।
- सीईए ने दिनांक 05.12.2018 के पत्र द्वारा परियोजना की अद्यतन लागत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की है।
- परियोजना के निवेश अनुमोदन में तेजी लाने के लिए और परियोजना की समग्र लागत और टैरिफ को कम करने के लिए परियोजना को जम्मू-कश्मीर सरकार और भारत सरकार से निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है/आवश्यक है:
- **जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा छूटें:**
 - जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट।
 - 12% निःशुल्क बिजली: पहले वर्ष में निःशुल्क बिजली की छूट 10% होगी और परियोजना के सीओडी के बाद 5वें वर्ष तक हर साल यह 2% घट जाएगी। छठे वर्ष से निःशुल्क बिजली का हिस्सा 12% पर बहाल हो जाएगा।
 - 9% एसजीएसटी की छूट: वित्त विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिसूचना एसओ 281 दिनांक 17.08.2018 द्वारा परियोजना के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए योजना को अधिसूचित किया है।
 - पथकर में छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई।
- जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा भारत सरकार से मांगी गई सहायता
 - परियोजना के लिए इक्विटी शेयर: भारत सरकार से अनुदान के रूप में जेकेपीडीसी की इक्विटी (पकल दुल जलविद्युत परियोजना की भांति)।
- प्रथम पीआईबी बैठक 16.11.2021 को आयोजित की गई।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 28.12.2021 के आदेश द्वारा सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए 12% निःशुल्क बिजली की छूट को संशोधित कर 5वें वर्ष तक परियोजना के सीओडी से कम होती रीति से निःशुल्क बिजली की छूट दी है। निःशुल्क बिजली की छूट पहले वर्ष में 10% होगी और परियोजना के सीओडी के बाद 5वें वर्ष तक हर साल 2% घट जाएगी। छठे वर्ष से निःशुल्क बिजली का हिस्सा 12% पर बहाल हो जाएगा।
- परियोजना के निवेश अनुमोदन पर विचार करने के लिए पीआईबी की दूसरी बैठक 27.01.2022 को आयोजित की गई है। एमओएम दिनांक 14.02.2022 को जारी किया गया जिसमें परियोजना के निवेश अनुमोदन की सिफारिश की गई है। सीसीईए की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

iii) भूमि का अधिग्रहण

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समस्त निजी एवं राजकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु अंतिम निर्णय दिनांक 22.03.2018 को जारी कर दिया गया है। मुआवजे का भुगतान प्रगति पर है।

वन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा विपथित वनभूमि सीवीपीपीपीएल को 14.03.2018 को सौंप दी गई है।

iv) पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने आदेश दिनांक **03.08.2018** के द्वारा परियोजना की आरएंडआर योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

v) प्रमुख कार्यों के लिए निविदाएं

- सभी तीनों पैकेज की बोलियां जारी कर दी गई हैं।
- सिविल कार्य पैकेज (लॉट I): एनआईटी दिनांक 21.08.2020 को जारी किया गया। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है और मूल्य बोली 22.02.2022 को खोली गई है तथा आगामी बोर्ड बैठक में कार्य सौंपने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
- एचएम पैकेज (लॉट II): तीन बोलीदाताओं से प्राप्त तकनीकी बोलियां 25.08.2021 को खोली गईं और मूल्यांकन के बाद केवल एक बोलीदाता योग्य था। पुनर्निविदा की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
- ईएंडएम पैकेज (लॉट III): एनआईटी 12.01.2021 को जारी की गई और तीन बोलीदाताओं से प्राप्त 07.03.2022 को खोली गई बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

vi) आधारभूत संरचना कार्य

- परियोजना के लिए **4.48** कि.मी. की कुल लंबाई वाली संपर्क सड़क का निर्माण पूरा हो गया है।
- चिनाब नदी पर **81** मीटर स्पैन **70** आर डबल लेन पुल के निर्माण का कार्य **31.08.2018** को सौंपा गया है और यह प्रगति पर है।
- पड्यारना में साइट कार्यालय का निर्माण पूरा।

III. किरथार्ड-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट)


जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में नई जलविद्युत योजनाओं के निष्पादन के लिए 03.01.2021 को जम्मू में जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के खंड संख्या (I) के अनुसार, किरथार्ड-II एचईपी (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के कार्य को सीवीपीपीपीएल को उन्हीं नियमों और शर्तों पर सौंपा गया है, जो पकल, किरू और क्कार जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहमत की गई हैं।

संक्षिप्त परिचय:

किरथार्ड-II एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है जो किश्तवाड़ जिले, जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर किरू जलविद्युत परियोजना के लगभग 25 किमी अपस्ट्रीम पर स्थित है। परियोजना में 121 मीटर ऊंचे बांध, 4.2 किमी हेड रेस टनल और एक भूमिगत पावर हाउस (840 मेगावाट) + भूतल पावर हाउस (90 मेगावाट) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 90% निर्भरता वर्ष में 3329.52 एमयू का वार्षिक उत्पादन प्रदान करेगी। जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर सीवीपीपीपीएल के माध्यम से किरथार्ड-II एचईपी (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए 03.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के लिए सीवीपीपीपीएल और एनएचपीसी के बीच परामर्श समझौते पर 19.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

किरथाई-II जलविद्युत परियोजना का सामान्य लेआउट:



परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

परियोजना की स्थिति:

मंजूरीयों की स्थिति:

टीईए	:	<ul style="list-style-type: none"> सशर्त टीईसी प्रदान की गई: 14.06.2019 टीईसी में शर्तें: भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण पहलुओं आदि पर अतिरिक्त जांच। दिनांक 27.12.2021 के पत्र द्वारा सीईए ने टीईए को सीवीपीपीएल के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। 13.06.2024 तक टीईसी के पुनर्विधीकरण के लिए अनुरोध भेजा गया है
पर्यावरणीय स्वीकृति	:	<ul style="list-style-type: none"> ईएसी द्वारा सिफारिश : 15.04.2021 परिजोजना को चरण-I वन स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
वन स्वीकृति	:	<ul style="list-style-type: none"> वन मंजूरी के लिए आवेदन भूमि की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रस्तुत किया जाएगा और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
सिंधु जल समझौता	:	<ul style="list-style-type: none"> सिंधु जल समझौता मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
रक्षा मंजूरी	:	<ul style="list-style-type: none"> सीवीपीपीपीएल द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से एनओसी जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 21.12.2021 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे। सीवीपीपीपीएल को किरथाई-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र 24.03.2022 को जारी किया गया है।

4. लाभांश:

कंपनी को निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए चार परियोजनाएं सौंपी गई हैं, अर्थात् पकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), कार (540 मेगावाट) और किरथाई चरण-II एचईपी (930 मेगावाट)। उपरोक्त में से, पकल दुल और किरू जलविद्युत परियोजनाएं सक्रिय निर्माण चरण में हैं, कार एचईपी परियोजना (सीसीईए अनुमोदन) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से निवेश की मंजूरी मई 2022 में दी गई है और किरथाई- II एचईपी मंजूरी की प्रक्रिया में है। चूंकि कोई परियोजना प्रचालन में नहीं है और बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में निवेशित अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर केवल ब्याज ही आय का स्रोत है, इसलिए, आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

5. पूंजीगत संरचना और निवल मूल्य:

31 मार्च, 2022 को आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3336.45 करोड़ रुपये है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31.03.2021 को 2479.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक 3336.45 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, हमें प्रवर्तक, जेकेएसपीडीसी से शेयर आवेदन राशि के रूप में 100.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका आवंटन 31 मार्च 2022 को किया जाना है। इस प्रकार, कुल इक्विटी फंड (आवंटन होने तक लंबित आवेदन राशि सहित) और निवल मूल्य 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 3436.45 करोड़ रुपये और 3490.46 करोड़ रुपये है।

6. शेयरों का अंतरण:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरों का हस्तांतरण हुआ था। शेयर हस्तांतरण का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	हस्तांतरणकर्ता का नाम	का	हस्तांतरित किए गए शेयरों की संख्या (इक्विटी)	शेयर का मूल्य	हस्तांतरिती का नाम	हस्तांतरण की तारीख
1.	पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड		4080000	10/- रुपये	एनएचपीसी लिमिटेड	24.06.2021
2.	श्री ए.के. चौधरी, पूर्व-एमडी, सीवीपीपीपीएल		01	10/- रुपये	श्री रजत गुप्ता, पूर्व-एमडी, सीवीपीपीपीएल	09.12.2021
3.	श्री वी.के. मैनी, ईडी, एनएचपीसी		01	10/- रुपये	श्री वाई.के. चौबे, डी(टी), एनएचपीसी	18.02.2022

6क. जम्मू-कश्मीर/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी की 2% इक्विटी के अधिग्रहण के बारे में निर्णय

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 05/01/2021 दिनांक 01.01.2021 द्वारा एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (आई) लिमिटेड के 2% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस तथ्य को जम्मू-कश्मीर सरकार पीडीडी द्वारा 11.01.2021 को सचिव विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया गया।

दिनांक 12.02.2021 को, एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (आई) लिमिटेड के 2% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अपनी सहमति से विद्युत मंत्रालय को अवगत कराया था और उसके बाद विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए एनएचपीसी द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की 2% इक्विटी के अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराया था। तथापि, इस संबंध में सीवीपीपीपीएल के एमओए और एओए में आवश्यक परिवर्तन संबंधित प्रवर्तकों द्वारा एमओए और एओए में परिणामी परिवर्तनों के अनुमोदन के साथ एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच पूरक प्रवर्तक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किया जाएगा।

एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के बीच सीवीपीपीपीएल के पूरक प्रवर्तक करार को जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक परिषद द्वारा 22.07.2022 को आयोजित उसकी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

7. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों के विवरण:

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

8. निदेशक मंडल:

कंपनी का बोर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित किया गया था।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	नामित निदेशक और अध्यक्ष	06440021	22.11.2019
2	श्री अटल डुल्लू, आईएएस	नामित निदेशक	03542909	24.03.2022
3	श्री नितीशवर कुमार, आईएएस	नामित निदेशक	05326456	24.03.2022
4	श्री वाई के चौबे	नामित निदेशक	08492346	01.10.2020
5	श्री आर पी गोयल	नामित निदेशक	08645380	01.10.2020
6	श्री हसन नदीम	प्रबंध संचालक	09653321	27.06.2022

- श्री एके चौधरी, दिनांक 30.09.2021 को एनएचपीसी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति पर निदेशक नहीं रहे
- श्री रोहित कंसल, आईएएस 24.03.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री अटल डुल्लू, आईएएस 04.05.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री रजत गुप्ता 09.06.2022 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

9. निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकों ने निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की :

बैठक की संख्या और तिथि	बैठक का स्थान	बोर्ड की संख्या	वर्तमान निदेशकों की संख्या				बोर्ड बैठक की उपस्थिति का %
			व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	बोर्ड के सदस्यों का नाम		
58वीं बीओडी बैठक 05 अप्रैल, 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	4	3	1	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे और ए के चौधरी।	100	
59वीं बीओडी बैठक मई 04, 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	1	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे और ए के चौधरी।	100	
60वीं बीओडी बैठक 24 जून 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	4	1	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे और ए के चौधरी।	100	
61वीं बीओडी बैठक 27 अगस्त, 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	2	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और ए के चौधरी।	100	
62वीं बीओडी बैठक 27 सितंबर, 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	5	0	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और ए के चौधरी।	100	

63वीं बीओडी बैठक 09 दिसंबर, 2021	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	4	2	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और रजत गुप्ता।	100
64वीं बीओडी बैठक 18 फरवरी, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	4	2	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), रोहित कंसल - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और रजत गुप्ता।	100

10. सामान्य रिजर्व में अंतरण:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है।

12. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मेसर्स रेशी एंड एसोसिएट्स, वृत्तिक कंपनी सचिव द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुलग्नक I** में संलग्न है, जो स्वतःपूर्ण है।

13. तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई तात्विक परिवर्तन विद्यमान नहीं हैं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय स्थिति संबंधित है, के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख उत्पन्न हुए हैं।

31 मार्च 2022 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3336.45 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रवर्तक, जेकेएसपीडीसी को 11.04.2022 को 100.00 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए गए हैं, जिन्हें 31.03.2022 को तुलन-पत्र में आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, 09.05.2022 को 100.00 करोड़ रुपये की राशि जेकेएसपीडीसी से प्राप्त हुई है जिसके लिए 13.05.2022 को शेयर आवंटित किए गए हैं। दिनांक 31.03.2022 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3336.45 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान जेकेएसपीडीसी को शेयर जारी करने के बाद बढ़कर 3536.45 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, एनएचपीसी ने 30.06.2022 को 51.31 करोड़ रुपये और 10.08.2022 को इक्विटी के रूप में 56.63 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसके लिए एनएचपीसी लिमिटेड को शेयर जारी किए गए हैं।

14. सार्वजनिक निक्षेप:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जनता/सदस्यों से कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है और, इस तरह, तुलन पत्र की तारीख और इस रिपोर्ट की तारीख को मूलधन या ब्याज की कोई राशि नहीं बकाया थी।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की अपेक्षानुसार, निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि 31 मार्च, 2022 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत कर सके;
- निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;
- निदेशकों द्वारा चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

16. सचिवालयी मानक:

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवालाई मानकों, अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

17. कंपनी द्वारा ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई प्रतिभूति हासिल नहीं की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन शामिल होती हो।

18. संबंध पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की थी, जिसे तात्विक माना जा सकता हो। परामर्श और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी के संबंधित पक्षकार संव्यवहार केवल संयुक्त उद्यम भागीदार (एनएचपीसी लिमिटेड) में से एक के साथ हैं। संबंधित पक्ष के साथ की गई सभी संविदाएं/संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में और कंपनी के हित में सामान्य आधार पर थे।

ऐसे संव्यवहार विद्यमान हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ज) के अनुसार प्रपत्र एओसी-2 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है, जिसे **अनुबंध II** के रूप में संलग्न किया गया है।

19. सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हताओं, आरक्षण की गई टिप्पणियों पर निदेशक मंडल की टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में किसी अर्हता या आरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ उन पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न हैं।

20. जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत बनाना:

कंपनी इस तथ्य से अवगत है कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास भू-तकनीकी आश्चर्यों, जलविज्ञान संबंधी अनिश्चितताओं, भूकंपीय जोखिमों, पर्यावरणीय मुद्दों, अप्रत्याशित संविदात्मक मुकदमेबाजी, परियोजना स्थल की दूरस्थता, लंबी सगर्भता अवधि, विनियामक जोखिम आदि जैसी विभिन्न अनिश्चितताओं से जुड़ा है जिससे परियोजना लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, समय की अधिकता हो सकती है, आदि ।

1000 मेगावाट की पकल दुल जलविद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत और निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ, आपकी कंपनी, कंपनी के समक्ष जोखिमों की पहचान करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर रही है जिसमें कार्यान्वयन के लिए जोखिमों के प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाना शामिल हैं।

तथापि, कंपनी ने धोखाधड़ी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने की नीति विकसित और कार्यान्वित की है। कंपनी द्वारा शुरू की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) रणनीतिक जोखिम:

परियोजनाओं के एचओपी ऐसे जोखिम के प्रबंधन के लिए समय पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) वित्तीय जोखिम:

तुलन-पत्र पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय जोखिम की अब तक पहचान नहीं की गई है।

(ग) प्रचालनात्मक जोखिम:

वर्ष के दौरान पहचाने गए परिचालन जोखिम के लिए किशतवाड़ में परियोजना के एचओपी द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक हो, शमन के उपाय किए गए हैं।

(घ) अनुपालन जोखिम:

कंपनी वर्ष के दौरान सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

21. सतर्कता क्रियाकलाप:

सीवीपीपीपीएल लिमिटेड में सभी स्तरों पर जागरूकता का प्रसार करने और अनुपालन के लिए सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार सतर्कता प्रभाग द्वारा व्यापक सतर्कता तंत्र के साथ सतर्कता गतिविधियां/कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

अक्टूबर, 2021 से पहले, सीवीपीपीपीएल सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व सीवीपीपीपीएल सीओ, जम्मू में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामित ई-8 स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में सीवीपीपीपीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) को रिपोर्ट करता था। अक्टूबर 2021 से, मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद को सीवीपीपीपीएल जम्मू में महाप्रबंधक (सतर्कता) के रूप में फिर से नामित किया गया है, जो अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी एनएचपीसी, फरीदाबाद को रिपोर्ट करता है। सीओ जम्मू में महाप्रबंधक (सतर्कता) को सीओ जम्मू में सतर्कता अधिकारियों और परियोजना स्थलों पर तैनात परियोजना सतर्कता अधिकारी (पीवीओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सतर्कता क्रियाकलापों/कार्यों का निपटान सतर्कता विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें शिकायतों/मामलों पर कार्रवाई करना और उनकी जांच कराना, नियमित/औचक निरीक्षण संचालित करना, संगठन की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए गए एनआईटी की निगरानी करना, निष्पादित की गई निविदाओं, कार्यों के निष्पादन, संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर किए गए भुगतान की निगरानी, जागरूकता कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रणाली में सुधार के लिए सीवीसी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का परिचालन आदि शामिल हैं। मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सीवीओ (एनएचपीसी/सीवीपीपीपीएल), विद्युत मंत्रालय और सीवीसी को नियमित रूप से भेजी जा रही है। अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिए अद्यतन बनाई जाती है।

सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवम्बर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

22. वार्षिक विवरणी के उद्घरण:

फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी के उद्घरण अनुबंध-IV के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

23. सांविधिक सूचना:

अ. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन:

क. प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था: सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय के अभिविन्यास और ग्लास पैनलिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रवेश करता है जिससे बिजली की खपत कम होती है।

ख. ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीवीपीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

ग. एचवीएसी: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीओ जम्मू में ऊर्जा कुशल एचवीएसी प्रणाली प्रचालन में है।

घ. मलजल शोधन संयंत्र: जेडीए द्वारा प्रदान की गई भवन अनुमति के अनुसार, मलजल उपचार के लिए केवल सेप्टिक टैंक उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, तथापि, एक सक्रिय कदम उठाते हुए, आपकी कंपनी ने उन्नत तकनीक अपनाने का फैसला किया और पारंपरिक सेप्टिक टैंक के स्थान पर एरोबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना का विकल्प चुना। कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायो रिएक्टर तकनीक से युक्त 70 केएलडी स्थापित क्षमता वाला एसटीपी स्थापित किया गया है। सीवेज के अलावा, यह एसटीपी भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का भी उपचार करेगा।

आ. अनुकूलन और अभिनवता :

क) भवन अभिविन्यास: कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का डिज़ाइन जम्मू की जलवायु के सर्वोत्तम पहलुओं का लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया है। अग्रभाग इष्टतमीकरण सिद्धांत को दिन के प्रकाश और छायांकन के लिए द्रव्यमान और अभिविन्यास के अनुसार डिजाइन में लागू किया गया है ताकि यह भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सके। इमारत का द्रव्यमान पूर्व-पश्चिम दिशा में उन्मुख है, जिसके बड़े हिस्से उत्तर और दक्षिण की ओर हैं, जिससे गर्मियों के दौरान सौर ताप की मात्रा कम से कम होती है।

ख) स्थल आयोजना: भवन के ऊर्ध्वाधर विस्तार (ऊपर और भूमिगत दोनों) को अपनाकर भवन के चारों ओर हरे/खुले क्षेत्रों के बड़े भाग की उपलब्धता (अर्थात् कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 30%) सुनिश्चित की गई है। वाहनों की पार्किंग के लिए दो बेसमेंट तल उपलब्ध कराकर भूमिगत क्षेत्र का पूरा उपयोग किया गया है।

ग) बैठने की व्यवस्था: एचवीएसी की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने और बिजली की खपत को कम करने के लिए बैठने की व्यवस्था की योजना इस तरह से बनाई गई है कि बंद कमरों और पूरी ऊंचाई के केबिनो में बाहरी दीवारें/कांच की दीवारें लगाई गई हैं ताकि सूरज की रोशनी का ताप प्रभाव कार्य स्टेशनों और अन्य ऐसे खुले क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं हो पाए, जो फर्श के आंतरिक भाग स्थित हैं।

घ) वर्षा जल संरक्षण प्रणाली: कंक्रीटीकरण में वृद्धि के साथ, शहरी क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश पानी सीधे नालियों में चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा गैर-ठोस क्षेत्रों की पुनर्भरण क्षमता की भारी क्षति होती है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सीवीपीपीएल ने भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने का विकल्प चुना है। 2.5 मीटर व्यास और 3.0 मीटर प्रभावी गहराई के 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग गड्डों के साथ सिस्टम को स्थापित किया गया है जिसमें 160 (ओडी) यूपीवीसी स्लॉटेड पाइप एक परत तक है जहां रेतीले पारगम्य परतें मौजूद हैं।

24. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिःप्रवाह:

विदेशी मुद्रा संव्यवहार को निम्न तालिका में सारांशित किया गया है:

विवरण	2021-22 (राशि रुपए में)	2020-21 (राशि रुपए में)
विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) नवीनतम जानकारी	शून्य	शून्य
ii) ब्याज	शून्य	शून्य
iii) अन्य विविध मामले	37,26,26,792 /- रुपए	शून्य
विदेशी मुद्रा में आय		
i) ब्याज	शून्य	शून्य
ii) अन्य		

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और मानक:

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13.06.2017 में कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(3)(i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं कुछ निजी कंपनियों पर लागू नहीं होंगी।

26. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

आज के कार्य परिवेश में कर्मचारियों को जटिल कार्यों को कुशल, किफायती और सुरक्षित तरीके से निष्पादित करने के लिए कुशल होने की आवश्यकता है। यह सच है कि कोई कर्मचारी उतना ही दक्ष होता है, जितना उसे प्रशिक्षण मिला होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमियाँ होती हैं, प्रशिक्षण और विकास उन्हें दूर करने में कर्मचारियों की मदद करता है। यदि कमियों और कमजोरियों को दूर किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार होता है। तथापि, प्रशिक्षण और विकास, नए कौशल सेट अर्जित करते हुए किसी कर्मचारी की शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक होता है।

तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में, उत्पादकता न केवल कर्मचारियों पर बल्कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर करती है। प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकी के साथ निरंतर अद्यतन बनाए रखने, मौजूदा प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपयोग करने और फिर प्राचीन प्रौद्योगिकी को त्यागने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कर्मचारियों को नए कौशल हासिल करने, मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने, बेहतर प्रदर्शन करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर अग्रेता बनने में भी मदद करते हैं। ये कार्यो को कुशलतापूर्वक और सबसे अधिक उत्पादक तरीके से करने में भी उपयोगी भूमिका का निर्वहन करते हैं।

कोविड प्रतिबंधों के वर्तमान परिदृश्य और हमारे कार्यबल को निरंतर सुधार/प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीवीपीपीपीएल के एचआरडी अनुभाग ने 15 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों/ वेबिनार/ऑनलाइन सत्रों के लिए कर्मचारियों को नामित किया है जिसमें सीवीपीपीपीएल के आंतरिक संकाय द्वारा आयोजित 2 वेबिनार और एनएचपीसी द्वारा संचालित 01 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल था।

कोविड संक्रमण सकारात्मकता कम होने और प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, सीवीपीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में सम्मानित व्यक्तियों द्वारा 02 विशेष इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, अर्थात्, श्री रिजवान-उद-दीन, क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख और श्री विशाल के. खरे, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), जम्मू-कश्मीर। साथ ही, जीईएम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए क्षेत्रीय व्यापार सुविधाप्रदाता श्री कुश त्यागी, द्वारा जेम पोर्टल पर 01 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से हमारे कर्मचारियों को अधिप्राप्ति पोर्टल के बारे में अच्छी तरह से जानकार बनाने और व्यावहारिक ज्ञान रखने में मदद प्रदान की गई। सभी कार्यक्रमों को खूब सराहा गया।

श्री विशाल के. खरे, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्र), जम्मू और कश्मीर द्वारा प्रशिक्षण सत्र





श्री रिजवान-उ-द्दीन, क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख द्वारा वेबिनार

27. कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी योजनाएं:

एक व्यापक अभ्यास संचालित किया गया जिसके तहत 55 कर्मचारियों को 01.04.2022 से विभिन्न ग्रेड सहायक प्रबंधक (ई3) से उप प्रबंधक (ई4), उप प्रबंधक (ई4) से प्रबंधक (ई5) और प्रबंधक (ई5) से वरिष्ठ प्रबंधक (ई6) में पदोन्नत किया गया।

28. मानव संसाधन प्रबंधन

क. एचआर नीतियां:

मानव संसाधन नीतियाँ मानव संसाधन रणनीतिक हस्तक्षेपों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, कर्मचारियों के लाभ और कंपनी की रणनीतिक भूमिका को संप्रेषित करने के लिए सीवीपीपीपीएल में निम्नलिखित नियमों और नीतियों को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया है।

- सीवीपीपीपीएल में पदस्थापित कर्मचारियों के लिए दो घंटे के अवकाश (सीवीपीपीपीएल अवकाश नियमों के अंतर्गत) की शुरुआत।
- यह संप्रेषित करने के लिए कि सीवीपीपीपीएल किशतवाड़ की स्थानीय जनसंख्या के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, सीवीपीपीपीएल में पीएफएस और सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए जाने वाले कार्यों के आरक्षण के लिए सीवीपीपीपीएल में नीति शुरू की गई थी।
- स्नो शूज और विंटर जैकेट जारी करने के लिए सीवीपीपीपीएल नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की दरों को संशोधित किया गया है।

ख. सीवीपीपीपीएल में तैनात संविदा श्रमिकों के विवरण:

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न संविदाकारों जैसे मैसर्स एफकॉन्स, मेसर्स जेएएल, मैसर्स पटेल आदि द्वारा नियोजित किए गए कुल 3793 संविदा श्रमिकों को सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं और इकाइयों में तैनात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। संविदाकारों द्वारा दिए गए **3793** रोजगार में से कुल **3189** संविदा श्रमिकों की संख्या किशतवाड़ जिले से है, जिनमें परियोजना प्रभावित परिवारों से **347** संविदा श्रमिक शामिल हैं।

ग. औद्योगिक संबंध:

संविदा श्रमिक संघ से संबंधित मुद्दों को प्रबंधन और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आपसी चर्चा और सुलह की पहल के माध्यम से संबोधित किया गया है। हालाँकि, कुल मिलाकर, पूरे संगठन में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे।

घ. कर्मचारियों की अधिवास स्थिति

सीवीपीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का अधिवास विवरण (01-06-2022 के अनुसार)						
समूह	संवर्ग	अधिवास स्थिति			जम्मू-कश्मीर से संबद्ध कर्मचारियों का प्रतिशत	अन्य राज्यों से संबद्ध कर्मचारियों का प्रतिशत
		जम्मू और कश्मीर	अन्य	कुल		
क	अधिकारी	104	139	243	42.86	57.14
ख	पर्यवेक्षक	16	21	37		
उप जोड़		120	160	280		
ग और घ	कर्मचारी	23	0	23	100.00	0.00
कुल		143	160	303	47.19	52.81

ड. जनशक्ति आयोजना:

सीवीपीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का स्थानवार विवरण (01-06-2022 के अनुसार)						
समूह	संवर्ग	सी ओ*	पकल दुल एचईपी**	किरू एचईपी	कवार एचईपी	कुल
क	अधिकारी	69	89	59	26	243
ख	पर्यवेक्षक	4	19	10	4	37
ग और घ	कर्मचारी	3	16	0	4	23
कुल			124	69	34	303

*कैप कार्यालय, फरीदाबाद में तैनात 01 कार्यपालक सहित और ** किरथाई चरण - II

च. सीवीपीपीपीएल स्थापना दिवस:

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) ने अपना 11वां स्थापना दिवस 13 जून, 2021 को सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू; किशतवाड़ के परियोजना स्थलों और शिविर कार्यालय, फरीदाबाद में मनाया।

श्री सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और श्री ए.के. चौधरी, प्रबंध निदेशक ने इस अवसर पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी। जम्मू-कश्मीर में चिनाब बेसिन की विशाल पनबिजली क्षमता का दोहन करने के लिए वर्ष 2011 में इस दिन सीवीपीपीपीएल की स्थापना की गई थी।

कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण औपचारिक समारोह आयोजित नहीं किया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजनाओं के कर्मचारियों का एक रिकॉर्डेड सांस्कृतिक कार्यक्रम जूम एप के माध्यम से वेब कास्ट किया गया था। इस दिन को समाज के कमजोर वर्ग और ठेका श्रमिकों के साथ चन्नी रामा, जम्मू स्थित बालगृह और मानसिक रूप से विकलांग बालक गृह तथा बालश्रम और आशियाना अनाथालय किशतवाड़ में किराना सामग्री और कोविड -19 रोकथाम सामग्री वितरित करके मनाया गया।

अपने संबोधन में श्री ए.के. चौधरी, एमडी सीवीपीपीपीएल ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद, पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) पर सभी मोर्चों पर काम चल रहा है। वर्ष के दौरान, सीवीपीपीपीएल ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजना की डायवर्जन टनल को निर्धारित समय से पहले क्रमशः 27.08.2020 और 01.03.2021 को आरंभ किया गया है और दोनों परियोजनाओं का नदी विपथन अक्टूबर/नवंबर 2021 में हासिल किए जाने की संभावना है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना के ट्रांसफॉर्मर हॉल कैवर्न, एमआईवी कैवर्न, अपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर शाफ्ट और एडिट टू प्रेशर शाफ्ट टॉप की खुदाई का काम पूरा हो गया है। एडिट से ट्रांसफॉर्मर कैवर्न की खुदाई, किरू जलविद्युत परियोजना के वेंटिलेशन टनल की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना में 70 आर स्टील ट्रेस ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, मुझे आशा है कि कुछ महीनों में क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के

लिए पीआईबी/सीसीईए मंजूरी मिल जाएगी। तीनों पैकेजों (सिविल, एचएम और ईएंडएम) के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और सिविल पैकेज का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, 930 मेगावाट की मेगा जलविद्युत परियोजना किरथाई-II को भी निष्पादन के लिए सीवीपीपीएल को आवंटित किया गया है। इस प्रकार, निर्माण के लिए उपलब्ध कुल क्षमता अब 3094 मेगावाट है।

श्री ए.के. चौधरी ने यह भी बताया कि सीवीपीपीएल बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 3500 करोड़ रुपये से 5200 करोड़ रूपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इसे शेयरधारकों की अगली आम बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। सीवीपीपीएल की सीएसआर पहल के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सभी स्वीकृत क्रियाकलापों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 42.58 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ पूरा किया गया है।

श्री सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और श्री ए.के. चौधरी, प्रबंध निदेशक ने आशा व्यक्त की कि सीवीपीपीएल की परियोजनाओं को सभी के समन्वित प्रयासों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।



छ. विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन:

सीवीपीपीएल में 5 जून 2021 को "पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली" विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 मनाया गया। इस अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ज. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन:

7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को सीवीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू और किश्तवाड़ में और इसकी सभी परियोजनाओं में कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मनाया गया। सीवीपीपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने पतंजलि योग पीठ, जम्मू के योग विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित योग आसनों और प्राणायाम का प्रदर्शन किया।

यह दिवस किश्तवाड़ में सीवीपीपीएल की पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं में वर्चुअल ऑनलाइन मोड के साथ-साथ भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शारीरिक रूप से योग करते हुए मनाया गया।



डि. स्वतंत्रता दिवस का आयोजन:

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) जिसे चिनाब बेसिन में चार जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का काम सौंपा गया है, जिसका नाम पकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), ऋार (540 मेगावाट) और किरथाई-II (930 मेगावाट) है तथा कुल क्षमता 3094 मेगावाट क्षमता है, द्वारा 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2021 को मनाया गया। श्री अरुण कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी और स्वतंत्रता प्राप्त करने में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजनाओं में सभी मोर्चों पर काम भली-भांति प्रगति कर रहा है और दोनों परियोजनाओं में नदी मार्ग विपथन नवंबर 2021 में हासिल होने की संभावना है और दोनों बांधों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। पीआईबी/सीसीईए मंजूरी शीघ्र मिलने की संभावना में ऋार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के लिए बोलियों का मूल्यांकन प्रगति पर है। किरथाई-II जलविद्युत परियोजना का शेष सर्वेक्षण और जांच कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी। उन्होंने पकल दुल और किरू जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सामान्य रूप से राष्ट्र और विशेष रूप से किशतवाड़ क्षेत्र की समृद्धि और विकास को संवर्धित करेंगी। पकल दुल जलविद्युत परियोजना, किरू जलविद्युत परियोजना और किशतवाड़ में ऋार जलविद्युत परियोजना में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों को परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में श्री रोहित कंसल, आईएस, प्रधान सचिव, बिजली और सूचना, जम्मू-कश्मीर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति के मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीवीपीपीपीएल ने 2017-18 से 74.97 लाख रुपये की राशि के व्यय के साथ सीएसआर गतिविधियों की शुरुआत की है जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूत करने पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है तथा शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 36.93 लाख रुपए, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के अंतर्गत 31.05 लाख रुपए और पकल दुल, किरू एवं ऋार जलविद्युत परियोजनाओं के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत 3.99 लाख रुपए का प्रमुख व्यय किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण सामग्री, बैठने की व्यवस्था, भंडारण की सुविधा, खेलकूद की सुविधा आदि उपलब्ध कराकर कुल 31 विद्यालयों को सुदृढ़ किया गया है। उपरोक्त विद्यालयों में 20 विद्यालयों में जलशोधन की सुविधा तथा 17 विद्यालयों में जल संग्रहण की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसी तरह, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और आपदा प्रबंधन क्षेत्र के तहत 4 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें अन्य के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किरू में एक एक्स-रे मशीन और जिला अस्पताल किशतवाड़ में एक स्वचालित एनेस्थीसिया वर्क-स्टेशन शामिल है।



ज. आजादी का अमृत महोत्सव - वॉकथॉन:

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2021 को कॉर्पोरेट ऑफिस, जम्मू में 'वॉकथॉन' का आयोजन किया। यह महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए सीवीपीपीपीएल द्वारा आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में यह कार्यक्रम रेलहेड कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ संविदाकारों के माध्यम से लगे संविदा श्रमिकों ने देशभक्ति के नारों की तख्तियां, बैनर प्रदर्शित करते हुए और देशभक्ति के नारे लगाते हुए सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री रजत गुप्ता, एमडी, सीवीपीपीपीएल ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वॉकथॉन का नेतृत्व किया जिसने सभी प्रतिभागियों में देशभक्ति की भावना को

प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने पर जोर दिया और सीवीपीपीएल की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में उनके सहयोग की अपेक्षा की ताकि सभी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।



ट. गणतंत्र दिवस का आयोजन :

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस, जम्मू में 73वां गणतंत्र दिवस 26/01/2022 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक श्री रजत गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में, सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और वहां उपस्थित जनों से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कर्तव्यों में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी बरतने का अनुरोध किया। उन्होंने देश के विकास में योगदान देने वाले वीर सैनिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और किसानों आदि को भी धन्यवाद दिया। सीवीपीपीएल की परियोजनाओं की उपलब्धियों पर जोर देते हुए, सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक ने सीवीपीपीएल के सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कार्यरत कर्मचारियों को लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। सभी सीवीपीपीएल परियोजनाओं में गणतंत्र दिवस भी पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया।



29. महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दाखिल मामलों की संख्या, यदि कोई है, और उनका निपटान:

शून्य।

30. अन्य पहलकदम:

कोविड प्रोटोकॉल अनुरक्षित करने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खुराक-I और खुराक-II लगाने के लिए सीवीपीपीएल कार्यालय परिसर में योजनाबद्ध अभियान आयोजित किए गए।

31. परियोजना की निगरानी:

सीवीपीपीएल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली का अनुपालन कर रहा है। प्रभावी निगरानी समय और लागत की अधिकता को रोकने के लिए एक अनिवार्य घटक है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजना के प्रमुख कार्यों की प्रगति की निगरानी परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर अर्थात प्राइमावेरा के माध्यम से की जा रही है जिसे सीओ जम्मू और परियोजना कार्यालय किशतवाड़ में स्थापित किया गया है और

कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। संविदाकारों ने प्राइमावेरा प्रारूप में परियोजनाओं के कार्य पैकेजों के आधारभूत निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और पैकेज की गतिविधियों की निगरानी प्राइमेरा के माध्यम से की जा रही है। प्राइमावेरा में पैकेजों के इंटरफेसिंग शेड्यूल को भी प्रभावी निगरानी के लिए एकीकृत किया जा रहा है और इंटरफेस गतिविधियों के बीच किसी भी विलम्ब को रोका जा रहा है। विलम्ब, यदि कोई हो, को संविदाकारों को नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि विलम्ब को दूर करने की योजना बनाई जा सके।

परियोजनाओं की स्थिति से पीएमओ, विद्युत मंत्रालय, सीईए, एनएचपीसी, जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और विभिन्न अन्य केंद्रीय/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों को स्थिति रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है जो नियमित रूप से निश्चित समय-सीमा अर्थात् तिमाही/मासिक/साप्ताहिक पर भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की स्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द-से-जल्द सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभागों में विभिन्न समीक्षा बैठकों में प्रकाश डाला जा रहा है।

भेजी गई निर्धारित स्थिति रिपोर्टों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास की गई परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट।
2. जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रधान मंत्री विकास योजना (पीएमडीपी-2015) परियोजनाओं की त्रैमासिक/यथाअपेक्षित प्रगति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
3. 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना परियोजनाओं की संपूर्ण विस्तृत डेटा जानकारी को मासिक अद्यतनीकरण ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को।
4. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 (च) के अंतर्गत सीईए द्वारा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की निगरानी, एचपीएम, सीईए को मासिक स्थिति।
5. एचपीए, सीईए को परियोजनाओं की मासिक स्थिति और उनके मूल्यांकन की शर्तों का अनुपालन।
6. जेकेपीडीडी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति के मामलों की स्थिति।
7. कैबिनेट सचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल पर कैबिनेट निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट।
8. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही सीसीईए अनुमोदन शर्त की अनुपालन रिपोर्ट।
9. एनएचपीसी (सीवीपीपीपीएल के संबंध में) की परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट एनएचपीसी के आयोजना और पीएमएसजी प्रभागों को।
10. सीवीपीपीपीएल की एनएचपीसी की एसबीएंडडी, योजना और पीएमएसजी डिवीजनों को मासिक एमआईएस रिपोर्ट
11. जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट
12. जेकेपीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट
13. मंडलायुक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार को सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं की साप्ताहिक स्थिति।
14. सीईए अनुमोदित जलविद्युत योजनाएं जिन्हें अभी निर्माण के लिए लिया जाना है, एचपीएम और एचपीए सीईए को।
15. विभिन्न अन्य स्थिति रिपोर्टें भेजी जाती हैं जब कभी वे वैधानिक विभागों से अपेक्षित प्रारूप में अपेक्षित हों।

32. स्थानीय आधारभूत संरचना विकास:

पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की आरएंडआर योजनाओं, जैसा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, में पकल दुल के लिए 40.00 करोड़ रुपए, किरू के लिए 28.87 करोड़ रुपए और क्वार एचईपी के लिए 13.54 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। कुल 82.41 करोड़ रुपये की राशि की यह निधि किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र के विकास के लिए वरदान साबित होगी, जिसे स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन निधियों के उपयोग से, न केवल क्षेत्र के आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, बल्कि यह स्थानीय इससे लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे और इस प्रकार क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सकेगा।

वर्तमान में पकल दुल एचईपी के स्थानीय आधारभूत संरचना विकास योजना के मामले में 32.52 करोड़ रुपए की राशि की आधारभूत संरचना उप-घटकों की योजना उपायुक्त किश्तवाड़ द्वारा तैयार किए की गई थी और इसे कार्यान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपायुक्त किश्तवाड़ (अर्थात् आयुक्त आरएंडआर) के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में स्वीकृत अवसंरचना विकास कार्यों का कार्यान्वयन प्रगति पर है और अब तक 11.83 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

33. सूचना प्रौद्योगिकी पहलकदम:

सीवीपीपीपीएल अपने व्यावसायिक कार्यों और प्रचालनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न मैनुअल विधियों/स्टैंडअलोन एप्लिकेशनों का उपयोग कर रहा है जैसे पेट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, टेंडर सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम आदि। एक ऐसे ईआरपी सिस्टम को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता थी जो मानव संसाधन, \जाने की आवश्यकता थी जो अधिप्राप्ति और वस्तु-सूची, वित्त तथा लेखे और पेट्रोल सहित विभिन्न व्यवसाय प्रबंधन कार्यों को एकीकृत कर सके और इस प्रकार एकीकृत जानकारी, वास्तविक समय और त्रुटि मुक्त रिपोर्ट, वर्कफ़्लो और सुरक्षा आदि में सुधार हासिल कर सके।

सीवीपीपीपीएल ने उपरोक्त समस्याओं को दूर करने और अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रचालन समय को कम करने के प्रयोजनार्थ ईआरपी सिस्टम को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया और जो सीवीपीपीपीएल की कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करेगा और एकीकरण के बाद एक सिस्टम में डेटा बैंक बनाएगा। ईआरपी कार्यान्वयन का कार्य फरवरी 2020 में मैसर्स एस3 इन्फोटेक को सौंपा गया था।

34. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति:

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और धारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित करने का प्रयास करता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल बड़े पैमाने पर विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और समाजों का सम्मान करता है और यह अपने सीएसआर और संधारणीय क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय धारणीयता में संवृद्धि करने के लिए सचेत प्रयास करता रहता है।

सीवीपीपीपीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर जारी सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर और संधारणीयता नीति तैयार की है। ।

यह नीति लागू अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के तहत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvpindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएसआर क्रियाकलापों पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र (स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना) के अंतर्गत 3,11,627.00 रुपये का व्यय किया गया है।

सीएसआर समिति के संबंध में सांविधिक प्रकटीकरण और सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-V के रूप में इस रिपोर्ट का भाग है।

35. न्यायालय मामलों की स्थिति:

अभिलेखों के अनुसार, सीवीपीपीपीएल से संबंधित कुल 18 मामले विभिन्न न्यायालयों/फोरमों के समक्ष निर्णयाधीन थे (2021-22)।

मामलों का विवरण इस प्रकार है:-

1. लोक हित संबंधी मुकदमेबाजी : शून्य
2. सेवा रिट याचिका : 06
3. अन्य रिट याचिकाएं : 03
4. माध्यस्थम मामले : 02
5. सिविल वाद : 03
6. अवमानना याचिकाएं : 03
7. माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए आवेदन : 01

➤ वर्ष 2021-22 के दौरान निर्णीत मामलों की संख्या ग्यारह (11) थी और 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 07(सात) थी।

36. सूचना का अधिकार:

सीवीपीपीपीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन किया है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आरटीआई आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया है और उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया गया है।

सराहना:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल जम्मू-कश्मीर सरकार, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीपीएल के प्रवर्तकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिसके अभाव में कंपनी अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

आपके निदेशक सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की सभी एजेंसियों, उनके अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता है जिन्होंने अत्यंत बहादुरी से कोविड महामारी का सामना किया और आवश्यक सेवाओं को चालू रखा।

आपके निदेशक सीवीपीपीपीएल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की भी उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 07.09.2022

अनुबंध-1
रेशी एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव

कार्यालय :- तीसरा तल, जेलान शॉपिंग मॉल, निकट अक्सा मॉल, सराई पायीन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-
190001

मोबाइल नं. :- 9906772505, 0194-2488272, ई-मेल:- cs.jeelani@gmail.com, वेबसाइट :
www.reshiandassociates.com

फार्म सं. एमआर 3
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और
पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुपालन में)

सेवा में,
सदस्यगण,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,
रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

मैंने, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321) (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है), द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उचित कारपोरेट कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालयीन लेखा-परीक्षा की है।

सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने मुझे कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उस अपनी राय जाहिर करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के सांविधिक रजिस्ट्रों, बही, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान सूचना, के आधार पर, मैं एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः इसमें सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा संभव सीमा तक अनुपालन तंत्र मौजूद है, और इनका पालन नीचे सूचित रीति एवं तरीके से किया गया है :

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों एवं फाइल किए गए रिटर्नों और मुझे मुहैया करवाए गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है जो निम्न उपबंधों के अनुरूप हैं, और कंपनी ने नीचे उल्लेख किए गए के सिवाय उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है :-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत नियम; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (iii) डिपोजिट्री अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन तथा उपविधियां; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियमन; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशा-निर्देश :-

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों की खरीद एवं वास्तविक अधिग्रहण) विनियमन, 2011; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गत करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वीट इक्विटी) विनियम, 2021 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को निर्गत करना तथा सूचीकरण) विनियमन, 2021 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को निर्गत करना तथा सूचीकरण) विनियमन, 2008; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यापार के संबंध में जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट के पंजीयक) विनियमन, 1993; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2021 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापस क्रय) विनियमन, 2018 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (vi) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य विधियों को व्यापक रूप से अनुपालन किया गया है। मैंने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
- (क) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक - एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों से संबंधित) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों से संबंधित)। कंपनी ने रिपोर्ट में उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन सम्यक रूप से किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

(ग) सभी निदेशकों को बोर्ड/समिति की निर्धारित बैठकों के पूरे होने के संबंध में कम-से-कम सात दिन पूर्व उसकी पर्याप्त सूचना दी गई थी, सिवाय ऐसे मामलों में, जहां बैठकें अल्प सूचना पर आयोजित की गई थीं। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम तौर पर भेजी गई थीं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है। निर्णय बहुमत के आधार पर किए गए थे जबकि असहमत सदस्यों के विचार लिए गए थे और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया था।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की का अनुवीक्षण करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों के अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों के अनुरक्षण की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी और अन्य अभिहित वृत्तिकों द्वारा समीक्षा के अधधीन है।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ घटित हुईं जिनका उपरोक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा:

- (i) कंपनी ने पूर्णतः संदत्त के रूप में 10/- के मूल्य के 2,43,88,00,000/- रुपये की राशि के 24,38,80,000 इक्विटी शेयर अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड को 10,01,50,000 और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 14,37,30,000 शेयर आवंटित किए हैं।
- (ii) कंपनी ने शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपनी अधिकृत पूंजी 3500.00 करोड़ रुपये से बढ़ा 52,00.00 करोड़ रुपये कर दी है जिसे 10/- प्रत्येक के 5,20,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।
- (iii) कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड को पूर्णतः संदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 14,79,40,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। जिनकी राशि रुपए 147,94,00,000/- है।
- (iv) कंपनी ने इस अवधि के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड से उसके पत्र दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से सहमति प्राप्त करने, जम्मू-कश्मीर सरकार का उसके दिनांक 12.05.2021 के पत्र के साथ पठित दिनांक 01.01.2021 के एसी निर्णय संख्या 05/01/2021 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने और ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए दिनांक 24.06.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड के 2% इक्विटी शेयरों को एनएचपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। और की मंजूरी के बाद। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी हो गई है।
- (v) कंपनी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 10,28,50,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 102,85,00,000/- रुपए है।
- (vi) कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये के मूल्य के 220,72,00,000 रुपये की राशि वाले 22,07,20,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनमें से एनएचपीसी लिमिटेड को 15,81,50,000 और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 6,25,70,000 शेयरों का आबंटन किया गया।
- (vii) कंपनी ने एनएचपीसी को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 1,41,28,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 14,12,80,000/- रुपए है।
- (viii) कंपनी के बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर सरकार और भारत सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के उपबंधों के अनुसरण में, रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय को अनुमोदन प्रदान किया।

**कृते रेशी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

हस्ता./-
गुलाम जेलानी रेशी
(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 8720; सी पी सं. : 10020
फर्म पंजीकरण सं. 52011जेके536600
यूडीआईएन : एफ008720डी000880008
सखा समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 2125/2022

स्थान : श्रीनगर
दिनांक : 30 अगस्त, 2022

इस रिपोर्ट को "अनुलग्नक-क" के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

रेशी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कार्यालय :- तीसरा तल, जेलान शॉपिंग मॉल, निकट अक्सा मॉल, सराई पायीन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190001
मोबाइल नं. :- 9906772505, 0194-2488272, ई-मेल:- cs.jeelani@gmail.com, वेबसाइट : www.reshiandassociates.com

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,
रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएं :

- 1- सचिवालयीन रिकॉर्ड का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
- 2- मैंने उन लेखा परीक्षा पद्धतियों एवं कार्य-विधियों का अनुपालन किया है जो मेरी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की शुद्धता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मुझे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया था।
- 3- सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर उनका सत्यापन किया गया। मैं मानता हूँ कि पद्धतियों एवं कार्य-विधियों जिनका हमने अनुसरण किया, मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
- 4- जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमनों और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- 5- कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों के उपबंधों, नियमों, विनियमनों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षा आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन की जांच तक सीमित थीं।
- 6- सचिवालयीन लेखा परीक्षा न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का एवं न ही उस क्षमता अथवा प्रभावात्मकता का आश्वासन है जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने मामलों का संचालन किया है।

कृते रेशी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
गुलाम जेलानी रेशी
(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 8720; सी पी सं. : 10020
फर्म पंजीकरण सं. 52011जेके536600
यूडीआईएन : एफ008720डी000880008
सखा समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 2125/2022

स्थान : श्रीनगर
दिनांक : 30 अगस्त, 2022

फार्म संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र लेन-देनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित पक्षों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटन के लिए फार्म

1. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर नहीं किए गए लेन देनों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार को करने का औचित्य	
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	

2. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर किए गए लेन देनों का विवरण :

(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	एनएचपीसी लिमिटेड, प्रमोटर
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	परामर्शी प्रभार
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	परामर्शी अनुबंध के अनुसार
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	परामर्शी प्रभार (2021-22 के लिए 24,99,58,877 रुपए, जीएसटी सहित)
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	दिनांक 11.06.2013 (किरु और क्वार एचईपी), 09.01.2017 (पकल दुल एचईपी) और 19.03.2021 (कीरथी एचईपी) के अनुबंध के अनुसार।
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-

सुरेश कुमार
अध्यक्ष

डीआईएन - 06440021

दिनांक : 07 सितम्बर, 2022

स्थान : जम्मू

भारत सरकार
भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर

सं. : टीएससी/बीएस/सीवीपीपीपीएल/2022-23/121
दिनांक : 18.08.2022

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
प्रधान कार्यालय, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
चिनाब जल शक्ति भवन,
जम्मू।

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मुझे 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि की सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाए जाएं।

कृपया पावती दे।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
हस्ता./-
वरिष्ठ उप महालेखाकार (एमएमजी-।।)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 13 मई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यवाही कागजात की उपलब्धता के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जाँच तक सीमित थी। अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत मेरी जानकारी में आए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाना चाहूंगा और जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

क. सामान्य

लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

शेष राशि की पुष्टि के संबंध में बिंदु संख्या 12 पर किया गया प्रकटीकरण उचित नहीं है क्योंकि टिप्पणी में प्रकट की गई 406.06 करोड़ रुपये की राशि में विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं के प्रति 31.03.2022 तक 29.41 करोड़ रुपये का पूंजी अग्रिम शामिल नहीं है। इसके अलावा, सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं से इस राशि के अग्रिमों के लिए पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई है।

ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अनुबंध-क

(i) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क के बिंदु संख्या (ix) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। यह वक्तव्य इस तथ्य के विपरीत है कि कंपनी को वर्ष 2021-22 के दौरान अधीनस्थ ऋण के रूप में भारत सरकार से 598.57 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई जो वाणिज्यिक संचालन के 8वें वर्ष से शुरू होते हुए 12 वर्षों में चुकाने योग्य थी।

(ii) बिंदु संख्या (xvii) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान 2.16 करोड़ रुपये की निवल लेखांकन और 3.17 करोड़ रुपये की नकद हानि हानि हुई है।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
प्रधान महालेखाकार
जम्मू एवं कश्मीर**

स्थान : जम्मू

दिनांक : 18 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
<p>क. सामान्य लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां</p> <p>शेष राशि की पुष्टि के संबंध में बिंदु संख्या 12 पर किया गया प्रकटीकरण उचित नहीं है क्योंकि टिप्पणी में प्रकट की गई 406.06 करोड़ रुपये की राशि में विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं के प्रति 31.03.2022 तक 29.41 करोड़ रुपये का पूंजी अग्रिम शामिल नहीं है। इसके अलावा, सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं से इस राशि के अग्रिमों के लिए पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई है।</p> <p>ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध-क</p> <p>(i) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क के बिंदु संख्या (ix) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। यह वक्तव्य इस तथ्य के विपरीत है कि कंपनी को वर्ष 2021-22 के दौरान अधीनस्थ ऋण के रूप में भारत सरकार से 598.57 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई जो वाणिज्यिक संचालन के 8वें वर्ष से शुरू होते हुए 12 वर्षों में चुकाने योग्य थी।</p> <p>(ii) बिंदु संख्या (xvii) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान 2.16 करोड़ रुपये की निवल लेखाकंन और 3.17 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई है।</p>	<p>क</p> <p>सीएजी की टिप्पणी सीवीपीपीपीएल के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के बिंदु संख्या 12 पर शेष राशि की पुष्टि के बारे में प्रकटीकरण से संबंधित है, जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रबंधन ने सीएजी की टिप्पणी के अनुपालन में इसे संरक्षित करने के लिए पूर्वोक्त टिप्पणी को संशोधित किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी वार्षिक लेखाओं की टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 12 में प्रबंधन द्वारा किए गए परिवर्तनों से सहमति व्यक्त की है (प्रतिलिपि संलग्न)।</p> <p>ख (i) और ख (ii)</p> <p>सीएजी की टिप्पणी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित है और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 24.08.2022 की युक्तिका जारी की है जिसमें उन्होंने सीएजी की टिप्पणी के अनुपालन में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उससे संरक्षित करने के लिए अपनी दिनांक 13.05.2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन किए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।</p>

टिप्पणी सं. - 34 : 31.03.2022 के अनुसार लेखा पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 34 की मद सं. 12 को निम्नवत संशोधित किया गया है :

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है :

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5,00,000/- रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2021 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2022 को बकाया निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रूप में)		
	31.12.2021 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2022 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित)			
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम	3710458294	3689563674	4354857860
व्यापार/अन्य देय	77678458	37797423	541394120
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	138756555	136442746	138687334

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए राज कुमार मेहरा)

साझेदार

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

हस्ता./-

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(हसन नदीम)

प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परिशिष्ट

सेवा में,

सदस्यगण

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड

हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर दिनांक 13.05.2022 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की निम्नलिखित मदों पर संशोधन किए हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	विद्यमान रिपोर्ट	संशोधित रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की मद सं. ((ix)	“ हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक और सरकार से ऋण या उधार नहीं लिया है अथवा कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के खंड 3((ix) (क) से 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।”	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक और सरकार से ऋण या उधार की चुकौती में कोई चूक नहीं की है अथवा कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के खंड 3((ix) (क) से 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।”
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की मद सं. (17)	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि वहन नहीं की है।”	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई नकद हानि वहन नहीं की है। तथापि, कंपनी ने तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.17 करोड़ रुपए की निवल लेखांकन हानि और 2.16 करोड़ रुपए की नकदी हानि वहन की है।”

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए राज कुमार मेहरा)

साझेदार

सदस्यता सं. 501305

फॉर्म एमजीटी - 9

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उद्धरण का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

- (i) सीआईएन (कंपनी अधिनिगमन संख्या) : यू40105जेके2011पीटीसी003321
- (ii) पंजीकरण की तारीख : 13/06/2011
- (iii) कंपनी का नाम : चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
- (iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ भारत गैर-सरकारी कंपनी
- (v) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, 180012-जम्मू-कश्मीर
- (vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
- (vii) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को बताया जाए

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद और सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा (जल विद्युत) का उत्पादन	35101	100

III. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक / सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू खंड
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2021 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में 31.03.2022 को शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रमोटर									
भारतीय									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	शून्य	4	4	0.00	-	4	4	0.00	शून्य
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	2479779996	2479779996	100	शून्य	3336451282	3336451282	100	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1) :-	शून्य	2479780000	2479780000			3336451286	3336451286	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (1) :-		शून्य							
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	-	2479780000	2479780000	100	शून्य	3336451286	3336451286	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान		शून्य							
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-

झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप - योग (ख)(1) :-		शून्य							
2. गैर - संस्थान		शून्य							
क) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपये तक नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप - योग (ख)(2): -	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) + (ख)(2)	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-		-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	-	2479780000	2479780000	100	शून्य	3336451286	3336451286	100	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत	
01.	जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1187849999	47.9	शून्य	जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1496999999	44.87	शून्य	(3.03)
02.	ए के चौधरी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	रजत गुप्ता (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
03.	एनएचपीसी लिमिटेड	1287849997	51.9	शून्य	एनएचपीसी लिमिटेड	1839451286	55.13	शून्य	3.23
* 04.	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	4080000	0.20	शून्य					
05.	एन के चौधरी (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
06.	वी के मैनी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	वाई के चौबे (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
07.	एम के मित्तल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
	कुल शेयर	2479780000	100	शून्य		3336451286	100	शून्य	शून्य

* पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 40800000 रुपए की हिस्सेदारी, 24.06.2021 को एनएचपीसी लिमिटेड को अंतरित कर दी गई है।

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की प्रारंभ में	2479780000	100	3336451286	100
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	वर्ष 2021-22 के दौरान जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 3091500000 रुपये और एनएचपीसी लिमिटेड को 5475212860 रुपये के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों का आवंटन। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल अतिरिक्त आवंटन : 8566712860 रुपए।			
	वर्ष के अंत में	2479780000	100	3336451286	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की प्रारंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हो गए हों)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की शेयरधारिता

क्रम सं.	निदेशक और केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2021 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	निदेशक				
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		1	
2.	श्री अटल डुल्लू, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)				
3.	श्री नितीश्वर कुमार, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		-	
4.	श्री आर पी गोयल (एनएचपीसी की ओर से)	-		1	
5.	श्री वाई के चौबे (एनएचपीसी की ओर से)	-		1	
6.	श्री रजत गुप्ता (एनएचपीसी की ओर से)	1		1	
ख.	केएमपी				
	श्री सुधीर आनंद (कंपनी सचिव)	-		-	

* 10/- रुपये प्रत्येक का एक इक्विटी शेयर दिनांक 24.06.2021 श्री पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड से एनएचपीसी लिमिटेड से अंतरित कर दिया गया है।

* 10/- रुपये प्रत्येक का एक इक्विटी शेयर दिनांक 09.12.2021 को श्री ए के चौधरी से श्री रजत गुप्ता को अंतरित किया गया है।

* 10/- रुपये प्रत्येक का एक इक्विटी शेयर दिनांक 18.02.2022 को श्री वी के मैनी से श्री वाई के चौबे को अंतरित किया गया है।

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज किंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
* परिवर्धन	-	-	-	-
* कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ निदेशक का नाम - ए के चौधरी (01.04.2020-30.09.2021)	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ निदेशक का नाम - रजत गुप्ता (01.10.2021-31.03.2022)	कुल राशि
1.	सकल वेतन		-	-
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन*	71,17,456	40,51,163	-
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	28,050	1,12,844	-
	ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	शून्य
3.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
4.	स्वीट इक्विटी	-	-	शून्य
5.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	(नियोक्ता से पीएफ अंशदान) - अन्य, निर्दिष्ट करें...	-	-	-

6.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	5,61,669	3,89,425	-	-	9,51,094.00
	कुल (क)	77,07,175	45,53,432	-	-	1,22,60,607.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में उस अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार भुगतान किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) शामिल है।

** अन्य में लीज रेंट, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन फंड (समान अंशदान) आदि शामिल हैं, जिन्हें बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

ख. (ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	शून्य
	* बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	शून्य
	* कमीशन	-	-	-	-	शून्य
	* अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
						शून्य
	कुल (1)	-	-	-	-	शून्य
	2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	सुरेश कुमार (अध्यक्ष)	-	-	-	शून्य
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	शून्य
	कमीशन	-	-	-	-	शून्य
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	शून्य
	* अन्य (निर्दिष्ट करें...।	20,31,082	-	-	-	20,31,082.00
	कुल (2)	20,31,082	-	-	-	20,31,082.00
	कुल (ख) = (1+2)	20,31,082	-	-	-	20,31,082.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	-	-	-	-	शून्य

*पारिश्रमिक 01.04.2021 से 31.03.2022 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी सहित)

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कर्मी		
		कंपनी सचिव (सुधीर आनंद)		कुल
1.	सकल वेतन		-	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन*	21,87,566	-	21,87,566.00

	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	23,483	-	23,483.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	-	-	शून्य
4.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	2,19,281	-	2,19,281.00
	कुल	24,30,330	-	24,30,330.00

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन

** अन्य में लीज रेंट, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन फंड (समान योगदान) आदि शामिल हैं, जो बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं थे।

VI. शास्ति/दण्ड/अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दण्ड/ शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी:					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
हस्ता./-

दिनांक : 07.09.2022
स्थान : जम्मू

सुरेश कुमार, आईएएस, (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष
डीआईएन- 06440021

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2021-22)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नीति की मुख्य विशेषताएं :

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा। कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय

योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है। सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे। किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00 *
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00 **
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00 ***	3,11,627.00
कुल		97,82,324.00	78,08,500.00

*व्यय न की गई 9,43,325.00 रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2020-21 में अग्रेनीत किया गया।

**इसमें 9,43,325.00 रुपये की अग्रेनीत अव्ययित राशि का व्यय और 3,60,220.00 रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

***बोर्ड द्वारा, 1,20,070.00 रुपये की अतिरिक्त व्यय की गई राशि को वित्त वर्ष 2021-22 की सीएसआर दायित्व राशि में से घटाने का अनुमोदन किया गया। पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये घटाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व राशि 25,29,757.00 रुपये थी।

सीवीपीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)					
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	कुल
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	6,98,460 .00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00	0.00	0.00	12,39,820 .00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00	13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00	0.00	1,99,240.00	42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00	0.00	0.00	3,11,627.00
कुल	36,92,979 .00	34,16,245.00	1,24,125 .00	1,76,229 .00	3,98,922 .00	78,08,500.00

वित्त वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना, सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी जिस में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना) के अंतर्गत एक सीएसआर क्रियाकलाप अर्थात् "21 स्कूलों में जल भंडारण सुविधा एवं जलशोधन सुविधा प्रदान करना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण" को पकल दुल जलविद्युत परियोजना (11 स्कूलों में) और किरु जलविद्युत परियोजना (10 स्कूलों में) द्वारा 25,54,121.00 रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ क्रियान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस क्रियाकलाप को, प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन के लिए एक-वर्षीय क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें 21 स्कूलों में 24 जल भंडारण टैंक (स्थापना के साथ), 46 जलशोधक और 48 शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य शामिल था। तथापि, यह क्रियाकलाप पूर्ण नहीं किया जा सका और इसे वित्तीय वर्ष में आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया जिसमें जल भंडारण टैंक और जलशोधक खरीदे गए और संबंधित स्कूलों को प्रदान किए गए, जबकि स्कूलों में पानी की टंकियों की स्थापना और शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य निविदा प्रक्रिया के अधीन है। तत्पश्चात, बोर्ड ने कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि में विस्तार को मंजूरी दी और निधियों के वर्ष-वार आवंटन के साथ क्रियाकलाप को जारी-क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया। आवंटित बजट में से, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,11,627.00 रुपये का व्यय किया गया तथा शेष अव्ययित 22,42,494.00 रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिन की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर "सीवीपीपीपीएल अव्ययित सीएसआर खाता वित्त वर्ष 2021-22" में अंतरित किया गया। अव्ययित राशि का व्यय लागू सीएसआर मानदंडों और सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में, निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाएगा।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में परियोजना स्तर पर गठित विभागीय निगरानी समितियों और नोडल अधिकारी (सीएसआर) द्वारा अनुमोदित क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी की गई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित धन का उपयोग केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य एवं रीति के अनुसार ही किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं और अनुमोदित मर्दों/कार्यों की स्कूल-वार सूची **परिशिष्ट-2** में दी गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसरण में, सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता सीवीपीपीपीएल पर लागू नहीं होती है और इसलिए सीएसआर समिति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

तथापि, पूर्व में गठित सीएसआर समिति की एक बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 05.08.2021 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की गई थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सम्पन्न सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री रोहित कंसल, आईएस	अध्यक्ष (नामित निदेशक)	01	01
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य (नामित निदेशक)		01
3.	श्री ए के चौधरी	सदस्य (प्रबंध निदेशक)		01

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों और सीएसआर समिति के संबंध में अपेक्षित जानकारी सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है, का विवरण:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रुपये में)
1.	2018-19	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	2020-21	3,60,220.00	1,20,073.00
कुल		3,60,220.00	1,20,073.00

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ:

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए सीवीपीपीपीएल का औसत निवल लाभ **13,24,91,484.00 रुपये** था जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (रुपये)	औसत निवल लाभ (रुपये)
1.	2018-19	19,01,77,853.00	13,24,91,484.00
2.	2019-20	19,47,73,715.00	
3.	2020-21	1,25,22,883.00	

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

26,49,830.00 रुपये

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष :

शून्य रूपए

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो:

1,20,073.00 रुपये

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):

25,29,757.00 रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
3,11,627.00	22,42,494.00	26.04.2022	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन के लिए एकल-वर्षीय गतिविधि के रूप में सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, प्रारंभ में, एक सीएसआर क्रियाकलाप को अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, क्रियाकलाप को वित्तीय वर्ष में आंशिक रूप से ही लागू किया जा सका, जिसके कारण बोर्ड द्वारा उस क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समय अवधि को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया था और क्रियाकलाप को जारी-क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	राज्य	ज़िला	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति-सीधे (हां/नहीं)	नाम	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/ नवीकरण कराना।	मद सं. i. स्वास्थ्य सेवा का संवर्धन (स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना)	हाँ	जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	जम्मू और कश्मीर	24 माह	25,54,121.00	3,11,627.00	22,42,494.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान राज्य ज़िला	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से नाम सीएसआर पंजीकरण संख्या
वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी क्रियाकलाप के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया गया।							

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 3,11,627.00 रुपये

(छ) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अतिरिक्त (अधिक व्ययित) राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	25,29,757.00 *
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	3,11,627.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	शून्य
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

*पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये के समायोजन (सेट-ऑफ) के पश्चात धारा 135(5)के अनुसार कंपनी की सांविधिक सीएसआर बाध्यता।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्योरा:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपयोग के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि उपलब्ध नहीं थी।							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित राशि (रुपये में)	वित्तीय संचयी पूर्ण / जारी	परियोजना की स्थिति -
लागू नहीं। पिछले वित्तीय वर्षों की कोई भी जारी परियोजनाएँ नहीं थीं।									

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजनया अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआरव्यय के माध्यम से सृजित या अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण):
वित्तीय वर्ष में सीएसआरव्यय के माध्यम से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण नहीं किया गया।
- क. पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि:
लागू नहीं।
- ख. पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि:
लागू नहीं।
- ग. उस कंपनी या निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि:
लागू नहीं।
- घ. सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूरे पते और अवस्थिति सहित) :
लागू नहीं।
11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है:
सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित क्रियाकलाप अर्थात "21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण कराना" में दो घटक शामिल थे, जिनमें से केवल पहले घटक अर्थात जल भंडारण टैंकों और जलशोधकों की खरीद का कार्य ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण हो पाया तथा उपार्जित सामग्री तत्काल उपयोग हेतु संबन्धित विद्यालयों को सौंपदी गई। तथापि, विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत / नवीकरण और पानी की टंकियों की स्थापना के लिए सिविल कार्यों से जुड़ा दूसरा घटक निविदा प्रक्रिया में है और इसे वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका। सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया और क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समायावधि के विस्तार के साथ 'जारी-क्रियाकलाप' के रूप में अनुमोदित किया गया है।

हस्ता/-
सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष सीवीपीपीपीएल

हस्ता/-
हसन नदीम
प्रबंध निदेशक सीवीपीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र



राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिंजराड़ी ,ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय टपलपुरा, ग्राम दूल



राजकीय अपर प्राथमिकविद्यालय क्राइपखनू, ग्राम लोपारा



राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगूल, ग्राम दूल



राजकीय प्राथमिक विद्यालय दासा, ग्राम दूल



राजकीय माध्यमिक विद्यालय बटपुरा, ग्राम दूल



राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलिकपुरा, ग्राम दूल



राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दूल, ग्राम दूल



राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय करूर, ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरू, ग्राम गलहार



राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांपली, ग्राम गलहार

परिशिष्ट-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 केजारी सीएसआर क्रियाकलाप के अंतर्गत अनुमोदित वस्तुओं और कार्यों की
विद्यालय-वार सूची

जारी सीएसआर क्रियाकलाप	21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण।
क्षेत्र	स्वास्थ्य सेवा (स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना)।

सीएसआर क्रियाकलाप के लिए चिन्हित विद्यालय का नाम	मद/कार्य का नाम	मात्रा
क. पकल दूध जलविद्युत परियोजना द्वारा सुदृढीकरण हेतु चिन्हित विद्यालय (11 विद्यालय)		
1. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय पिंजराड़ी, ग्राम सौन्दर (दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
2. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय ट्रेथल, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
3. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय टपलपुरा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	04
4. राजकीय उच्च प्राथमिक (अपर प्राइमरी) विद्यालय क्राइपखनू, ग्राम लोपारा (दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
5. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय नागूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	03
6. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय इखाला, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
7. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय दासा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
8. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय बटपुरा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	05
9. राजकीय बालिका पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय करूर, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	01
10. राजकीय उच्चतर माध्यमिक (हायर सैकेंडरी) विद्यालय दूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	05
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
11. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय मलिकपुरादूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	03
ख. किरू जलविद्युत परियोजना द्वारा सुदृढीकरण हेतु चिन्हित विद्यालय (10 विद्यालय)		
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (हाइ स्कूल)पत्थरनक्की, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
13. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय किरू, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
14. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय चिंगनाना, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02

किश्तवाड़।		
15. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय बेलाछिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
16. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (हाइ स्कूल) गलहार, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
17. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय गुज्जर बस्ती छिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
18. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय कढ़ेणी, ग्राम नवनट्टू (पियास), ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
19. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय चांपलीगलहार, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
20. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय पियास, ग्राम पियास, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
21. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय छिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

(एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम)

सीआईएन :यू40105जेके2011पीटीसी003321

**31 मार्च, 2022 को यथास्थिति वित्तीय विवरण
(अंक रुपए में)**

कारपोरेट कार्यालय
चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने
रेल हेड काम्प्लेक्स
जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

जेएसवीपी & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
108/ए -1, प्रथम फ्लोर नॉर्थ ब्लॉक
बहु प्लाज़ा, जम्मू-180012

टेलीफ़ोन : (0) 0191-2475848
सेल : 9419181848
9419183620
ईमेल : jsvpca@gmail.com
jsvpca@rediffmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, और यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित है (जिसे एतदपश्चात "एकल वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2022 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तात करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरण पर हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

कंपनी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रही है और ऐसे में राजस्व उत्पादक इकाइयों को शामिल करने पर व्यय किया जा रहा है और वर्तमान में राजस्व अर्जन का कोई स्रोत नहीं है। कंपनी का लाभ केवल अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर अर्जित होने वाली ब्याज आय से ही है। लेखापरीक्षा और प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श के दौरान हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मला नहीं मिला जिसे सूचित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपर्युक्तानुसार कथित अन्य सूचना को हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिन्हित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर यथावर्णित अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभारियों को उस मामले से अवगत कराना होगा और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) एकल वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ

परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य मामले

1. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, प्रवर्तकों यथा एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी से इक्विटी योगदान की स्थिति क्रमशः 1839,45,12,860/- रुपए (55.13%) और 1497,00,00,000/- रुपए (44.87%) थी। चूंकि एनएचपीसी लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 50% से अधिक भाग धारित करती है, सीवीपीपीपीएल एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बन गई है। अतः सीवीपीपीपीएल कंपनी, जो भले ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ने मानित सार्वजनिक कंपनी (सार्वजनिक कंपनी की अनुषंगी होने के नाते) का दर्जा हासिल कर लिया है।
2. पीटीसी का शेयर अर्थात् 4.08 करोड़ रुपए (2%) खरीदने के बाद एनएचपीसी लिमिटेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 1839.45 करोड़ रुपए (51%) है, और प्रवर्तक के करार के अनुसार जेकेएसपीडीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी में मिलान राशि (अनुपात 49 + 2 = 51:49) प्रतिबिंबित होनी चाहिए। इसलिए जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रवर्तक के योगदान में 270.32 करोड़ रुपये की कमी हुई है।
3. संगम-अनुच्छेदों के अनुसार निदेशकों की न्यूनतम संख्या चार है जबकि प्रवर्तक के करार के अनुसार यह दस होनी चाहिए। प्रवर्तक के करार के अनुरूप लाने के लिए संगम-अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया गया है। (एओए के खंड 113 के अनुसार)।
4. वर्ष के दौरान, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाओं में राज्य माल और सेवाओं के उपयोग पर एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के बारे में अधिसूचना का.आ.281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से एक योजना अधिसूचित की है। पूर्वोक्त अधिसूचना और पश्चातवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति एसजीएसटी पर बीजकों पर की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2ए में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर किए गए नकद भुगतान परिलक्षित होते हैं। अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, कंपनी ने राज्य कर विभाग के पास 31.12.2021 तक 62,81,47,581/- रुपये की राशि का दावा दायर किया है। विभाग के पास दायर कुल दावों में से, 61,51,66,059/- रुपये कंपनी के जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होते हैं, जिन्हें पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के प्रति तदनुरूपी समायोजन के साथ राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में लेखाओं की बहियों में मान्यता दी गई है और शेष 1,29,81,522/- रुपए जो जीएसटीआर 2ए में नहीं दिख रहे हैं, पहले से ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा 31.03.2022 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए 13,19,03,978/- रुपये की राशि के दावे अभी संबंधित विभाग के पास दायर किए जाने हैं क्योंकि दावा दायर करने की अंतिम तिथि 30.06.2022 है। कुल राशि में से, 13,06,01,821/- रुपए की राशि कंपनी के जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित हो रही है, जिसे पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुरूपी समायोजन के साथ सेवा कर विभाग से वसूलीयोग्य के रूप में लेखाओं की बहियों में मान्यता दी गई है और शेष 13,02,157/- रुपए जो जीएसटीआर 2ए में नहीं दिख रहे हैं, उन्हें पहले से ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।
5. एनएचपीएल लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, किरथाई चरण-II एचईपी परियोजना (930 मेगावाट) को निष्पादन के लिए सीवीपीपीएल को सौंपा गया है। वर्ष के दौरान किरथाई चरण-II परियोजना की ओर से पकल दुल जलविद्युत परियोजना द्वारा 3,78,52,854/- रुपए (पिछले वर्ष रुपए 34,37,497/-) का व्यय किया गया है। इसके

अलावा, किरथाई परियोजना के लिए अलग से लेखा बहियां तैयार नहीं की गई हैं; तथापि ज्ञापन लेखाओं का अनुरक्षण किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुबंध-1" में देते हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाले निदेश जारी किए हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारी राय में उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
 - (ङ.) एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा(2) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक कारगरता कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
 - (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि :
 - (i) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है - टिप्पणी संख्या 34 (लेखे पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां) - बिंदु सं.1(क)(i) और बिंदु सं.2(क) देखें।
 - (ii) कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं के लिए भावी ठोस अनुमान योग्य हानियां नहीं हैं और इसलिए कंपनी पर लागू होने के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं है।
 - (iv) (a) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों), जिसमें में विदेशी इकाइयां ('मध्यवर्ती') भी शामिल हैं, कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है अथवा ऋण पर नहीं दी गई है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या धनराशि के किसी अन्य स्रोत से), जिसमें यह इस समझ शामिल है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि अनुषंगियाँ किसी भी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से उधार देंगी या उनमें निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(b) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें विदेशी इकाइयां ('वित्तपोषण पक्षकार') भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी सम्मिलित है कि कंपनी वित्तपोषण पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को किसी भी तरह से या उधार देंगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(c) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (I) और (II) के तहत प्रस्तुतियों कोई भी तात्विक अनुचित विवरण शामिल है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश को घोषित नहीं किया है या उसका भुगतान नहीं किया है।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या. 003435एन)

हस्ता-/.
(सीए ईशा सिंह)
साझेदार
(सदस्यता संख्या.564908)
यूडीआईएन : 22564908एआईवाईडीवीयू9431

स्थान : जम्मू
दिनांक : 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'ए'

(चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट" खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

(i) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्यतः उचित अभिलेख अनुरक्षित किया है जिसमें अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाया गया है।

(ख) कंपनी के पास एक चरणबद्ध अवधि में अचल परिसंपत्तियों की सभी मदों को कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। इस कार्यक्रम के अनुरूप कुछ स्थिर परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) निम्नलिखित अचल परिसंपत्तियों के लिए कंपनी द्वारा संदत्त निम्नलिखित राशियों के संबंध में, हक विलेखों की स्थिति निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	भूमि की प्रकृति	राशि करोड़ में	अभियुक्तियां
कारपोरेट कार्यालय	पूर्ण स्वामित्व	6.00	राजस्व अभिलेख में नाम परिवर्तन कंपनी के नाम पर दर्ज किया गया है।
पकल दुल	उपयोग का अधिकार	435.47	भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है।
	उपयोग का अधिकार	8.19	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2018 के आदेश संख्या 2018 का 207-एफएसटी द्वारा भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है।
	पट्टाधारी	242.06	राजस्व अभिलेख में नामपरिवर्तन सीवीपीपीपीएल (पकल दुल) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर दर्ज किया गया है।
किरु	उपयोग का अधिकार	9.98	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2016 के आदेश संख्या 2016 का 143-एफएसटी द्वारा भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है।
	पट्टाधारी	134.64	राजस्व अभिलेख में नामपरिवर्तन सीवीपीपीपीएल (किरु) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर दर्ज किया गया है।
क्कार	उपयोग का अधिकार	3.88	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 08.08.2014 के आदेश संख्या 2014 का 268-एफएसटी द्वारा भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है।
	पूर्ण स्वामित्व	18.83	राजस्व अभिलेख में नामपरिवर्तन सीवीपीपीपीएल (क्कार) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर दर्ज किया गया है।

(घ) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान इसकी किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों अथवा दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ.) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई

- कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। अतः आदेश का खंड 3(i)(ड.) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (ii) (क) कंपनी ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस तरह इसके पास कोई वस्तु-सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक राशिकी कोई कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पक्षकारों किसी भी प्रकार का ऋण, प्रतिभूत अथवा गैर-प्रतिभूत, नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii) (क) से 3 (iii) (च) लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने वर्ष के दौरान निक्षेप स्वीकार नहीं किए हैं और उसके पास 31 मार्च, 2022 तक कोई अदावाकृत निक्षेप नहीं है, अतः आदेश के खंड 3 (v) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (vi) कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार क्रियाकलापों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः आदेश का खंड 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (vii) सांविधिक देयों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- (क) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर और अन्य यथा लागू भौतिक सांविधिक देनदारियों जैसी अविवादित सांविधिक देनदारियां नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करवा रही है।
इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2022 को भुगतान के लिए देय तिथि से छह माह से अधिक समय तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर और अन्य यथा लागू भौतिक सांविधिक देनदारियों जैसी अविवादित सांविधिक देनदारियों की कोई बकाया देनदारी नहीं थी।
- (ख) 31 मार्च, 2022 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर और अन्य भौतिक सांविधिक देनदारियों की कोई विवादित बकाया देनदारी नहीं थी।
- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी लेन-देन को आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है, जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (ix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक तथा सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है अथवा डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के खंड 3 (ix) (क) से 3 (ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- (x) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और न ही शेयरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, अतः आदेश के खंड 3(x)(क) और 3(x)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- (xi) (क) वित्तीय विवरणों पर सही और उचित मत सूचित करने के उद्देश्य के लिए निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं देखा गया है या प्रतिवेदित किया गया है।
(ख) वर्ष के दौरान कंपनी नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत विहित प्ररूप एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के अधीन कोई रिपोर्ट दायर नहीं की है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान सूचना प्रदाता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः आदेश के खंड 3(xii) (क) से 3(xii) (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और रिकार्डों के हमारे परीक्षण पर संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार के आवश्यक विवरण एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, जैसाकि लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।
- (xiv) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
(ख) जी हां, लेखापरीक्षा अवधि के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन तथा कंपनी के रिकार्डों के हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के तहत रजिस्ट्रीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- (xvii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी ऐसे तात्विक अनिश्चितता मौजूद नहीं है जिससे कंपनी तुलन-पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब भी वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हों।
- (xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,
(क) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (6) के उपबंध के अनुपालन में अव्ययित राशि को विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

(xxi)

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता-/.
(सीए ईशा सिंह)
साझेदार
(सदस्यता संख्या.564908)
यूडीआईएन : **22564908एआईवाईडीवीयू9431**

स्थान : जम्मू
दिनांक : 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में उल्लिखित

वर्ष 2018-19 से लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्रम सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किसी लेखांकन लेनदेन के लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभाव के बारे में हमें न ही सूचित किया गया है और न ही हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कुछ सामने आया है।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ आर्थिक सहायता आदि) को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी ने केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का संबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-
(सीए ईशा सिंह)
साझेदार
(सदस्यता सं. 564908)
स्थान : जम्मू
दिनांक : 13 मई, 2022



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2022 को तुलन-पत्र

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
परिसंपत्तियां			
(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	929,007,042	531,621,167
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	18,938,593,150	13,198,900,920
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	8,073,078,713	8,004,575,258
घ) निवेश सम्पत्ति	2.4	-	-
ड) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	1,525,650	2,999,831
च विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	10,641,843	10,641,843
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	-	-
ii) ऋण	3.2	892,903	1,414,538
iii) अन्य	3.3	23,468,920	1,545,289
ज) गैर वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	4	8,343,104	-
झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	5	4,538,903,899	2,942,922,585
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां		32,524,455,224	24,694,621,431
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) मालसूची	6	-	-
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) व्यापार प्राप्य	7	-	-

ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	3,943,290,654	1,975,477,344
iii) नकदी और नकदी तुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9	6,561,155,104	3,802,400,000
iv) ऋण	10	2,856,231	3,626,043
v) अन्य	11	812,983,221	62,567,875
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	12	5,174	4,373,549
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	18,305,564	22,610,362
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		11,338,595,948	5,871,055,173
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	1,059,609	61,040
कुल परिसंपत्ति		43,864,110,781	30,565,737,644
इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	33,364,512,860	24,797,800,000
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	1,540,073,245	2,932,159,547
कुल इक्विटी		34,904,586,105	27,729,959,547
(2) देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	16.1	2,081,334,005	-
i) पट्टा देयताएं	16.2	5,544,743	5,875,659
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	32,225,109	20,710,264
ख) प्रावधान	17	95,267,518	64,671,505
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	3,956,533,287	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		6,170,904,662	91,257,428
(3) वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	20.1	-	-
i) पट्टा देयताएं	20.2	7,360,727	9,575,048
ii) व्यापार देय	20.3		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		9,042,014	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		74,153,951	568,444,380
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,303,171,478	479,641,327
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	95,287,002	68,718,607
ग) प्रावधान	22	1,299,604,842	1,618,141,307
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
(4) सीओ से निधियां	15.3	-	-
कुल वर्तमान देनदारियाँ		2,788,620,014	2,744,520,669
(4) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	-	-
कुल इक्विटी और देयताएं		43,864,110,781	30,565,737,644
एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-35		
कृते जेएसवीपी एंड कंपनी सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन) हस्ता./- (सीए ईशा सिंह) साझेदार सदस्यता सं. 564908		कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से हस्ता./- (सुरेश कुमार) अध्यक्ष डीआईएन संख्या 06440021 हस्ता./- (ए के जैन) महाप्रबंधक (वित्त)	हस्ता./- (रजत गुप्ता) प्रबंध निदेशक डीआईएन संख्या 09343451 हस्ता./- (सुधीर आनंद) कंपनी सचिव एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू दिनांक : 13 मई, 2022			



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.)लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	-	-
ii) अन्य आय	24.2	313,881,017	176,321,837
कुल आय		313,881,017	176,321,837
व्यय			
i) विद्युत की खरीद - व्यापार	25.1	-	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	133,979,358	116,248,060
iv) वित्त लागत	27	295,279	278,740
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	10,546,183	10,004,060
vi) अन्य व्यय	29	44,375,244	37,268,094
कुल व्यय		189,196,064	163,798,954
असाधारण मदों, नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		124,684,953	12,522,883
असाधारण मदें		-	-
नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		124,684,953	12,522,883
कर व्यय			
i) वर्तमान कर	30.1	78,969,824	44,330,639
ii) आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		78,969,824	44,330,639
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ		45,715,129	(31,807,756)
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	998,569	61,040
वर्ष के लिए लाभ (क)		46,713,698	(31,746,716)
अन्य व्यापक आय (ख)			
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)	30.2		

(क) निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	-	-
- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन - निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं : नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	-	-
उप जोड़ (क)	-	-
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश	-	-
उप जोड़ (ख)	-	-
कुल (i)=(क)+(ख)	-	-
(ii) वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)		
- ऋण लिखतों में निवेश	-	-
कुल (ii)	-	-
अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)	46,713,698	(31,746,716)

आय (मूल और तनुकृत)
(इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/-रुपए प्रत्येक)

34(11)

नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व

0.0152

(0.0151)

नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात

0.0155

(0.0151)

एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां

1-35

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए ईशा सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 564908

स्थान : जम्मू

दिनांक : 13 मई, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./

हस्ता./-

(सुरेश कुमार)

(रजत गुप्ता)

अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक

डीआईएन

डीआईएन संख्या

नं.06440021

09343451

हस्ता./-

हस्ता./-

(ए के जैन)

(सुधीर आनंद)

महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में		
उतार-चढ़ाव सहित वर्ष के लिए कर	1256.84	125.84
पूर्व लाभ		
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष	9.99	0.61
में संचलन		
कर पूर्व लाभ	1246.85	125.23
जोड़ें :		
मूल्यहास और परिशोधन	105.46	100.04
वित्त लागत	2.95	2.79
प्रावधान (निवल हानि)	-	-
विनिमय दर अंतर (हानि)	9.99	0.61
टैरिफ समायोजन (हानि)	-	-
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री	-	-
समायोजन	-	-
संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)/बट्टे	0.71	13.88
खाते में डाले गए दावे		
	<u>119.11</u>	<u>117.31</u>
	1365.96	242.54
घटाएं :		
मूल्यहास के पश्चलेखित अग्रिम	-	
प्रावधान (निवल लाभ)	9.53	
एलडीएचसीएल में इक्विटी में परिवर्तित	-	
परामर्श शुल्क का समायोजन	-	
लाभांश आय	-	
विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज	3139.03	1763.22
आय		
विनिमय दर अंतर	-	
उचित मूल्य समायोजन	(0.04)	(0.12)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	-	
	<u>3148.52</u>	<u>1763.10</u>
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयता		
समायोजना तथा करो से पूर्व प्रचालन	(1782.56)	(1520.56)
क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		

परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन:		
मालसूची	-	
व्यापार प्राप्तियां	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	(38197.89)	(30179.48)
अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान	955.53	(1985.01)
	<u>(37242.36)</u>	<u>(32164.49)</u>
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(39024.92)	(33685.05)
घटाएं : भुगतान किया गया कर	829.45	443.84
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	(39854.37)	(34128.89)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण को आरोप्य व्यय सहित) - अनुदान का निवल	(78557.59)	(54118.11)
परिसंपत्तियों की बिक्री	-	
संयुक्त उद्यम में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	-	
सहायक कंपनियों में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	-	
निवेश की बिक्री से आय	-	-
लाभांश आय	-	
विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	7072.70	3566.46
निवेश क्रियाकलापों से/ में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह(ख)	(71484.89)	(50551.65)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयरों का निर्गम/पुन खरीद: (प्रीमियम भुगतान सहित)	71279.13	94358.00
भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश पर कर	-	
उधार से प्राप्तियां	59857.00	
उधार की चुकौती	-	
ब्याज और वित्त प्रभार	(9.33)	(15.87)
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(109.40)	(147.05)
वित्तीय क्रियाकलापों सेमें प्रयुक्त / निवल नकदी प्रवाह(ग)	131017.40	94195.08

घ. नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	19678.14	9514.53
वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	19,754.77	10,240.24
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	39,432.91	19,754.77

* नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड एस 7 - "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

** ऊपर दिए गए अनुसार 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पुनः कथित हैं।

नकदी प्रवाह के विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- 1 नकद और नकद समतुल्य में तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा सहित हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष शामिल हैं। नकद और नकद समकक्षों का विवरण निम्नानुसार है:

	<u>31 मार्च, 2022 के अनुसार</u>	<u>31 मार्च, 2021 के अनुसार</u>
(लाख रुपए में)		
बैंकों के पास शेष राशि		
अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खाते में	494.91	394.77
- जमा खाते में		
(तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	38,938.00	19,360.00
हस्तगत नकदी	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	39,432.91	19,754.77

- 2 कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण 3.12 लाख नकदी (पिछले वर्ष 42.47 लाख रुपये) व्यय किया है।

3 निवल ऋण मिलान:-	(लाख रुपए में)	
	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
नकद और नकदी के समतुल्य	39432.91	19754.77
वर्तमान ऋण	-	-
गैर-वर्तमान ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	(20813.34)	-
पट्ट देयता	(129.05)	(154.51)
निवल ऋण	18490.52	19600.26

(लाख रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्तपोषण क्रियाकलापों से देयताएं-			
		नकद और नकद समकक्ष	गैर-वर्तमान ऋण प्रोद्भूत (ब्याज सहित)	पट्ट देयता	वर्तमान ऋण
31 मार्च 2020 को निवल ऋण	10240.24	-	(209.43)	-	10030.81
इंड एस 116 के अंतर्गत 01/04/2019 को मान्यता प्राप्त पट्टे	-	-	-	-	-
नकदी प्रवाह	9514.53	-	147.05	-	9661.58
पट्ट देयता	-	-	(92.13)	-	(92.13)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	12.54	-	12.54
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	(12.54)	-	(12.54)
उचित मूल्य समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को निवल ऋण	19754.77	-	(154.51)	-	19600.26

(लाख रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां नकद और नकद समकक्ष	वित्तपोषण गतिविधियों से देयताएँ			
		गैर-वर्तमान ऋण प्रोद्गत) ब्याज सहित)	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	कुल
31 मार्च 2021 को निवल ऋण	19754.77	-	(154.51)	-	19600.26
नकदी प्रवाह	19678.14	(59857.00)	109.40	-	(40069.46)
पट्टा देयता	-	-	(83.94)	-	(83.94)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	9.33	-	9.33
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	(9.33)	-	(9.33)
उचित मूल्य समायोजन	-	39043.66	-	-	39043.66
31 मार्च 2022 को निवल ऋण	39432.91	(20813.34)	(129.05)	-	18490.52

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए ईशा सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 564908

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन

नं.06440021

हस्ता./-

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रजत गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

09343451

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव
एफसीएस 7050

टिप्पणी सं. 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग निकाय

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी"), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में अधिवासित है (सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड परिसर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र-180012 है। यह कंपनी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ विद्युत की थोक बिक्री में शामिल है।

(2) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का कथन

ये एकल वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 13 मई, 2022 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

एकल वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है। ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन लाए है। इन संशोधनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार प्रकट किया जाता है :

(i) **ब्याज दर बेंचमार्क सुधार - चरण 2 : इंड एस 109, इंड एस 107 और इंड एस 116 में संशोधन** : कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 ने इंड एस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। परिणामी संशोधन इंड एस 107-वित्तीय लिखत-प्रकटीकरण और इंड एस 116-पट्टों में भी किए गए हैं। तथापि, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) **इंड एस 116 : कोविड-19 संबंधित किराया रियायत**

एमसीए ने 30 जून 2021 से 30 जून 2022 को या पहले मूल रूप से देय पट्टा भुगतानों में कमी के लिए राहत को लागू करने के प्रयोजनार्थ पट्टेदारों हेतु शर्त को अद्यतन करने के लिए 30 जून 2021 से परे इंड एस 116 कोविड-19-संबंधित किराया रियायतों में एक संशोधन जारी किया। संशोधन 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है। यदि किसी पट्टेदार ने अभी तक

इस संशोधन के जारी होने से पहले जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी नहीं दी है, तो इसे 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) इंड एस 105, इंड एस 16 और इंड एस 28 में संशोधन

“वसूलीयोग्य राशि” की परिभाषा को इस तरह संशोधित किया गया है कि “किसी संपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक बेचने की लागत और उपयोग में इसका मूल्य” शब्दों को “किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य के उच्च से कम निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य” से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इंड एस 105, इंड एस 16 और इंड एस 28 में परिणामी संशोधन किए गए हैं।

इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या ये वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं।

घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये एकल वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है। तथापि, यूनिट स्तर पर आंकड़ों को रुपए (पूर्णांक संख्या) में प्रस्तुत किया गया है।

ड) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड-एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों:

क) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करती है।

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद को निर्धारित करती है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करती है। यह आकलन करने में कि क्या कंपनी पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते हैं। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो कंपनी पट्टे की अवधि को संशोधित करती है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्द्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी इंड एस 115- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी है, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

कंपनी की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे - ब्याज लागत, ह्रास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एस 114- 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि, मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव ऐसे शेष की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करती है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) वसूली योग्य बीमा दावा

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

(111) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया :

एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हे अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। कंपनी ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एस अपनाये पर इंड एस में टंजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीमड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियों और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ कंपनी को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पीपीई के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित हास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

ङ) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित, (अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहीत भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुर्नस्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।

च) वे आस्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है, कंपनी के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेगी।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

ज) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में "स्टोर और स्पेयर " माने जाते हैं।

झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहीत किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती है जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 जारी पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित आस्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।

ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में हास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो,

“निर्माण में हुए व्यय के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, “निर्माण में हुए व्यय ” के तहत संचित किया जाता है और “जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एस 16- “परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर ” में “आरोप्यता” और “मापन इकाई को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और कंपनी विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो आस्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

घ) अमूर्त आस्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान “नियामक आस्थगित खाता शेष ” के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

ड.) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौलिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां कंपनी ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित आस्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब कंपनी आरंभ में गैर मौलिक आस्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौलिक देयता को मान्य करती है।

5.0 नियामक आस्थगित खाते

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्की के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये नियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो नियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

ड) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

6.0. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है।

परन्तु, कंपनी जब यह निर्धारित करती है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

7.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित

रूप से कंपनी के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता है

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण लिखत' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

- ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उक्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तिियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

- i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मक दायित्व को मानता है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां कंपनी ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करती है :

- i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।
- ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- iii) इंड एस 115-राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- iv) इंड एस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एस 116 और इंड एस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्य और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वेकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए कंपनी इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत-दृष्टिकोण' का पालन करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12-महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, कंपनी दस्तावेज-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12-महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

8.0 माल-सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रेप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पश्चलेखन या हानि होती है।

9.0 वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ - हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग- शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ - हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

10. सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ - हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौलिक अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ - हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ - हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

11.0. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व-कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो

जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।

ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

12.0. राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को कंपनी तब स्वीकार करती है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व (वित्त/प्रचालन पट्टे के अधीन माने गए विद्युत स्टोशनों के अलावा) को सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 के तहत केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।
- iii) ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं किया गया राजस्व)।
- iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

- v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

ख) अन्य आय

- i) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।
- ii) ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर परिसमाप्त क्षतिपूर्ति/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब यह माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

13.0. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति-परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-परवर्ती लाभ योजना है। कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस),

सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय और तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

iv) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

कंपनी की अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) **सेवा समापन लाभ**

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उन्हें अंजाम दिया गया हो।

14.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एस 109 - "वित्तीय लिखत" में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एस 116- 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

कालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि

परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, संपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ-साथ इसकी असंशोधित मूल्यहास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-प्प में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र और मशीनरी

- कंप्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

ड) अस्थायी निर्माण पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।

च) रुपए 5000/- या उससे कम लेकिन रुपए 750/- से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यहास, रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तु, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/- तक है, पूँजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यहास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यहास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूँजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य हास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यहास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

16.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट-(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक

रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी

वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बढ़े खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।

घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।

ङ) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यहास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

17.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी

- अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन-देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करती है।
- ii) आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थाई अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करती है।
- iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।
- v) आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।
- vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।
- vii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करती है।

18.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

19.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एस 108 - प्रचालन सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य संचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है।

ग) कंपनी का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

20.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में कंपनी यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए कंपनी निम्नांकित आकलन करती है कि :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है - यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।

- कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा

- कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :

- कंपनी को संपत्ति के संचालन का अधिकार है; या
- कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करती है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष स्टैंड-अलोन कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करती है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, कंपनी ने गैर-लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर-लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i)

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरिखन पद्धति से मूल्य हास किया जाता है। यह मूल्यहास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय \leq पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड-एस 36- संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 16.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करती है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।

- परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करती है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।

- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि; तथा

- खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि कंपनी द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि कंपनी का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी

खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करती है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

कंपनी अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करती है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। कंपनी इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष सरिखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. कंपनी एक पट्टादाता के रूप में :

कंपनी जब पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एएस 115- राजस्व लागू करती है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

21.0 व्यापार संयोजन

व्यवसाय संयोजनों को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है, अधिग्रहण की तारीख कंपनी को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। अधिग्रहण में अंतरित मूल्य और अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। गुडविल को शुरु में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई निवल पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है। जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतों को वहन किए गए व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

22.0 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

23.0 प्रति शेयर आय

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्त गत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत "उधारी" के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एस 7- 'नकदी प्रवाह विवरण', में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

26.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, कंपनी द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) हालिया लेखांकन घोषणाएं : जारी परन्तु अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं, जो कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन करते हैं और 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं। प्रमुख संशोधनों का सारांश और कंपनी पर इसके प्रभाव नीचे दिए गए हैं :

(i) इंड एस 16 - आशयित उपयोग से पूर्व आगम

संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को पहचानने वाली इकाई को प्रतिबंधित करता है। इसके स्थान पर, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत से घटाया जाएगा।

कंपनी को ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ii) इंड एस 37 - दुर्भर संविदा - संविदा पूर्ति की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि संविदा को "पूरा करने की लागत" में "वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है" शामिल है। वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है, संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (उदाहरण: प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदा को पूरा करने, दोनों ही से संबंधित है।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और कंपनी को ऐसी आशा नहीं है कि वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(iii) इंड एस 103 - व्यवसाय संयोजन

संशोधन में कहा गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचानयोग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को भारतीय लेखा मानकों (अवधारणात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अवधारणात्मक ढांचे में प्रदान की गई अस्तियों और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है।

इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं है।

(iv) इंड एस 109 - इंड एस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि किसी इकाई में कौन-सी फीस शामिल है, जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, इंड एस 109 के "दस प्रतिशत" परीक्षण पर लागू होती है।

कंपनी को ऐसी आशा नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

(सीए ईशा सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 564908

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता /-

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या

06440021

हस्ता /-

(रजत गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

09343451

हस्ता /-

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता /-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू

दिनांक : 13 मई, 2022

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	60000000		188352201				248352201				0	248352201	60000000
ii)	सड़कें और पुल	202334060		240575798			-1419631	441490227	24676562	18850322		43526884	397963343	177657498
iii)	भवन	191206047		1256311			-10322	192452036	43959475	6861988		50821463	141630573	147246572
iv)	रेलवे साइडिंग							0		0		0	0	0
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)							0		0		0	0	0
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी							0		0		0	0	0
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	6699945		1034920				7734865	1267155	392116		1659271	6075594	5432790
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें							0		0		0	0	0
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	14250770		3629371		411110		17469031	1956641	907227	-363099	2500769	14968262	12294129
x)	निर्माण उपकरण	89350						89350	3054	0		3054	86296	86296
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	3362791						3362791	350600	112317		462917	2899874	3012191
xii)	विद्युत प्रतिष्ठान							0		0		0	0	0

xiii)	वाहन	15595352		2532324				18127676	6383439	1426353		7809792	10317884	9211913
xiv)	विमान/नौकाएं							0		0		0	0	0
xv)	फर्नीचर व फिक्सचर	41035174		1768492		240750	-2775	42560141	11275858	2778723	-71357	13983224	28576917	29759316
xvi)	कम्प्यूटर	41489507	80000	2404835	80000	547920		43346422	18667186	7563279	-53601	26176864	17169558	22822321
xvii)	संचार उपकरण	1288044		47849				1335893	407968	108119		516087	819806	880076
xviii)	कार्यालय उपकरण	85498701		2957924		588757	-4523	87863345	22280636	5874755	-438780	27716611	60146734	63218065
	कुल	662849741	80000	444560025	80000	1788537	-1437251	1104183978	131228574	44875199	-926837	175176936	929007042	531621167
	गत वर्ष	623264112	333389	47914946	333389	5843612	-2485705	662849741	93458338	43484758	-5714522	131228574	531621167	529805774

टिप्पणी:-

संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुबंध-।

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	60000000	0	188352201	0	0	0	248352201	0	0	0	0	248352201	60000000
ii)	सड़कें और पुल	201463773	0	240575798	0	0	-1419631	440619940	23806275	18850322	0	42656597	397963343	177657498
iii)	भवन	200743302	0	1256311	0	0	-10322	201989291	53496730	6861988	0	60358718	141630573	147246572
iv)	रेलवे साइडिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	6571857	0	1034920	0	0	0	7606777	1139067	392116	0	1531183	6075594	5432790
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	14632038	0	3629371	0	411110	0	17850299	2337909	907227	-363099	2882037	14968262	12294129
x)	निर्माण उपकरण	1735099	0	0	0	0	0	1735099	1648803	0	0	1648803	86296	86296
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	3362791	0	0	0	0	0	3362791	350600	112317	0	462917	2899874	3012191
xii)	विद्युत प्रतिष्ठान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xiii)	वाहन	17615565	0	2532324	0	0	0	20147889	8403652	1426353	0	9830005	10317884	9211913

xiv)	विमान/नौकाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xv)	फ़र्नीचर व फिक्सचर	43954006	0	1768492	0	240750	-2775	45478973	14194690	2778723	-71357	16902056	28576917	29759316
xvi)	कम्प्यूटर	45897481	80000	2404835	80000	589043	0	47713273	23075160	7563279	-94724	30543715	17169558	22822321
xvii)	संचार उपकरण	1266594	0	47849	0	0	0	1314443	386518	108119	0	494637	819806	880076
xviii)	कार्यालय उपकरण	92240365	0	2957924	0	879391	-4523	94314375	29022300	5874755	-729414	34167641	60146734	63218065
	कुल	689482871	80000	444560025	80000	2120294	-1437251	1130485351	157861704	44875199	-1258594	201478309	929007042	531621167
	गत वर्ष	658227668	333389	47914946	333389	16677803	18060	689482871	128421894	43484758	-14044948	157861704	531621167	529805774

टिप्पणी सं. 2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 के अनुसार
i)	सड़कें और पुल	436893542	141050839	(12167768)	240575798	325200815
ii)	भवन	1676047490	1567780019	(121211824)	1256311	3121359374
iii)	भवन- पट्टे के अधीन	-				-
iv)	रेलवे साइडिंग	-				-
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जलकंडक्टरप्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकलगेट, सुरंग)	2008908238	2804584895	(133598766)		4679894367
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	569487208	860196919	(912657)		1428771470
vii)	संयंत्र और मशीनरी - सब स्टेशन	21348966	19744964	(108622)		40985308
viii)	संयंत्र और मशीनरी - पारेषण लाइनें	32114490				32114490
ix)	संयंत्र और मशीनरी - अन्य	-				-
x)	निर्माण उपकरण	-				-
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरज	1835386	1897562	(11690)		3721258
xii)	कम्प्यूटर	-				-
xiii)	कार्यालय उपकरण	-				-
xiv)	स्थापना की प्रतीक्षारत परिसंपत्तियां	-				-
xv)	सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किमी योजना के अधीनपरिसंपत्तियां	-				-
xvi)	सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण शुल्क	272827567	29327070	(557120)		301597517
xvii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय	-				-
xviii)	निर्माण को आरोप्य व्यय (टिप्पणी-32 देखें)	8179316010	864983861	(39473343)		9004826528
	घटाएं : प्रदान किया गया पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 2.2.4 देखें)	-				-

	उप जोड़ (क)	13198778897	6289566129	(308041790)	241832109	18938471127
	निर्माण स्टोर	122023			-	122023
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-			-	-
	उप जोड़ (ख)	122023	-	-	-	122023
	कुल	13198900920	6289566129	(308041790)	241832109	18938593150
	गत वर्ष	9408364596	3853816656	(47838666)	15441666	13198900920

2.2.1 (क) 31 मार्च 2022 को सीडब्ल्यूआईपी जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	5,908,333,864	3,775,332,488	2,483,762,436	6,771,164,362	18,938,593,150
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	5,908,333,864	3,775,332,488	2,483,762,436	6,771,164,362	18,938,593,150

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
					-
					-
कुल	-	-	-	-	-

2.2.2 (क) 31 मार्च 2021 को
सीडब्ल्यूआईपी
जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षसेअधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	3,798,304,218	2,578,190,413	1,228,285,318	5,594,120,971	13,198,900,920
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	3,798,304,218	2,578,190,413	1,228,285,318	5,594,120,971	13,198,900,920

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31
मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता
अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षसेअधिक	
					-
कुल	-	-	-	-	-

2.2.3 उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि-उपयोग का अधिकार" पर सृजित 120,71,15,004/-रुपए (पिछली अवधि 71,08,62,557/-रुपए) के भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगतकार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी 2.2 . का अनुबंध
(राशि रुपए में)

संचयी ईडीसी	लिंगेज	31.3.2022	31.03.2021
क. कर्मचारियों लाभ व्यय			
	437501 और 437589 और 437505 और		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	437500	3692658051	3274749355
भविष्य निधि में उपदान और अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	437502	61162874	555500483
कर्मचारी कल्याण व्यय	437503	252119362	215802107
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	437504	1491260	1491260
उप-जोड़(क)		4557897447	4047543205
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	438103	0	0
उप-जोड़(ख)		4557897447	4047543205
ख. अन्य व्यय			
अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में भंडार और पुर्जों का उपभोग	437507	0	0
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर बांध/जल विनियमन प्रणाली	437508	0	0
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर जीपीएम/अन्य विद्युत संयंत्र प्रणाली	437509	0	0
मरम्मत-भवन	437510	153669012	117364554
मरम्मत-मशीनरी	437511	1301587	1301587
मरम्मत-अन्य	437512	27275800	24022683
किराया	437514 और 437588	102005064	98651050
दरें और कर	437515	3902615	2969230
बीमा	437516	2151883	2020560
सुरक्षा व्यय	437517	304991347	280649242
विद्युत प्रभार	437518	16808380	11871151
यात्रा और परिवहन	437519	53509411	45803669
वाहनों पर व्यय	437520	9636797	7557210
टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	437521	14368684	9250741
विज्ञापन और प्रचार	437522	18114474	18739080
मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	437523	472152	472152

मुद्रण और लेखन सामग्री	437524	13288677	11816155
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	437552	52959	52959
डिजाइन और परामर्श शुल्क:			0
- देशीय	437526	1308304268	1057785992
- विदेशी	437527	50210730	50210730
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय/पर्यावरणीय व्यय	437531	15656900	14531900
निगम का स्मामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	437532	181043116	173994308
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	437533	0	0
ईएसी - पट्टा किराया	437534	96647663	40104991
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां/ सामग्री	437528	166776	141745
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	437530	879459	597458
	437525 और		
अन्य सामान्य व्यय	437535	67394483	59887502
उप-जोड़ (ख)		2441852237	2029796649
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	438102	0	0
उप-जोड़ (ख)		2441852237	2029796649

ग. वित्तीय लागत

i) निम्नलिखित पर ब्याज :			
क) भारत सरकार ऋण	437540	0	0
ख) बाण्ड	437541	0	0
ग) विदेशी ऋण	437542	0	0
घ) सावधि ऋण	437543 और 44	0	0
ङ) नकद ऋण सुविधाएं/ डब्ल्यूसीडीएल	437545	0	0
च) ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	437554	0	0
हेजिंग लेनदेन पर हानि	437555	0	0
ii) बाण्ड जारी करना/सेवा व्यय	437546	0	0
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	437547	0	0
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	437548	0	0
v) अन्य वित्त प्रभार	437549	718017	723958
vi) ईएसी- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	437581	52167292	0
vii) ईएसी-प्रतिभूति जमा पर ब्याज/प्रतिधारण राशि - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	437583	7477708	5290585

viii) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय- समय मूल्य के लिए समायोजन	437585	0	0
ix) ईएसी- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	437590	0	0
x) ईएसी-ब्याजव्यय-पट्टे के अधीन (इंडिएएस)	437587	2021827	1647126
उप-जोड़(ग)		62384844	7661669
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(ग)	438105	0	0
		62384844	7661669
घ. विनिमय दर अंतर (निवल)			
i) ईआरवी (डेबिट शेष)	437550	0	0
घटाएं: ii) ईआरवी (क्रेडिट शेष)	437551	0	0
उप-जोड़(घ)		0	0
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(घ)	438108	0	0
		0	0
ड. प्रावधान	437561	627181	627181
उप-जोड़(ड)		627181	627181
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(ड)	438106	0	0
		627181	627181
च. मूल्यहास और परिशोधन	437560	408721459	298068521
	437586	23774313	17790151
उप-जोड़(च)		432495772	315858672
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(च)	438104	0	0
		432495772	315858672
छ. पूर्व अवधि व्यय (निवल)			
पूर्व अवधि व्यय	437565	23763458	23763458
घटाएं पूर्व अवधि की आय	437579	72206	72206
उप-जोड़(छ)		23691252	23691252
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(छ)	438107	0	0
		23691252	23691252
ज. घटाएं :प्राप्तियां और वसूलियां			
i) विद्युत के उत्पादन चालू होने से पूर्व आय	437570	0	0
ii) ऋण और अग्रिम पर ब्याज	437571	696368432	303001979

iii) विविध प्राप्तियां	437572	41747150	29705914
iv) संपत्ति की बिक्री पर लाभ	437573	146287	146287
v) पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	437574	67600597	6760337
vi) संयंत्र और मशीनरी पर किराया प्रभार/उत्पादन	437575	8939204	2342398
vii) ईएसी-उचित मूल्य लाभ- सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि	437582	17202	2350
viii) व्युत्पन्न पर पर ईएसी-एमटीएम लाभ	437580	0	0
ix) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर उचित मूल्य लाभ	437584	0	0
उप-जोड़(ज)		814818872	402799265
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(ज)	438101	0	0
		814818872	402799265
सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (झ)	437599	2300696667	2156936647
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत उप-जोड़(झ)	438109	0	0
		2300696667	2156936647
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)		9004826528	8179316010
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)		0	0
		9004826528	8179316010

टिप्पणी सं. 2.3 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समा योज न	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	3606801688		160196579				3766998267	188247100	93319086	0	281566186	3485432081	3418554588
ii)	पट्टे के अधीन भवन	15082194		5676680		9203737		11555137	5862758	5119466	-6509802	4472422	7082715	9219436
iii)	निर्माण उपकरण	0						0	0	0	0	0	0	0
iv)	वाहन	16745910		5632655		10176200		12202365	11219593	5794314	-10176200	6837707	5364658	5526317
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	4571274917		3924342				4575199259	0	0	0	0	4575199259	4571274917
	कुल	8209904709	0	175430256	0	19379937	0	8365955028	205329451	104232866	-16686002	292876315	8073078713	8004575258
	गत वर्ष	8150659062		69356080		10110433		8209904709	122558533	92043107	-9272189	205329451	8004575258	8028100529

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध - संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	परिवर्धन		कटौती		अन्य समा योजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	3606801688		160196579				3766998267	188247100	93319086	0	281566186	3485432081	3418554588
ii)	पट्टे के अधीन भवन	15082194		5676680		9203737		11555137	5862758	5119466	-6509802	4472422	7082715	9219436
iii)	निर्माण उपकरण	0						0	0	0	0	0	0	0
iv)	वाहन	16745910		5632655		10176200		12202365	11219593	5794314	-10176200	6837707	5364658	5526317
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	4571274917		3924342				4575199259	0	0	0	0	4575199259	4571274917
	कुल	8209904709	0	175430256	0	19379937	0	8365955028	205329451	104232866	-	292876315	8073078713	8004575258
	गत वर्ष	8150659062		69356080		10110433		8209904709	122558533	92043107	-9272189	205329451	8004575258	8028100529

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	परिवर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	10439090						10439090	7439259	1474181		8913440	1525650	2999831
	कुल	10439090	0	0	0	0	0	10439090	7439259	1474181	0	8913440	1525650	2999831
	पिछले वर्ष	7540383		2898707				10439090	6429045	1010214		7439259	2999831	1111338

टिप्पणी :- अमूर्त परिसंपत्ति का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-I के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध - अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2021 के अनुसार	परिवर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	10439090						10439090	7439259	1474181		8913440	1525650	2999831
	कुल	10439090	0	0	0	0	10439090	7439259	1474181	0	8913440	1525650	2999831	
	पिछले वर्ष	7540383		2898707			10439090	6429045	1010214		7439259	2999831	1111338	

टिप्पणी सं. 2.6 - विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	लिकेज	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(I)	विकास के अधीन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	432201	10,641,843				10,641,843
							10,641,843
	कुल		10,641,843	-	-	-	10,641,843
	गत वर्ष						10,641,843

2.6.1 31 मार्च 2022 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं		10,641,843			10,641,843
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	-	10,641,843	-	-	10,641,843

2.6.2 31 मार्च 2022 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित में पूर्ण किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
					-
					-
कुल	-	-	-	-	-

2.6.3 31 मार्च 2021 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	10641843				10,641,843
अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएं					-
कुल	-	-	-	-	10,641,843

2.6.4 31 मार्च 2022 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
					-
					-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 3.1 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
कुल		

टिप्पणी सं. 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. परिशोधित लागत पर संबंधित पार्टी को ऋण - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत (टिप्पणी 34(7) देखें)	-	-
ख. कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.2.2 देखें)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	752,821	996,586
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	140,082	417,952
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.2.3 देखें)	-	-
उप जोड़	892,903	1,414,538
ग. संविदाकार/आपूर्तिकर्ता		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	-	-
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
- अन्य	-	-
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अप्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.2.4 देखें)	-	-
उप जोड़	-	-
घ. ग्राहक से बकाया के निपटान में राज्य सरकार		
- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.2.5 देखें)	-	-
उप जोड़	-	-
कुल	892,903	1,414,538

3.2.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	शून्य	शून्य
3.2.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	शून्य	शून्य
3.2.3	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.2.4	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.2.5	राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.2.6	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
3.2.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

विवरण		(राशि रुपये में)	
क.		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	13,468,920	1,545,289
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	13,468,920	1,545,289
ख.	12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	10,000,000	-
ग.	प्राप्य पट्टा किराया (टिप्पणी 34(15)(बी) देखें)	-	-
घ.	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ड.	निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :	-	-
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता	-	-

	वाली बैंक जमा राशि		
च.	व्युत्पन्न मार्क टू मार्केट परिसंपत्ति	-	-
छ.	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		-
	- सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम	-	-
	कुल	23,468,920	1,545,289
3.3.1	संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-

3.3.2 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 4 गैर-वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	165,692,345
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	165,692,345
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या -23 देखें)	8,343,104	-
कुल	8,343,104	-

टिप्पणी सं. 5 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.		
पूंजी अग्रिम		
- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	122,639,442	-
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के प्रति	3,421,431,727	2,256,775,065
- अन्य	432,257,532	406,860,762
घटाएं - उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के चलते बुक किया गया व्यय	196,727	196,727
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-
उप जोड़	3,976,131,974	2,663,439,100
ख.		
i)		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम जमा		
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	14,200
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते	-	-

	(टिप्पणी 5.2 देखें)		
		उप जोड़	14,200
ii)	अन्य अग्रिम		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
		उप जोड़	-
ग.	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	562,534,868	279,273,415
घ.	अन्य		
i)	पूँजीगत कार्यों के लिए माध्यस्थम पंचाट के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	संविदाकारों को जारी - अन्य	-	-
	न्यायालय के साथ जमा	-	-
		उप जोड़	-
ii)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		
	आस्तियां/व्यय	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	-
	आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर	-	-
	आस्थगित व्यय		
		उप जोड़	237,057
iii)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत		195,870
	कुल	4,538,903,899	2,942,922,585
5.1	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
5.2	संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		

	अंतिम शेष	-	-
5.3	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम।	शून्य	शून्य
5.4	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
5.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 मालसूची

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित) भंडार और कलपुर्जे पारगमन में होने वाले/निरीक्षण लंबित भंडार खुले उपकरण स्क्रेप मालसूची स्थल पर सामग्री संविदाकारों/फैब्रिकेटर को जारी की गई सामग्री स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी के लिए मालसूची घटाएं : अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी (टिप्पणी 6.1 देखें)	- - - - - - - -	- - - - - - -
	कुल	-	-
6.1	अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 6.1.1 देखें) वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	- - - - -	- - - - -
6.1.1	वर्ष के दौरान, मालसूची को निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) पर पश्चलेखित किया गया और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।	-	-
6.1.2	पिछले वर्षों में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और मूल्यहास के लिए भत्ते।	-	-

टिप्पणी सं. 7 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - व्यापार प्राप्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	- व्यापार प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.2 और 7.3 देखें) - व्यापार प्राप्य-बिल नहीं किए गए - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.5 देखें)	- -	- -

- व्यापार प्राप्य- क्रेडिट बाधित (टिप्पणी 7.2 और 7.3 देखें)	-	-
घटाएं : व्यापार प्राप्य के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 7.1 देखें)	-	-
कुल	-	-

7.1	व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के साथ या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3	उपरोक्त बिंदु 7.2 पर सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य
7.4	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-7 का अनुबंध-। देखें।		
7.5	निम्नलिखित के कारण प्राप्य को दर्शाता है इक्विटी पर प्रतिफल को सकल करना अप जल उपकर मार्च महीने के लिए बिल नहीं की गई बिक्री पुनर्वित्त-पोषण और बांड निर्गम व्यय के कारण बचत मूर्त रूप दिए गए आस्थगित कर सहित कर समायोजन ऊर्जा की कमी माल और सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव विदेशी मुद्रा दर अंतर		

ओ एंड एम और सुरक्षा व्यय में वृद्धि -
नए टैरिफ विनियम 2019-24 के
अनुसार
परियोजना जीवनकाल में परिवर्तन के
कारण मूल्यहास
वेतन संशोधन
2014-19 के टूटिंग-अप का प्रभाव और
2019-24 के लिए दायर याचिका
अन्य

कुल

	-	-
	-	-

- 7.6 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनकी वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान मानी जाती है।
- 7.7 विभिन्न बैंकों से बिलों की छूट के माध्यम से परिसमाप्त शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की व्यापार प्राप्य राशि को बिल छूट समझौते की शर्तों के मद्देनजर अमान्य नहीं किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों द्वारा चूक के मामले में बैंकों को क्रेडिट हानियों के लिए क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयता के संबंध में टिप्पणी 20.1.2 देखें।
- 7.8 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध-1
31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीसं.8 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान- नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	बैंकों के साथ शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i)	- चालू खाते में	49,490,654	39,477,344
ii)	- जमा खाते में		
	(तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	3,893,800,000	1,936,000,000
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	बैंक ऑफ भूटान	-	-
ख.	चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
ग.	हस्तगत नकदी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
कुल		3,943,290,654	1,975,477,344

8.1	हस्तगत स्टाम्प शामिल है।	-	-
-----	--------------------------	---	---

टिप्पणी 9: वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	3 महीने से अधिक 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा	6,561,155,104	3,802,400,000
ख.	जमा-अदा न किया गया लाभांश	-	-
ग.	जमा-अदा न किया गया ब्याज	-	-
घ.	बैंकों के पास अन्य निर्दिष्ट शेष (टिप्पणी 9.1 देखें)	-	-
	कुल	6,561,155,104	3,802,400,000
9.1	इसमें शेष शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध		

नहीं है :

(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित की गई।

-

-

टिप्पणी सं. 10 वित्तीय आस्तियां - चालू - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) (टिप्पणी 34(7) और 10.1 देखें) उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी ऋण (उपार्जित ब्याज सहित) (टिप्पणी 10.2 देखें) - ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- प्रतिभूत - ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत - ऋण प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है घटाएं : ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि वाले ऋणों के लिए क्षति भत्ते (टिप्पणी 10.3 देखें) उप जोड़	201,271 2,654,960 - -	381,027 3,245,016 - -
ग.	ग्राहक से देय राशि के निपटान में राज्य सरकार को ऋण - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) उप जोड़	- -	- -
घ.	अनुषंगियों/संयुक्त उपक्रमों को अग्रिम	-	-
	कुल	2,856,231	3,626,043
10.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य

	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	शून्य	शून्य
	*चुकौती का विवरण:-		
	*व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण को दर्शाता है।	शून्य	शून्य
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	शून्य	शून्य
10.3	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
10.4	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
10.5	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 11 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	जमा - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत '- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 11.1 देखें) उप जोड़	- - - -	- - -
ख.	वसूली योग्य राशि (टिप्पणी 11.2 देखें) घटाएं: संदिग्ध वसूली योग्य राशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.3 देखें) उप जोड़	754,543,179 - 754,543,179	4,527,767 - 4,527,767
ग.	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ.	विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	-	-
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (टिप्पणी 34(15)(ग) देखें)	-	-
च.	बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज आय (टिप्पणी 11.4 देखें)	58,440,042	50,056,751
छ.	वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ज.	लाभार्थी से वसूली योग्य ब्याज	-	-
झ.	निवेश पर अर्जित ब्याज (बांड)	-	-
ञ.	ग्राहकों से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर अर्जित ब्याज	-	-
ट.	डेरिवेटिव एमटीएम परिसंपत्ति	-	-
ठ.	मूल कंपनी - एनएचपीसी लिमिटेड से वसूली योग्य दावा	-	7,983,357
	कुल	812,983,221	62,567,875
11.1	क्षति भत्ता प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	- - - - -	- - - - -

11.2	वसूली योग्य राशि - इसमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को " केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य के सामान और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि शामिल है, जो कश्मीर में पकलदुल एचईपी, किरु एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसओ 281 दिनांकित 17.08.2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर इसके द्वारा अदा की गई नकदी सहित कंपनी के जीएसटीआर 2ए में प्रदर्शित आपूर्तिकारों के बीजकों की सीमा तक है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पहले के वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे भी पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूली योग्य राशि में शामिल किया गया है।	745,767,880	
11.3	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
11.4	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	-	-
11.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		
टिप्पणी सं. 12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		(राशि रुपये में)	

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	वर्तमान कर परिसंपत्ति स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	44,335,825	48,704,188
ख.	घटाएं : वर्तमान कर का प्रावधान निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख) वापसी योग्य आयकर	44,330,651 5,174 -	44,330,639 4,373,549 -
कुल		5,174	4,373,549

टिप्पणी सं. 13 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क)	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम जमा - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत घटाएं : विभागों द्वारा उठाई गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय - संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1 देखें)	- - - -	- - - -
	उप जोड़	-	-
ख)	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी 13.8 देखें) - अच्छे माने गए- प्रतिभूत - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत - बैंक गारंटी के प्रति - अन्य उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बुक किया गया व्यय - संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.2 देखें)	- - - 8,124,995 - -	- - - 7,988,932 - -
	उप जोड़	8,124,995	7,988,932
ग)	अन्य अग्रिम - कर्मचारी - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 13.7 देखें)	120,742	421,526
	उप जोड़	120,742	421,526
घ)	अर्जित ब्याज अन्य - अच्छे माने गए - संदिग्ध माने गए घटाएं : संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.3 देखें)	- - -	- - -
	उप जोड़	-	-

ख. क)	अन्य समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय घटाएँ : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.4 देखें)	- -	- -
	उप जोड़	-	-
ख)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षारत हानियां घटाएँ : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.5 देखें)	74,554 74,554	74,554 74,554
	उप जोड़	-	-
ग)	प्रगतिधीन कार्य प्रगतिधी निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से) प्रगतिधीन परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	- -	- -
घ)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	8,971,166	12,653,279
ङ)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	13,330	26,784
च)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	- -	- -
ज)	अधिशेष/ अप्रचलित परिसंपत्ति (टिप्पणी 13.9 देखें)	889,281	1,519,841
झ)	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य घटाएँ: माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.6 देखें)	186,050 -	- -
	उप जोड़	186,050	-
ञ)	अन्य (मुख्य रूप से ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण)	-	-
	कुल	18,305,564	22,610,362

13.1	संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	- - - -	- - -
------	---	------------------	-------------

13.2	संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता) प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
13.3	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
13.4	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
13.5	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	74,554	74,554
13.6	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित अंतिम शेष	-	-
13.7	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से	शून्य	शून्य

	देय ऋण और अग्रिम।		
13.8	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.9	निपटान के लिए धारित अधिशेष आस्तियां/अप्रचलित आस्तियां बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर दिखाई जाती हैं।		
13.10	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(राशि रूप में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31) वर्ष के दौरान वृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) वर्ष के दौरान समायोजित वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	- - -	
	अंतिम शेष	-	-
ख.	मौद्रिक मदों के लिए विनिमय हानि प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31) वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	61,040 998,569	61,040
	अंतिम शेष	1,059,609	61,040
ग.	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए विलंबित कर प्राप्य के प्रति समायोजन प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31) वर्ष के दौरान प्रयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	- -	
	अंतिम शेष	-	-
घ.	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उससे आगे		

	के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
ड	ऋण और कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यय की गई अन्य लागतों के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ड+च)	1,059,609	61,040
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	-	-
	जोड़े : लाभार्थियों से प्राप्य विलंबित कर	-	-
	विलंबित कर का निवल नियामक विलंबित कर शेष	1,059,609	61,040

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-34 (19) देखें।

टिप्पणी सं. 14.2 नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
मैट क्रेडिट		
प्रारंभिक शेष	-	
वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
अंतिम शेष	-	-

सीवीपीपीपीएल

टिप्पणी: 15.1 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/-)	5200000000	52000000000	3500000000	35000000000
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/)	3336451286	33364512860	2479780000	24797800000

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

प्रारंभिक शेष	2479780000	24,797,800,000	1780080000	17,800,800,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों/शेयर पूंजी की संख्या	856671286	8,566,712,860	699700000	6,997,000,000
घटाएं:-वर्ष के दौरान शेयरों का पुनर्खरीद	-	-	-	-
अंतिम शेष	3336451286	33,364,512,860	2479780000	24,797,800,000

15.1.2 कंपनी ने शेयरधारकों को शेयरधारिता के अनुपात में मत के अधिकार वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मत अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 5 प्रतिशत से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर और धारित शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नीचे दी गई है :-

	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	संख्या	(%) में	संख्या	(%) में
i) एनएचपीसी लिमिटेड	1839451286	55.13%	1287850000	51.93%
'ii) जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1497000000	44.87%	1187850000	47.90%
'iii) पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0.00%	4080000	0.16%
	3336451286	100.00%	2479780000	100.00%

15.1.4 31 मार्च 2022 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	1839451286	55.13%	3.20%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1497000000	44.87%	-3.03%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0	-0.16%

15.1.5 31 मार्च 2021 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	1287850000	51.93%	2.04%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1187850000	47.90%	-1.99%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	4080000	0.16%	-0.05%

सीवीपीपीपीएल

टिप्पणी सं। 15.2 अन्य इक्विटी

ब्यौरा	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
(i) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	1,000,000,000	2,438,800,000
(ii) पूंजी मोचन आरक्षित पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iii) बांड मोचन आरक्षित पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iv) सामान्य आरक्षित पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(v) अधिशेष/प्रतिधारित आय पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	493,359,547	525,106,263
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	46,713,698	(31,746,716)
जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय		
जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरण		
घटा: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)		
घटा: लाभांश पर कर		
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	540,073,245	493,359,547
(vi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-ऋण लिखत पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(vii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-इक्विटी लिखत पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
कुल	1,540,073,245	2,932,159,547

15.2.1 भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

- (i) **अधिशेष/प्रतिधारित आय** : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी के अविभाजित लाभ/ संचित आय की राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल है।

31 मार्च 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि
1 अप्रैल 2021 के अनुसार	15.1	24,797,800,000
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	15.1	24,797,800,000
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		8,566,712,860
31 मार्च 2022 के अनुसार	15.1	33,364,512,860

अन्य इक्विटी

(राशि रुपये में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय			कुल
	आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी मोचन आरक्षित	बांड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रति धारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	
1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि	2,438,800,000	-	-	-	493,359,547	-	-	2,932,159,547
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ								
1 अप्रैल 2021 को पुनः कथित शेष राशि	2,438,800,000	-	-	-	493,359,547	-	-	2,932,159,547
वर्ष के लिए लाभ		-	-	-	46,713,698	-	-	46,713,698
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-

वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	-	46,713,698	-	-	46,713,698
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	1,000,000,000							1,000,000,000
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में से वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर ल	2,438,800,000							2,438,800,000
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के लिए उपयोग								-
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर व्यय के लिए उपयोग					-			-
प्रतिधारित आय को अंतरण								-
बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरित की गई राशि		-	-		-			-
लाभांश पर कर - पञ्चलेखन		-	-		-			-
अनुसंधान एवं विकास कोष से पञ्चलेखित की गई राशि						-		-
सामान्य आरक्षित से हस्तांतरित राशि								-
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण								-
लाभांश		-	-		-			-
लाभांश पर कर		-	-		-			-
बॉन्ड मोचन आरक्षित में अंतरण		-	-		-			-

अनुसंधान और विकास कोष में अंतरण		-	-		-			-
सामान्य आरक्षित में अंतरण				-	-			-
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष राशि	1,000,000,000	-	-	-	540,073,245	-	-	1,540,073,245

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 (फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)
 हस्ता./-
 (सीए ईशा सिंह)
साझेदार
 सदस्यता सं. 564908

हस्ता./
(ए के जैन)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(रजत गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

टिप्पणी सं. 15.3 कारपोरेट कार्यालय से निधि (अंतरण लेखा)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
कारपोरेट कार्यालय से निधि	21,811,601,338	16,609,903,354
कारपोरेट कार्यालय (जम्मू)	1,903,342,178	1,057,647,984
दुलहस्ती	-	-
पकल दुल	(5,417,408,803)	(4,194,359,006)
किरु	(1,824,524,665)	(1,256,712,965)
कार	(618,040,498)	(503,559,817)
चेक भुगतान लेखा		
लेखा एकत्रित चेक	-	-
सीओ (जम्मू)	6,693,150,000	4,144,050,000
दुलहस्ती (चरण- II)	-	-
पकलदुल	(16,730,816,550)	(12,326,816,550)
किरु	(5,097,472,000)	(2,911,422,000)
कार	(719,831,000)	(618,731,000)
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 16.1 वित्तीय देयता - गैर वर्तमान - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. परिशोधित लागत पर - प्रतिभूत ऋण		
-बॉन्ड	-	-
-सावधि ऋण	-	-
- बैंकों से	-	-
- अन्य (वित्तीय संस्थानों) से	-	-
ख. - अप्रतिभूत ऋण -सावधि ऋण - भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) - बैंक . से - अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	2,081,334,005	-
कुल	2,081,334,005	-

16.1.1 ऋण अनुबंध : पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, चुकौती और प्रतिभूतियों का विवरण:-

पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष से शुरू किया जाएगा और 19वें वर्ष तक जारी रहेगा अर्थात् जुलाई 2033 से, परियोजना के पूरा होने के बाद ब्याज @ 1% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

16.1.3 ऋण का परिपक्वता विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है:

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम		
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
5 वर्ष से अधिक	5,985,700,000	
कुल	5,985,700,000	-

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएँ - गैर वर्तमान - लीज देयता

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
पट्टा देयताएं	5,544,743	5,875,659
कुल	5,544,743	5,875,659
<p>16.2.1 पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण</p> <p>नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:</p>		
विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	5,797,336	6,257,837
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
5 वर्ष से अधिक		
कुल	5,797,336	6,257,837
<p>16.2.2 पट्टा देयता में संचलन</p>		
विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	15,450,707	20,079,151
पट्टा देनदारियों में वृद्धि	8,394,301	9,212,743
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	933,293	1,221,418
घटाएं : पट्टा देनदारियों का भुगतान	11,872,831	15,062,605
अंतिम शेष	12,905,470	15,450,707
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.2 देखें)	7,360,727	9,575,048
पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	5,544,743	5,875,659

टिप्पणी सं. 16.3 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
प्रतिधारण राशि	32,225,109	20,710,264
व्युत्पन्न देयता	-	-
कुल	32,225,109	20,710,264
<p>16.3.1 प्रतिधारण राशि का परिपक्वता विश्लेषण नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर जमा/प्रतिधारण राशि की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:</p>		
विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	262,520	62,154
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	42,013,233	30,778,070
5 वर्ष से अधिक		
कुल	42,275,753	30,840,224

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i) दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	64,671,505	56,169,334
वर्ष के दौरान वर्धन	30,596,013	8,502,171
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
अंतिम शेष	95,267,518	64,671,505
ख. अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-

	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ii)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iii)	प्रावधान-अन्य		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	95,267,518	64,671,505

17.1 प्रावधानों के बारे में जानकारी एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (18) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क)	विलंबित कर देयता	-	-
ख)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
ग)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
	अन्य मर्दे	-	-
	विलंबित कर देयता	-	-
क)	घटाएं: - प्रावधानों को समायोजित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों का समायोजन	-	-
ख)	कर्मचारी लाभ योजना, संदिग्ध ऋण, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
ग)	अन्य मर्दे	-	-
	मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
	आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अग्रिम में प्राप्त आय- मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	3,956,533,287	-
कुल	3,956,533,287	-
19.1 सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय		
प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त घटाएं: लाभ और हानि के विवरण को अंतरित (टिप्पणी 24.2 देखें)	-	-
अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	3,956,533,287	-
सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (वर्तमान)- (टिप्पणी संख्या-21 देखें)	-	-
सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	3,956,533,287	-
19.1.1 अनुदान में शामिल हैं:- पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया।	3,956,533,287	

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	मांग पर चुकाने योग्य ऋण बैंकों से प्रतिभूत (टिप्पणी 20.1.1 देखें)	-	-
ख.	अन्य ऋण बैंक से प्रतिभूत (टिप्पणी 20.1.2 देखें)	-	-
ग.	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.1.3 देखें)	-	-
	- बॉन्ड	-	-
	- सावधि ऋण - बैंक-प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - बैंक-अप्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - वित्तीय संस्थान-प्रतिभूत	-	-
	- अप्रतिभूत-सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	-	-
	- अन्य-अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	-	-
	उप जोड़ (ग)	-	-
कुल		-	-

20.1.1 ऋण का विवरण (प्रतिभूत)

क्रम सं.	प्रतिभूति विवरण के साथ बैंक का नाम	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1			
2			
3			
कुल		-	-

20.1.2 मोचन ब्याज दर, चुकौती की शर्तें और प्रतिभूति के संबंध में विवरण टिप्पणी संख्या -16.1.2 में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 20.2 पट्टा देयताएं - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 16.2.2 देखें)	7,360,727	9,575,048
कुल	7,360,727	9,575,048

टिप्पणी सं. 20.3 देय व्यापार - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम (उद्यमों) की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.1 देखें)	9,042,014	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य	74,153,951	568,444,380

	लेनदारों की कुल बकाया राशि		
	कुल	83,195,965	568,444,380
20.3.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	9,042,014	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) के तहत दिया गया है।		
20.3.2	व्यापार देयों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-20.3 का अनुबंध-। देखें।		
20.3.3	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध- I
31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	0	9042014	0	0	0	0	9042014
(2) अन्य	6236583		67254653	340634	0	322081	74153951
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
कुल	6236583	9042014	67254653	340634	0	322081	83195965

31 मार्च, 2021 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई							0
(2) अन्य			81183970	248670	473870	486537870	568444380
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
कुल	0	0	81183970	248670	473870	486537870	568444380

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
	बाण्ड आवेदन राशि	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के प्रति देयता	620,469,470	456,707,900
	जमा	-	-
	पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयता (टिप्पणी 20.4.1 देखें)	4,099,842	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति देयता दायित्व	2,242,494	-
	ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	-	-
	उपार्जित और ऋण पर देय ब्याज	-	-
	धरोहर राशि जमा / प्रतिधारण राशि	121,750,295	20,442,177
	मूल/ सहायक कंपनियों के कारण	552,379,877	-
	शेयर आवेदन राशि के लिए देयता - वापसी योग्य सीमा तक	-	-
	अदा न किया गया लाभांश	-	-
	अदा न किया गया ब्याज	-	-
	कर्मचारियों को देय	1,880,324	2,232,827
	अन्यों को देय	349,176	258,423
	कुल	1,303,171,478	479,641,327
20.4.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	4,099,842	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया ब्याज	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(14) में दिया गया है।		
20.4.2	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
जमा/एजेंसी आधार कार्यों पर अव्ययित राशि कार्य	-	-
देय जल उपयोग शुल्क	-	-
देय होने वाली सांविधिक देनदारियां	95,287,002	68,718,607
अनुबंध देयताएं-जमा कार्य	-	-
अनुबंध देयताएं-परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संबंध में वसूली योग्य राशि का प्रावधान	-	-
ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	-	-
सरकार से सहायता-अनुदान - आस्थगित आय से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या-19 देखें)	-	-
कुल	95,287,002	68,718,607

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

ब्यौरा		31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3,074,905	1,555,803
	वर्ष के दौरान वर्धन	2,643,724	3,074,905
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई/ अंतरित राशि	3,074,905	1,555,803
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	2,643,724	3,074,905
ii)	निष्पादन संबंधी वेतन/ प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	97,891,699	115,369,583
	वर्ष के दौरान वर्धन	74,325,179	31,363,915
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	89,036,937	37,078,772
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	2,791,823	11,763,027
	अंतिम शेष	80,388,118	97,891,699
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	-	-
	अग्रिम का निवल अंतिम शेष	80,388,118	97,891,699
iii)	सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iv)	वेतन संशोधन का प्रावधान- तीसरी वेतन संशोधन समिति		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख.	अन्य		
i)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-

	अंतिम शेष	-	-
ii)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन वर्ष के दौरान उपयोग की गई वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि छूट की समाप्ति अंतिम शेष	1,517,174,703 - 300,601,703 - -	870,951,000 746,223,703 100,000,000 - -
iii)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन वर्ष के दौरान उपयोग की गई वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि अंतिम शेष	- - - - -	- - - - -
iv)	आजीविका सहायता का प्रावधान पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन वर्ष के दौरान उपयोग की गई वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि छूट की समाप्ति अंतिम शेष	- - - - - -	- - - - - -
v)	माध्यस्थम पंचाट/ न्यायालय मामलों के संबंध में प्रावधान पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन वर्ष के दौरान उपयोग की गई वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि अंतिम शेष	- - - - -	- - - - -
vi)	प्रावधान- अन्य पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन वर्ष के दौरान उपयोग की गई वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि अंतिम शेष	- - - - -	- - - - -
	कुल	1,299,604,842	1,618,141,307

22.1

शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	210,022,984	165,692,345
वर्ष के दौरान वर्धन	78,969,812	44,330,639
वर्ष के दौरान समायोजित की गई	44,330,639	
वर्ष के दौरान उपयोग की गई	165,692,345	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई		
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	78,969,812	210,022,984
घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	87,312,916	214,396,533
निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	(8,343,104)	(4,373,549)
(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-4 के अधीन प्रकट की गई)	8,343,104	
(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-12 के अधीन प्रकट की गई)		4,373,549
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 प्रचालनों से राजस्व

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	प्रचालन राजस्व		
	बिक्री (टिप्पणी 24.1.1 और 24.1.2 देखें)		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	मूल्यहास पर अग्रिम - अवधि के दौरान पश्चलेखित	-	-
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	-
	उप-जोड़ (i)	-	-
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के कारण बिक्री समायोजन	-	-
	टैरिफ समायोजन (टिप्पणी 24.1.2 देखें)	-	-
	विनियमित विद्युत समायोजन	-	-
विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित) ग्राहकों को छूट	-	-	
उप-जोड़ (ii)	-	-	
उप - जोड़ (क) = (i -ii)		-	-
ख. ग.	वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी 34(15)(बी) देखें)	-	-
	प्रचालन पट्टे से आय	-	-
घ.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व		
	अनुबंध आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	उप - जोड़ (घ)	-	-
ङ.	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	-	-
	व्यापार अंतर	-	-
	उप - जोड़ (ई)	-	-

	उप-जोड़-I (क+ख+ग+घ+ङ)	-	-
च.	अन्य प्रचालन राजस्व		
	स्व-उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	-
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	-	-
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	-	-
	उप-जोड़-II	-	-
	कुल (I+II)	-	-

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय		
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- गैर कर योग्य	-	-
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- कर योग्य	-	-
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5% कर मुक्त बांड)	-	-
	- जमा खाता	313,770,710	176,138,952
	- कर्मचारी के ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	189,826	188,373
	- ठेकेदारों को अग्रिम	393,309,054	180,318,992
	- अन्य	-	-
ख)	लाभांश आय		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी 34.8 देखें)	-	-
	- लाभांश - अन्य	-	-
ग)	अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय को सीधे आरोग्य व्यय का निवल)		
	विलंब भुगतान अधिभार	-	-
	व्यापार में बाधा के कारण हानि की वसूली	-	-

निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	4,921
बीमा दावे से आय	-	-
देयताएं/क्षति भत्ते/पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं होने वाले प्रावधान (टिप्पणी 24.2.1 देखें)	952,784	43,949
ठेकेदार को जारी सामग्री		
(i) ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	-	-
(ii) ठेकेदारों को वसूली योग्य आधार पर जारी सामग्री की लागत	-	-
(iii) ठेकेदार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	-	-
सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी 19 देखें)	-	-
विनिमय दर अंतर (निवल)	-	-
व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ	-	-
अन्य	19,177,183	7,188,329
उप जोड़	727,399,557	363,883,516
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	727,399,557	363,883,516
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	413,518,540	187,561,679
घटाएं: ग्राहक/ ठेकेदारों से अग्रिम/जमा को अंतरित और जमा कार्यों के प्रति	-	-
घटाएँ: अन्य आय का अनुदान में अंतरण	-	-
कुल	313,881,017	176,321,837

24.2.1	देयताओं/हानि भत्तों/पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों का विवरण		
क)	खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते		
ख)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		
ग)	राज्य सरकार को खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		
घ)	खराब और संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए भत्ते		
ड)	मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और हास के		

	लिए भत्ते		
च)	व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		
छ)	खराब और संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते		
ज)	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
झ)	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
ञ)	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
ट)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
ठ)	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
ड)	दीर्घावधि लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
ढ)	पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		43,949
ण)	टैरिफ समायोजन का प्रावधान		
त)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
थ)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
द)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान		
ध)	तीसरी पीआरसी के लिए प्रावधान		
न)	अन्य	952,784	-
	कुल	952,784	43,949

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद - व्यापार

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	-	-
कम : आपूर्तिकर्ता से छूट	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 25.2 उत्पादन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जल उपयोग शुल्क	-	-
भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
उप जोड़	-	-
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	616,982,008	504,642,282
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	81,392,717	59,625,201
कर्मचारी कल्याण व्यय	55,506,775	30,632,287
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
उप जोड़	753,881,500	594,899,770
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	(32,832)	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	753,848,668	594,899,770
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	619,869,310	478,651,710
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
कुल	133,979,358	116,248,060

26.1	कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास के लिए पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
26.2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान में निम्नलिखित शामिल है:	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	39,389,831	34,752,479
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के प्रति	30,831,516	14,017,130
26.3	वेतन और मजदूरी में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल है।	-	168026

टिप्पणी सं. 27 वित्त लागत		(राशि रुपये में)	
विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
	बॉण्ड	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	भारत सरकार ऋण	-	-
	अल्पकालिक ऋण	-	-
	नकद ऋण सुविधाएं / डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज शुल्क	-	-
	पट्टा देयताएं	933,293	1,254,341
	छूट की समाप्ति-भारत सरकार ऋण	52,167,292	-
	उप जोड़	53,100,585	1,254,341
ख.	अन्य ऋण लागत		
	कॉल स्प्रेड/कूपन अदला-बदली	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	659	333,118
	छूट-प्रावधान और वित्तीय देनदारियों को समाप्त करना	2,219,088	3,238,849
	उप जोड़	2,219,747	3,571,967
ग.	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू शुद्ध (लाभ) / हानि		
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियों को अंतरित	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	आयकर पर ब्याज	-	-
	कुल (क + ख + ग + घ)	55,320,332	4,826,308
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	कुल	55,320,332	4,826,308
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	55,025,053	4,547,568
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	295,279	278,740

टिप्पणी संख्या 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	44,875,199	43,484,758
मूल्यहास-उपयोग का अधिकार	104,232,866	92,043,107
परिशोधन-अमूर्त परिसंपत्तियां	1,474,181	1,010,214
विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 19 और 5(घ)(ii) देखें)	-	-
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	150,582,246	136,538,079
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	140,036,063	126,534,019
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
कुल	10,546,183	10,004,060

टिप्पणी सं. 29 अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ख. मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	66,474,931	52,550,253
- मशीनरी	-	-
- अन्य	6,706,019	6,067,654
ग. अन्य व्यय		
किराया	56,796,234	28,080,681
किराया प्रभार	5,803,123	3,003,075
दरें और कर	10,568,624	8,739,789
बीमा	786,496	975,363
सुरक्षा व्यय	34,741,482	19,136,588
विद्युत प्रभार	9,163,614	7,871,758
यात्रा और परिवहन	10,759,171	6,791,883
वाहनों पर व्यय	5,773,429	3,603,395
टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	7,070,795	3,934,063
विज्ञापन और प्रचार	3,781,417	802,240
मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	1,124,682	469,469
मुद्रण और लेखन सामग्री	2,886,807	3,328,479
परामर्श शुल्क - देशीय	252,384,821	263,994,920
परामर्श शुल्क - विदेशी	-	-
लेखापरीक्षा व्यय (टिप्पणी 29.2 देखें)	236,000	295,000
प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय संबंधी व्यय	1,125,000	25,700
भूमि पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	16,120,731	24,583,158
आस्तियों पर हानि (निवल)	70,405	1,392,690
बीमा दावों से क्षति	-	-
दान	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 34(13) देखें)	2,554,121	4,247,090
सामुदायिक विकास व्यय	-	-
निदेशकों का बैठक शुल्क	-	-
माध्यस्थम/न्यायालय मामलों पर ब्याज	-	-
लाभार्थी को ब्याज	-	-

स्व-उत्पन्न किए गए वीईआर/आरईसी पर व्यय	-	-
विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-	-
घटाएं: - विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-
विनिमय दर अंतर (निवल)	998,569	61,040
प्रशिक्षण व्यय	315,508	347,350
याचिका शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अन्य शुल्क - सीईआरसी / आरएलडीसी / आरपीसी / आईईएक्स / पीएक्सआईएल को केन्द्रीय विद्यालय के संचालन/चालन व्यय	4,825	-
अन्य विद्यालयों के संचालन/चालन व्यय	-	-
अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन/चालन व्यय	-	-
डीजी सेट-आवासीय के अलावा अन्य परिचालन व्यय	-	-
व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
अन्य सामान्य व्यय	13,018,776	10,799,762
उप जोड़	509,265,580	451,101,400

जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	(1,318,361)	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	507,947,219	451,101,400
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	463,571,975	413,833,306
घटा: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
घटाएं: पुनर्खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
उप-जोड़ (i)	44,375,244	37,268,094
उः प्रावधान/क्षति भत्ता	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति भत्ता	-	-
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए क्षति भत्ता - व्यापार प्राप्तियां	-	-
अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	-	-
खराब और संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता	-	-
भंडार और कलपुर्जों/निर्माण भंडार के लिए भत्ता	-	-
भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-

निवेश के मूल्य में कमी के प्रति भत्ता	-	-
परियोजना व्यय के लिए भत्ता	-	-
जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ता	-	74,554
स्व-निर्मित वीईआर की मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए भत्ता	-	-
लाभार्थियों को ब्याज (टिप्पणी 29.2 देखें)	-	-
न्यायालय/मध्यस्थता निर्णय के प्रति ब्याज	-	-
अन्य	-	-
उप जोड़	-	74,554
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	-	74,554
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	74,554
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
उप-जोड़ (ii)	-	-
कुल (i+ii)	44,375,244	37,268,094

29.1 पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।

(राशि रुपये में)

29.2	लेखापरीक्षा व्यय का विवरण निम्नवत है:-	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षा शुल्क	236,000	236,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	अन्य क्षमता में कराधान मामले	-	-
	कंपनी कानून मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	ii) लागत लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-

	iii) माल और सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा शुल्क व्यय की प्रतिपूर्ति कुल लेखापरीक्षा व्यय	- - -	59,000 - -
		236,000	295,000
29.3	किराए में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं।		
(i)	एक माह या उससे कम की पट्ट अवधि के अलावा अन्य अल्पकालिक पट्टों पर व्यय	43,716,338	20,866,090
(ii)	कम मूल्य की संपत्ति के दीर्घकालिक पट्टे पर व्यय	7,193,095	4,659,974
(iii)	पट्टा देनदारियों के माप में शामिल नहीं होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	5,886,801	2,554,617

टिप्पणी सं. 30.1 कर व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	78,969,812	44,330,639
पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन	12	-
<u>कुल वर्तमान कर व्यय</u>	<u>78,969,824</u>	<u>44,330,639</u>
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित	-	-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	-	-
- मेट क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	-	-
आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि (कमी)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित	-	-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	-	-
<u>कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
निवल आस्थगित कर	-	-
<u>कुल</u>	<u>78,969,824</u>	<u>44,330,639</u>

टिप्पणी सं. 30.2 अन्य व्यापक आय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं : रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आयकर	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन	-	-
-नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में संचलन-	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं: नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्व (कर का निवल)	-	-
और नियामक आस्थगित लेखा शेष (क) का पुनर्मापन	-	-
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-
घटाएं : इक्विटी लिखतों पर आयकर	-	-
उप जोड़ (ख)	-	-
कुल (i)=(क)+(ख)	-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
- ऋण लिखतों में निवेश	-	-
घटाएं: ऋण लिखतों में निवेश पर आयकर	-	-
कुल (ii)	-	-
कुल =(i+ii)	-	-

टिप्पणी सं. 31 नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	-
(ii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	998,569	61,040
(iii) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन	-	-
(iv) टैरिफ अवधि 2014-2019 और उसके बाद के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	-	-
(v) कोविड -19 लॉक डाउन अवधि के दौरान ऋण और अन्य लागतों के कारण नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	-	-
क) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
ख) अन्य खर्चे	-	-
ग) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
घ) वित्त लागत	-	-
ड) अन्य आय	-	-
उप जोड़ (vii)	-	-
(vi) मेट क्रेडिट	-	-
कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	998,569	61,040
विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	-	-
जोड़ें: लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
कुल	998,569	61,040

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14 देखें।

टिप्पणी सं. 32 वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	उत्पादन व्यय भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी लाभ व्यय वेतन और मजदूरी भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशादान कर्मचारी कल्याण व्यय अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	417,908,696 56,128,291 36,325,445 -	328,606,300 40,588,312 14,374,256 -
	उप जोड़	510,362,432	383,568,868
ग.	वित्त लागत निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी 2.2.1 देखें) बांड विदेशी ऋण सावधि ऋण	- - -	- - -
	नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर को हेजिंग लेनदेन पर हानि बांड इश्यू/सेवा व्यय प्रतिबद्धता शुल्क ऋण पर गारंटी शुल्क अन्य वित्त शुल्क	- - - - - 659	- - - - - 333,118
	ईएसी को व्यय का हस्तांतरण- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	52,167,292	-
	ईएसी को व्ययों का अंतरण -सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रतिधारण धन-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2,561,824	3,935,712
	ईएसी को व्यय का अंतरण- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	-	-

	ईएसी-प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय में व्यय का अंतरण-समय मूल्य के लिए समायोजन	-	-
	उप जोड़	54,729,775	4,268,830
घ.	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	129,489,884	116,529,966
	उप जोड़	129,489,884	116,529,966
ङ.	अन्य व्यय		
	मरम्मत और रखरखाव :		
	-भवन	40,836,203	32,924,435
	-मशीनरी	-	-
	-अन्य	3,830,370	3,440,681
	किराया और किराया प्रभार	62,440,487	31,029,528
	दरें और कर	1,485,971	1,222,694
	बीमा	133,664	127,375
	सुरक्षा व्यय	25,116,433	10,152,276
	विद्युत शुल्क	4,937,229	4,640,779
	यात्रा और परिवहन	7,721,118	4,924,554
	वाहनों पर व्यय	2,079,901	859,790
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	5,191,145	2,051,575
	विज्ञापन और प्रचार	1,180,000	76,440
	मुद्रण और लेखन सामग्री	1,707,389	2,181,382
	डिजाइन और परामर्श शुल्क:		
	- देशीय	250,580,348	262,929,724
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय पर व्यय	1,125,000	25,700
	भूमि पर व्यय जो कंपनी से संबद्ध नहीं है	16,120,731	24,583,158
	बट्टे खाते में डाले गए संपत्तियां/दावे	25,031	-
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	-
	संपत्ति की बिक्री पर हानि	282,001	513,805
	अन्य सामान्य व्यय	7,572,618	5,416,381
	विनिमय दर भिन्नता (डेबिट)	-	-
	उप जोड़	432,365,639	387,100,277
च.	प्रावधान	-	74,554
	उप जोड़	-	74,554
छ.	कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	अन्य आय	(1,498,933)	(715,859)

	अन्य व्यय	31,206,336	26,733,029
	कर्मचारी लाभ व्यय	109,506,878	95,082,842
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	10,546,179	10,004,053
	वित्त लागत	295,278	278,738
	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	150,055,738	131,382,803
ज.	घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	-	-
	ऋण और अग्रिम पर ब्याज	393,366,453	180,324,430
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	260	43,949
	विविध प्राप्तियां	18,638,042	6,477,441
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - सुरक्षा जमा	14,852	-
	ईएसी को आय का अंतरण - व्युत्पन्न पर एमटीएम लाभ	-	-
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर	-	-
	उप जोड़	412,019,607	186,845,820
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) (टिप्पणी 2.2 देखें)	864,983,861	836,079,478

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय अनुपातों संबंधी प्रकटन								
(1) उचित मूल्य मापन								
क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत								
(राशि रूप में)								
	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	गैर-वर्तमान निवेश							
क)	इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1			-			-
ख)	ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत"	3.1			-			-
	उप जोड़			-	-		-	-
(ii)	ऋण							
क)	संयुक्त उद्यम को ऋण	3.2			-			-
ख)	कर्मचारी	3.2			892,903			1,414,538
ग)	सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)"	3.2			-			-
घ)	अन्य	3.2			-			-
(iii)	अन्य							
क)	जमा	3.3			13,468,920			1,545,289
ख)	ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.3			-			-
ग)	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.3			-			-
घ)	आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	3.3			-			-
ङ)	व्युत्पन्न मार्क टू मार्किट परिसंपत्ति	3.3		-			-	
च)	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज	3.3			10,000,000			-

	सहित)						
	कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	24,361,823	-	2,959,827
	वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i)	व्यापार प्राप्य	7			-		-
(ii)	नकदी और नकदी समतुल्य	8			3,943,290,654		1,975,477,344
(iii)	नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			6,561,155,104		3,802,400,000
(iv)	ऋण	10					
क)	कर्मचारी ऋण				2,856,231		3,626,043
ख)	ऋण				-		-
ग)	अन्य				-		-
(v)	अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			812,983,221		62,567,875
(vi)	अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11					
	कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				11,320,285,210	-	5,844,071,262
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां				11,344,647,033	-	5,847,031,089

	वित्तीय देयताएं						
			-	-			
(i)	दीर्घावधि ऋण	16.1			2,081,334,005		-
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			5,544,743		5,875,659
(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं	16.3			32,225,109		20,710,264
(iv)	ऋण - अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			-		-
(v)	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			7,360,727		9,575,048
(vi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			83,195,965		568,444,380
(vii)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं						
क)	ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			-		-
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	20.4			1,303,171,478		479,641,327
	कुल वित्तीय देयताएं				3,512,832,027		1,084,246,678

ख) उचित मूल्य मापन

i) उचित मूल्य स्तर अनुक्रम

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है

स्तर-1 : स्तर-1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

		(राशि रूपए में)					
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) निवेश -							
- इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	-			-		
- ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र)	3.1	-			-		

	उपक्रम) में - उद्धृत*							
	एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.3					0	
	कुल		-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

* इन लिखतों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए) के तहत निकाला गया है।
अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है

		(राशि रूप में)						
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	ऋण							
क)	कर्मचारी	3.2		1192427			1913272	
ख)	ऋण	3.2		-			-	
ग)	अन्य	3.2			-			-
(ii)	अन्य							
क)	जमा	3.3			13,468,920			1,545,289
ख)	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	3.3		10,000,000			-	

	(प्रोद्भूत ब्याज सहित							
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		0	11192427	13468920	0	1913272	1545289
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4						
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2			12,905,470			15450707
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं	16.3	-		34,262,251	0		20933902
	कुल वित्तीय देयताएं		0	0	47167721	0	0	36384609

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

		(राशि रूप में)				
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	ऋण					
क)	कर्मचारी	3.2	892,903	1,192,427	1,414,538	1,913,272
ख)	ऋण	3.2	-	-	-	-
ग)	अन्य	3.2	-	-	-	-
(ii)	अन्य					
क)	जमा	3.3	13,468,920	13,468,920	1,545,289	1,545,289
ख)	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	10,000,000	10,000,000	-	-

	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		24,361,823	24,661,347	2,959,827	3,458,561
	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोन्नत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	2,081,334,005	2,081,334,005	-	
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2	12,905,470	12,905,470	15,450,707	15,450,707
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं	16.3	32,225,109	34,262,251	20,710,264	20,933,902
	कुल वित्तीय देयताएं		2,126,464,584	2,128,501,726	36,160,971	36,384,609

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

- कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर एनएचपीसी की भारत औसत दर पर।
- बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है

i. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii. **नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) **ऋण जोखिम**

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आता है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेतों का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर कंपनी के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एस 116 के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात विद्युत स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	-	-
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	14,361,823	2,959,827
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	10,000,000	-
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	3,943,290,654	1,975,477,344
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	6,561,155,104	3,802,400,000
ऋण - वर्तमान	2,856,231	3,626,043
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	812,983,221	62,567,875
कुल (क)	11,344,647,033	5,847,031,089
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	-	-
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	11,344,647,033	5,847,031,089

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्रायों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

यह कंपनी मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटीयां शामिल हैं। कंपनी के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001-02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्टूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने का कार्य जारी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु कंपनी की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख-पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केन्द्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर-स्थापना के संदर्भ में कंपनी द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जो कंपनी के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्रायों का आंकलन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी व्यापार प्राय की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:
(राशि रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली राशि	योग्य ऋण	कुल
01.04.2020 को शेष	-	-	-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	0	0	0	0
01.04.2021 को शेष	0	0	0	0
हानि भत्ते में परिवर्तन	0	0	0	0
31.03.2022 को शेष	0	0	0	0

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो। कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(राशि रूपए में)		
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनशील दर पर	-	-
स्थिर दर	-	-
कुल	-	-

ii. **वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:**

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2022 को

(राशि रूपए में)						
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	5,985,700,000	-	-	-	5,985,700,000
पट्टा देयताएँ	16.2 और 20.2	12,905,470	7,360,727	5,797,336	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	1,345,592,599	1,303,316,846	262,520	42,013,233	-
व्यापार देय	20.3	83,195,965	83,195,965	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		7,427,394,034	1,393,873,538	6,059,856	42,013,233	5,985,700,000

31 मार्च, 2021 को

							(राशि रूप में)
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक	
ऋण	16.1 और 20.1	-	-	-	-	-	
पट्टा देयता	16.2 और 20.2	15,450,707	9,575,048	6,257,837	-	-	
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	510,569,116	479,728,892	62,154	30,778,070	-	
व्यापार देय	20.3	568,444,380	568,444,380	-	-	-	
कुल वित्तीय देयताएं		1,094,464,203	1,057,748,320	6,319,991	30,778,070	-	

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	भारित ब्याज दर (%)	औसत	भारित ब्याज दर (%)	औसत
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)				
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)				
नियत दर ऋण (एफसी)				
कुल				

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

(ii) मूल्य जोखिम:

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
अन्य वित्तीय देयताएं	50,766,074	942,756
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	50766074	942756

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2020-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)

अनुकूलन अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) कुल ऋण	2,094,239,475	15,450,707
(ख) कुल पूंजी (34,904,586,105	27,729,959,547
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.06	0.00

टिप्पणी सं. - 33(4) :- सीवीपीपीएल के वित्तीय अनुपात

क्रम सं.	विवरण	अंश	हर	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि	प्रतिशत अंतर	अंतर के कारण
क-	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	4.07	2.14	90.19	वर्तमान अनुपात में वृद्धि का कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोटरों द्वारा इक्विटी अंशदान और भारत सरकार द्वारा उप-ऋण के कारण वर्तमान संपत्ति में वृद्धि के चलते है।
ख-	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.06	0.00	-	इस अनुपात में वृद्धि का कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उप-ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि के चलते है।
ग-	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
घ-	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	कर पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.15	(0.14)	207.14	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।
ङ-	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
च-	प्राप्य व्यापार टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत देनदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

छ-	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात	क्रय	देय औसत व्यापार	1.43	0.71	101.41	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य वित्तीय देयताओं के लिए देय व्यापार के पुनर्समूहन के चलते है ।
ज-	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
झ-	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	प्रचालनों से राजस्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ञ-	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पूर्व आय	नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्तियां-वर्तमान देयताएं)	0.31	0.05	520.00	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।
ट-	निवेश पर प्रतिफल			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी संख्या - 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं -

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **143,26,66,095 रूपये** (पिछले वर्ष **142,61,93,590 रूपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध माध्यस्थ अधिनिर्णय के प्रति **1,77,97,740 रूपये** (पिछले वर्ष **2,03,75,482 रूपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **1,43,26,66,095 रूपये** (पिछले वर्ष **142,61,93,590 रूपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **5,32,788 रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788 रूपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **5,32,788 रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788 रूपये**) का

अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

							(रूपए में)
क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को दावे	दावों के विरुद्ध अद्यतन प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(vii) = (v) -	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	1432666095	0	1432666095	1426193590	6472505	220531862
2.	भूमि मुआवजा मामले	0	0	0	0	0	0
3.	विवादित कर मामले	0	0	0	0	0	0
4.	अन्य	532788	0	532788	532788	0	0
	कुल	1433198883	0	1433198883	1426726378	6472505	220531862

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बहिर्प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **शून्य रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **79,38,932 रूपये** (पिछले वर्ष **79,38,932 रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/वर्तमान परिसंपत्तियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित में दर्शाया गया है।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2022 को आकस्मिक देयताओं के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2022 को दावे	दावों के विरुद्ध अद्यतन प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v) - (vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	0	0	0	0	0	0
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	0	0	0	0	0	0
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)	0	0	0	0	0	0
4	अन्य	143319888 3	0	1433198883	142672637 8	647250 5	22053186 2
	कुल	143319888 3	0	1433198883	142672637 8	6472505	220531862

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **3,51,81,330 रूपये** (पिछले वर्ष **3,51,81,330 रूपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों, जिसमें नीति आयोग के निर्देशों/अदालत में लंबित मामलों के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज, परिसमाप्त क्षतियां, पूर्व कर्मचारियों से बकाया आदि शामिल है, जिसका प्रबंधन द्वारा **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) अनुमान लगाया गया है, को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार हैं :

(राशि रूप में)			
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	92,46,65,15,009	99,94,71,60,999
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	1,41,43,102	1,41,43,102
	कुल	92,48,06,58,111	99,96,13,04,101

4. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने तक, कुछ मदों के कार्यों की निष्पादित मात्रा के लिए अनुमोदित मात्रा से अधिक किए गए और/अथवा **कुल 6,30,29,123/- रूपए** (पिछले वर्ष **रूपए 2,80,36,432/-**) की राशि के लिए अतिरिक्त मदों के लिए किए गए अनंतिम भुगतान/प्रावधान पूंजीगत कार्य प्रगति पर/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किए गए हैं।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)			
क्रम सं	विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	0	0
(ii)	ऋण लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि *	0	0
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि में समायोजित राशि	0	0
(iv)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मान्यता दी गई राशि	10,59,609	0

* हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव प्रचलित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019-24 के निबंधनों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। वर्ष के लिए उधारियों की लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर भिन्नता को कंपनी की उल्लेखनीय लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति (लाभार्थियों से वसूलीयोग्य) में स्थानांतरित किया जाता है।

6. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है।

ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

7. इंड एस-24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) मूल कंपनी :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1-	सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2-	अटल डुल्लू, आईएएस	निदेशक
3-	नीतीशवर कुमार, आईएएस	निदेशक
4-	आर.पी.गोयल	निदेशक
5-	वी.के.चौबे	निदेशक
6-	रजत गुप्ता	प्रबंध निदेशक
7-	सुधीर आनंद	कंपनी सचिव

(iii) रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत

(iv) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है जो क्रमशः केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	सीवीपीपीपीएल के साथ संबंध की प्रकृति
1.	एनएचपीसी	कंपनी पर नियंत्रण होने वाला प्रमोटर
2.	जेकेएसपीडीसी	कंपनी पर नियंत्रण होने वाला प्रमोटर
3.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाली एनएचपीसी (मूल कंपनी) में शेयरधारक
4.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाली जेकेएसपीडीसी (मूल कंपनी) में शेयरधारक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) एनएचपीसी के साथ लेन-देन और शेष

(राशि रुपये में)

लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
• एनएचपीसी	37,57,06,519	27,59,00,400
कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लाभांश		
• एनएचपीसी		
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	447,37,12,860	500,00,00,000
प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचपीसी		
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी		
कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी		

(राशि रुपये में)

शेष	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
निम्नलिखित से प्राप्य (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	0	79,83,357
निम्नलिखित को देय (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	61,89,83,167	48,62,15,789
निम्नलिखित द्वारा इक्विटी में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	1839,45,12,860	1388,00,00,000
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	0	0
निम्नलिखित को देय ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	0	0

(ii) जेकेएसपीडीसी के साथ लेनदेन और शेष :-

(राशि रुपए में)

लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0	0
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	0	0
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	265,42,00,000	403,73,00,000
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	0	0
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ऋण	0	0
कंपनी द्वारा अदा किए गए ऋण पर ब्याज	0	0
कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	0	0

(राशि रुपए में)

शेष:-	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)	0	0
देय (अप्रतिभूत)	0	0
इक्विटी में निवेश	15970000000	13315800000
प्राप्य ऋण और अग्रिम	0	0
देय ऋण और अग्रिम	0	0

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेन-देन और शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2022 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	20,31,082/ -						

2. प्रबंध निदेशक							
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	44,42,998/ -						
ए के चौधरी पैन:- AADPC5489N	66,92,636/ -						
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	24,27,428/ -						

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2021 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार- पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन:- AJUPK7760L	18,63,828 /-						
2. प्रबंध निदेशक							
ए के चौधरी पैन :- AADPC5489N	70,99,967 /-						
एम एस बाबू पैन:- ADFPB9884P	17,74,697 /-						
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	23,30,643 /-						

(iv) रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

राशि रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं (नाम)	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापिसी का निवल)		रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से शेष	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को	31.03.2021 को
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	9,27,100/-	19,78,875/-		
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	2,42,28,404/-	2,18,34,331/-		
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	6,60,875/-	6,02,650/-		
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	2,81,61,005/-	1,22,51,315/-		

(v) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केन्द्र सरकार)

विवरण	(राशि रुपए में)	
	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री		
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश		
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	598,57,00,000	0
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		

(vi) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	598,57,00,000	0
• देय (अप्रतिभूत)		
• प्राप्य (प्रतिभूत)		

(vii) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात जम्मू और कश्मीर सरकार)

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	60,947,737	
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री		
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश		
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण		
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		

(viii) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
जम्मू और कश्मीर सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	0	0
• देय (अप्रतिभूत)	0	0
• प्राप्य (प्रतिभूत)	74,57,67,880	0

(ग) **संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां**

(i) **संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें**

- क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटी मर्गों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंौ सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्गों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।
- ख. कंपनी द्वारा मूल कंपनी से प्राप्त परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।
- ग. 31.03.2022 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

8. प्रतिभूति के विवरण: उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रेनीत राशि निम्नानुसार है

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	0	0
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	0	0
	कुल	0	0

9. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण
(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है और ऐसा अंशदान योजना के प्रचालन की तिथि अर्थात् 05.06.2018 से निधि को बनाने के लिए 8 वर्ष तक। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **9,27,100/- रुपए** (पिछले वर्ष **19,87,375 रुपए**) है।

(ii) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व है:

(क) **योजनाओं का विवरण**

(i) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन ($15/26 \times$ अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा **0.20 करोड़** रुपये है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(iii) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) **तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन**

(i) **उपदान:** 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

विवरण	(राशि रूप में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = 1/4i + 1/2ii + 1/4ii
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2,79,97,840	0	2,79,97,840
वर्तमान सेवा लागत	45,00,751	0	45,00,751
ब्याज व्यय/(आय)	18,92,654	0	18,92,654
अदा किए गए लाभ	(10,50,291)	0	(10,50,291)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	53,43,114	0	53,43,114
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0		0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0		0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0		0
अनुभव (लाभ)/हानि	0		0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0		0
- योजना प्रतिभागी	0		0
हितलाभ भुगतान	0		0
31.03.2022 को अंतिम शेष	3,33,40,954		3,33,40,954

विवरण	(राशि रूप में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = 1/4i + 1/2ii + 1/4ii
	2020-21		
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2,13,94,688	0	2,13,94,688
वर्तमान सेवा लागत	53,50,826	0	53,50,826
ब्याज व्यय/(आय)	14,46,281	0	14,46,281
अदा किए गए लाभ	(193955)	0	(193955)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल	66,03,152	0	66,03,152

राशि/निर्माण के दौरान व्यय			
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2021 को अंतिम शेष	2,79,97,840	0	2,79,97,840

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताए गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(राशि रूपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,33,40,954	2,79,97,840
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	3,33,40,954	2,79,97,840
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	0	0
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	3,33,40,954	2,79,97,840

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी			
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	8.31%	8.47%	इससे वृद्धि	9.29%	9.51%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.47%	8.71%	इससे कमी	7.06%	8.48%

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(राशि रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii= ¼i½&¼ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	2954231	0	2954231
ब्याज व्यय/(आय)	0	0	0
कटौती लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	14423746	0	14423746
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	17377977	0	17377977
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0	0	0
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2022 को अंतिम शेष	17377977	0	17377977

विवरण	(राशि रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान	योजनागत परिसंपत्तियों	निवल राशि दायित्व/

	मूल्य	का उचित मूल्य	(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=1/4i+1/2ii+1/4iii
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	0	0	0
ब्याज व्यय/(आय)	0	0	0
अदा किए गए लाभ	0	0	0
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0	0	0
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2021 को अंतिम शेष	0	0	0

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

	(रूपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021

वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,73,77,977	0
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	1,73,77,977	0
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	0	0
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	1,73,77,977	0

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

विवरण	(राशि रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii= ¼i½&¼ii
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1,70,803	0	1,70,803
वर्तमान सेवा लागत	9,461	0	9,461
ब्याज व्यय/(आय)	11,546	0	11,546
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	21,007	0	21,007
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0	0	0
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2022 को अंतिम शेष	1,91,810	0	1,91,810

(राशि रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii= ¼i½&¼ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	1,29,195	0	1,29,195
वर्तमान सेवा लागत	32,874	0	32,874
ब्याज व्यय/(आय)	8,734	0	8,734
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	41,608	0	41,608
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2021 को अंतिम शेष	1,70,803	0	1,70,803

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है। प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव		
	अनुमानों में परिवर्तन	अनुमानों में वृद्धि	अनुमानों में कमी

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	8.04%	8.05%	इससे वृद्धि	9.04%	7.55%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
छूट दर	7.26%	6.76%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) जोखिम प्रदर्शन: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि **21.07 वर्ष** है (गत वर्ष - 20.69 वर्ष)।

उपदान, रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते और स्मृति-चिह्न का प्रत्याशि परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रूप में)				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	
31.03.2022	499.94	885.14	604.77	1161.67	3151.52

उपदान	627007	685419	1958384	30070144	33340954
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	535	2230	11106	176939	190810
कुल	627542	687649	1969490	30247083	33531764
31.03.2021					
उपदान	1403455	449457	1582572	24562356	27997840
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	423	2460	11954	155966	170803
कुल	1403878	451917	1594526	24718322	28168643

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **2,80,87,446 रूपए** (31 मार्च 2021 : **2,16,28,617 रूपए**) है।
- (घ) एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में, जो वर्तमान में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के रोल पर हैं, बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित व्यय को डेबिट/क्रेडिट सलाह के माध्यम से संबंधित वर्ष में सीवीपीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आईयूटी प्रमाण-पत्र में उसी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जे की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	0	0
	ii) अन्य विविध मामले	37,26,26,792/-	0
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	0	0
	ii) देशीय	0	0

11. प्रति शेयर अर्जन:-

- क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन	0.0152	(0.0151)

(रूपए) - मूल और कम किया गया		
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	0.0155	(0.0151)
प्रति शेयर सम मूल्य (रूपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	4.57	(3.17)
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	4.67	(3.18)

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	3,01,15,77,100	2,47,97,80,000

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5,00,000/- रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2021 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2022 को बकाया निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रुपए में)		
	31.12.2021 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2022 को बकाया राशि

व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित)			
पूँजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को अग्रिम	3710458294	3689563674	4060600525
व्यापार/अन्य देय	77678458	37797423	541394120
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	138756555	136442746	138687334

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

13. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (टिप्पणी 29 देखें)

(i) किए गए व्ययों के विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय वाले व्यय के शीर्ष	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	311627	2597937
2	शिक्षा और कौशल विकास	0	1448568
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0	0
4	पर्यावरण	0	0
5	कला और संस्कृति	0	0
6	पूर्व सशस्त्र बल	0	0
7	खेल	0	0
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0	0
9	ग्रामीण विकास	0	0
10	क्षमता निर्माण	0	0
11	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0	0
12	स्वच्छ भारत अभियान	0	0
13	आपदा प्रबंधन	0	199240
14	केंद्र सरकार की निधियों को योगदान	0	0
15	प्रभाव आकलन	0	0
16	प्रशासनिक उपरिव्यय	0	1345
17	चल रहे क्रियाकलाप	2242494	0
	कुल राशि	2554121	4247090

ii. अन्य प्रकटीकरण:-

(क) वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और नकद में भुगतान किए जाने वाले व्यय के विवरण व्यय की प्रकृति (पूँजी या राजस्व प्रकृति) के साथ निम्नानुसार है: -

(राशि रुपये में)

	उद्देश्य	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए			31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए		
		नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0	0	0	1128212	0	1128212
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	311627	2242494	2554121	1747003	1371875	1782228
	कुल	311627	2242494	2554121	2875215	1371875	4247090

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, **25,54,121/- रुपये** की राशि के कुल व्यय में से संबंधित पक्षकारों को **22,42,494/- रुपये** का भुगतान किया जाना शेष है जो देनदारियों से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल हैं।

- iii. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, सीएसआर पर व्यय करने के लिए आवश्यक राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 26,49,830/- रुपए थी (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के आधार पर)।
- iv. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय किए गए 3,60,220/- के प्रति 1,20,073/- रुपये के आधिक्य के समायोजन और आगे के वित्तीय वर्ष में समायोजना के लिए आगे बढ़ाए गए के पश्चात वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 25,54,121/- की कुल राशि का बजट आवंटित किया था। वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत सीएसआर व्यय 25,54,121/- रुपए के प्रति. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान चालू सीएसआर गतिविधि पर 3,11,627/- रुपये खर्च किए गए हैं और 22,42,494/- रुपए कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ली जाने वाली चालू परियोजनाओं के अनुसरण में अव्ययित है।
- v. जारी सीएसआर गतिविधि पर 22,42,494/- रुपये की अव्ययित राशि नियत तारीख के भीतर "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीवीपीपीपीएल अव्ययित सीएसआर लेखे" में जमा की गई हैं और निर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2012 की धारा 135 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2014 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में कंपनी द्वारा व्यय की जाएगी।

14. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	तुलन-पत्र की तारीख पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान		

	<p>नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज :</p> <p>क) व्यापार देय: - मूल धन (टिप्पणी 20.3 देखें) - ब्याज</p> <p>ख) अन्य: - मूल धन (टिप्पणी 20.4 देखें) - ब्याज</p>	90,42,0140	-
		40,99,8420	
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में देरी के वर्ष के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(iv)	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उपार्जित और शेष अदत्त ब्याज की राशि।	-	-
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक और बाद के वर्षों में भी देय होने वाली देय ब्याज की राशि।	-	-

15. इंड एस - 116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फनबचर की छोटी वस्तु और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- ख. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
- ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।
- ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।
- घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारत औसत वृद्धिशील उधार दर 6.20 प्रतिशत है।

- (ii) **पट्टे की प्रकृति** : कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:
- (क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रंजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।
- (ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।
- (घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत माना गया है

(राशि रुपये में)			
क्रम सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	43716338	21034116
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	7193095	4659974
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	5886801	2554617

- (iii) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **88,37,848 रुपये** (गत वर्ष **51,46,434 करोड़ रुपये**) है।
- (iv) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(राशि रुपये में)		
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष	1,54,50,707/-	2,09,42,789/-
पट्टा देयताओं में वृद्धि	83,94,301/-	92,12,743/-

वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	9,33,293/-	12,54,341/-
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	1,18,72,831/-	1,59,59,166/-
अंतिम शेष	1,29,05,470/-	1,54,50,707/-

16. **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अर्थ है किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण/परिवर्धन के लिए किया गया कोई भी व्यय जो पूर्ण होने पर अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य प्रगति पर, अमूर्त परिसंपत्ति आदि) का भाग बन जाएगा। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कैपेक्स के लिए किए गए पूंजीगत व्यय निम्नानुसार हैं:**

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिए	
		31.03.2022	31.03.2021
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन	444560025	47914946
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	5739692230	3790536324
3	उपयोग को अधिकार परिसंपत्तियों में परिवर्धन	175430256	69356080
4	अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्धन		2898707
5	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)		10641843
6	पूंजीगत अग्रिम में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	1312692874	1433316490
	कुल	7,67,23,75,385/-	5,35,46,64,390/-

17. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने अवधारित किया है कि कंपनी को सौपी गई परियोजना निविदा/अवार्ड/निर्माण चरण के तहत है और आज की तारीख तक कोई नकद सृजन इकाई (सीजीयू) विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई संकेत भी मौजूद नहीं है जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी सीजीयू की हानि का संकेत दे।

18. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति

को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं 9 पर प्रकट किया गया है)।**

क) **कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :**

लेखे में वर्तमान में कंपनी की पंजी पर होने वाले एनएचपीसी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) **तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :**
कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) **अन्य प्रावधान**

क) **प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :**

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

ख) **मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:**

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

ग) **प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-**

(i) संभावित बहिर्पवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

19. **भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटन :**

कंपनी प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यहास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु 'दर विनियमित गतिविधियों हेतु लेखाकरण' के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

वित्तीय विवरण में 31.03.2022 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए ऋण शेष नीचे दिए अनुसार हैं

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	61040
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	998569
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	0
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	998569
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1059609

20. किरथार्ड चरण II एचईपी (930 मेगावाट) को निष्पादन के लिए सीवीपीपीपीएल को सौंपा गया है। अलग से कोई लेखा-जोखा तैयार नहीं किया गया है, तथापि ज्ञापन लेखा-जोखा रखा गया है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना द्वारा कुल 4,12,90,351/- रुपए (पिछले वर्ष 34,37,497/- रुपए) की राशि का व्यय किया गया है।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की आवश्यकता के अनुसार "वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण" के संबंध में प्रकटीकरण निम्नवत हैं :

तिमाही	बैंक का नाम	मुहैया करवाई गई प्रतिभूति का विवरण	लेखाबहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक रिटर्न/ विवरण में यथा सूचित राशि	अंतर की राशि	सामग्री विसंगतियों के लिए कारण
जून, 2021	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2021	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 2021	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

22. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण** : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
लागू नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

लागू नहीं	प्राप्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	देय	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	अन्य बकाया देय (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

- 23. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास आरोपों या संतुष्टि के पंजीकरण के संबंध में प्रकटीकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, जहां सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के पास कोई आरोप या संतुष्टि अभी तक दर्ज की जानी है, अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलंब का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- 24. धारित बेनामी संपत्ति के विवरणों के बारे में प्रकटीकरण:**

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

- 25. स्वेच्छाकारी व्यतिक्रमी का बारे में प्रकटीकरण:**

सीवीपीपीएल को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा अन्य उधारदाताओं द्वारा स्वेच्छाकारी व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

- 26. राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति**

वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना एसओ. 281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति योजना (आरएसजीटीपीपी) के निबंधनों के अनुसार, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार कंपनी के पकलडुल एचईपी, किरू एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करता है। तदनुसार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे उन बाजकों के लिए दायर किए जा रहे हैं जिनका कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना और पश्चातवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति बीजकों पर एसजीएसटी के लिए की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2क में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर नकद भुगतान में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता बीजकों पर एसजीएसटी, जो कंपनी के जीएसटीआर-2ए और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर भुगतान की गई नकद राशि में परिलक्षित होता है, को खातों की बहियों में राज्य कर विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 11 देखें)। इसके अलावा, 1,42,83,679/- रुपये की राशि (पिछले वर्ष: शून्य) के बीजक पर एसजीएसटी को, जो जीएसटीआर 2ए में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी

में शामिल किया गया है तथा उसे उस समय राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता की जाएगी, जब वह पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुरूपी समायोजन के साथ समाशोधन (चल रही प्रक्रिया) के उपरांत जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होगी।

27. कोविड-19 का प्रभाव

ये वित्तीय विवरण कंपनी के व्यवसाय पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। कंपनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, सर्वेक्षण और जांच के कार्य में लगी हुई है और कोविड-19 अवधि के दौरान इस पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की निर्माणाधीन परियोजनाओं/सर्वेक्षण एवं जांच तथा अन्य वित्तीय आस्तियों के संबंध में संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों/चल रहे पूंजीगत कार्य की अग्रणीत राशि में हानि का अनुमान लगाने के लिए कोई अतिरिक्त कारण नहीं हैं। कोविड-19 का और अधिक प्रभाव, यदि कोई हो, भविष्य की गतिविधियों पर निर्भर है। कंपनी महामारी के प्रभाव की निगरानी करना जारी रखेगी और क्रिस्टलीकरण के समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

(सीए ईशा सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 564908

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या

06440021

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

(रजत गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

09343451

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू

दिनांक : 13 मई, 2022

वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी सं 35

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में कतिपय संशोधन किए हैं जो 01.04.2021 से लागू है। संशोधित अनुसूची-III के कारण पूर्व अवधि के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति के प्रस्तुतीकरण परिवर्तनों को निम्नानुसार प्रकट किया गया है :-

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पुनर्कथित तुलन-पत्र

(राशि रूप में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	से कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची-III के कारण पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)
परिसंपत्तियां				
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1	531,621,167	-	531,621,167
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	13,198,900,920	-	13,198,900,920
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	8,004,575,258	-	8,004,575,258
घ) निवेश संपत्ति	2.4		-	
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	2,999,831	-	2,999,831
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	10,641,843	-	10,641,843
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
1) निवेश	3.1		-	
2) ऋण	3.2	2,959,827	(1,545,289)	1,414,538
3) अन्य	3.3		1,545,289	1,545,289
ज) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		-	
झ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	5	2,942,922,585	-	2,942,922,585

	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		24,694,621,431	-	24,694,621,431
(2)	वर्तमान परिसंपत्तियां				
क)	मालसूची	6			
ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	1) व्यापार प्राप्य	7			
	2) नकदी और नकदी तुल्य	8	1,975,477,344	-	1,975,477,344
	3) नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	3,802,400,000	-	3,802,400,000
	4) ऋण	10	3,626,043	-	3,626,043
	5) अन्य	11	62,567,875	-	62,567,875
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	4,373,549	-	4,373,549
घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	22,610,362	-	22,610,362
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		5,871,055,173	-	5,871,055,173
(3)	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	61,040	-	61,040
	कुल परिसंपत्तियां		30,565,737,644	-	30,565,737,644
	इक्विटी और देयताएं				
(1)	इक्विटी				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	24,797,800,000	-	24,797,800,000
(ख)	अन्य इक्विटी	15.2	2,932,159,547	-	2,932,159,547
	कुल इक्विटी		27,729,959,547	-	27,729,959,547
(2)	देयताएं				
	गैर-वर्तमान देयताएं				
(क)	वित्तीय देयताएं				

	1) ऋण	16.1	5,875,659	(5,875,659)	
	1क) पट्टा देयताएं	16.2		5,875,659	5,875,659
	2) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	20,710,264	-	20,710,264
(ख)	प्रावधान	17	64,671,505	-	64,671,505
(ग)	विलंबित कर देयताएं (निवल)	18			
(घ)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19			
	कुल गैर वर्तमान देयताएं		91,257,428	-	91,257,428
(3)	वर्तमान देयताएं				
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(1) ऋण	20.1			
	1क) पट्टा देयताएं	20.2		9,575,048	9,575,048
	(2) देय व्यापार	20.3			
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय				
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया देय		568,444,380	-	568,444,380
	(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	489,216,375	(9,575,048)	479,641,327
	अन्य वर्तमान देयताएं	21	68,718,607	-	68,718,607
	प्रावधान	22	1,618,141,307	-	1,618,141,307
	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23			
	कुल वर्तमान देयताएं		2,744,520,669	-	2,744,520,669
(4)	नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2			
	कुल इक्विटी और देयताएं		30,565,737,644	-	30,565,737,644

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए ईशा सिंह)

साझेदार

सदस्यता सं. 564908

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./-

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या

06440021

हस्ता./-

(रजत गुप्ता)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

09343451

हस्ता./-

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू

दिनांक : 13 मई, 2022

भारत सरकार
भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर

सं. : टीएससी/बीएस/सीवीपीपीपीएल/2022-23/121
दिनांक : 18.08.2022

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
प्रधान कार्यालय, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
चिनाब जल शक्ति भवन,
जम्मू।

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मुझे 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि की सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाए जाएं।

कृपया पावती दे।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
हस्ता./-
वरिष्ठ उप महालेखाकार (एमएमजी-1।)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 13 मई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यवाही कागजात की उपलब्धता के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जाँच तक सीमित थी। अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत मेरी जानकारी में आए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाना चाहूंगा और जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

क. सामान्य

लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

शेष राशि की पुष्टि के संबंध में बिंदु संख्या 12 पर किया गया प्रकटीकरण उचित नहीं है क्योंकि टिप्पणी में प्रकट की गई 406.06 करोड़ रुपये की राशि में विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं के प्रति 31.03.2022 तक 29.41 करोड़ रुपये का पूंजी अग्रिम शामिल नहीं है। इसके अलावा, सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं से इस राशि के अग्रिमों के लिए पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई है।

ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अनुबंध-क

(i) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क के बिंदु संख्या (ix) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। यह वक्तव्य इस तथ्य के विपरीत है कि कंपनी को वर्ष 2021-22 के दौरान अधीनस्थ ऋण के रूप में भारत सरकार से 598.57 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जो वाणिज्यिक संचालन के 8वें वर्ष से शुरू होते हुए 12 वर्षों में चुकाने योग्य थी।

(ii) बिंदु संख्या (xvii) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान 2.16 करोड़ रुपये की निवल लेखांकन और 3.17 करोड़ रुपये की नकद हानि हानि हुई है।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
प्रधान महालेखाकार
जम्मू एवं कश्मीर**

स्थान : जम्मू

दिनांक : 18 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
<p>क. सामान्य लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शेष राशि की पुष्टि के संबंध में बिंदु संख्या 12 पर किया गया प्रकटीकरण उचित नहीं है क्योंकि टिप्पणी में प्रकट की गई 406.06 करोड़ रुपये की राशि में विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं के प्रति 31.03.2022 तक 29.41 करोड़ रुपये का पूंजी अग्रिम शामिल नहीं है। इसके अलावा, सरकारी विभागों/अन्य संस्थाओं से इस राशि के अग्रिमों के लिए पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई है।</p> <p>ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध-क (i) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क के बिंदु संख्या (ix) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। यह वक्तव्य इस तथ्य के विपरीत है कि कंपनी को वर्ष 2021-22 के दौरान अधीनस्थ ऋण के रूप में भारत सरकार से 598.57 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई जो वाणिज्यिक संचालन के 8वें वर्ष से शुरू होते हुए 12 वर्षों में चुकाने योग्य थी। (ii) बिंदु संख्या (xvii) पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान 2.16 करोड़ रुपये की निवल लेखाकंन और 3.17 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई है।</p>	<p>क. सीएजी की टिप्पणी सीवीपीपीपीएल के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के बिंदु संख्या 12 पर शेष राशि की पुष्टि के बारे में प्रकटीकरण से संबंधित है, जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रबंधन ने सीएजी की टिप्पणी के अनुपालन में इसे संरक्षित करने के लिए पूर्वोक्त टिप्पणी को संशोधित किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी वार्षिक लेखाओं की टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 12 में प्रबंधन द्वारा किए गए परिवर्तनों से सहमति व्यक्त की है (प्रतिलिपि संलग्न)।</p> <p>ख (i) और ख (ii) सीएजी की टिप्पणी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित है और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 24.08.2022 की युक्तिका जारी की है जिसमें उन्होंने सीएजी की टिप्पणी के अनुपालन में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उससे संरक्षित करने के लिए अपनी दिनांक 13.05.2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन किए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।</p>

टिप्पणी सं. - 34 : 31.03.2022 के अनुसार लेखा पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 34 की मद सं. 12 को निम्नवत संशोधित किया गया है :

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है :

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5,00,000/- रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2021 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2022 को बकाया निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रूप में)		
	31.12.2021 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2022 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित)			
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम	3710458294	3689563674	4354857860
व्यापार/अन्य देय	77678458	37797423	541394120
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	138756555	136442746	138687334

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए राज कुमार मेहरा)

साझेदार

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

हस्ता./-

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(हसन नदीम)

प्रबंध निदेशक

जेएसवीपी & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
108/ए -1, प्रथम फ्लोर नॉर्थ ब्लॉक
बहु प्लाज़ा, जम्मू-180012

टेलीफ़ोन : (०) 0191-2475848
सेल : 9419181848
9419183620
ईमेल : jsvpca@gmail.com
jsvpca@rediffmail.com

दिनांक : 24.08.2022

सेवा में,
महाप्रबंधक (वित्त)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड,
चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू।

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां।

संदर्भ : सी एंड एजी का दिनांक 18 अगस्त 2022 का पत्र संख्या टीएससी/बीएस/सीवीपीपीपीएल/2022-23/121 और सीवीपीपीपीएल का दिनांक 24.08.2022 का पत्र संख्या सीवीपीपी/सीओ/एफआईएन/2022-23/469।

महोदय,

इसका संदर्भ उपरोक्त उल्लिखित पत्रों से है जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2022 के लिए सीवीपीपीपीएल के लेखे पर सी एंड एजी की अंतिम टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। हमने सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अध्ययन किया है और तदनुसार हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अपेक्षित सीमा तक संशोधित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीवीपीपीपीएल की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए दिनांक 13.05.2022 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की मद संख्या (ix) और (xvii) पर युक्तिका जारी की थी जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

इसके अलावा, सीएण्डएजी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीवीपीपीपीएल के वार्षिक लेखों की टिप्पणी सं. 34 की मद संख्या 12 पर भी टिप्पणी की है। हमने सी एण्ड एजी की टिप्पणियों का अध्ययन किया है और तदनुसार सीवीपीपीपीएल के पत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नक-ए के अनुसार वार्षिक लेखे की टिप्पणी संख्या 34 की मद संख्या 12 में सीवीपीपीपीएल द्वारा किए गए परिवर्तनों से सहमत हैं।

मैसर्स जेएसवीपी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

हस्ता-/
राज कुमार मेहरा
साझेदार
सदस्यता सं. 501305

जेएसवीपी & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
108/ए -1, प्रथम फ्लोर नॉर्थ ब्लॉक
बहु प्लाज़ा, जम्मू-180012

टेलीफ़ोन : (०) 0191-2475848

सेल : 9419181848

9419183620

ईमेल : jsvpca@gmail.com

jsvpca@rediffmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परिशिष्ट

सेवा में,

सदस्यगण

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड

हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर दिनांक 13.05.2022 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की निम्नलिखित मदों पर संशोधन किए हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	विद्यमान रिपोर्ट	संशोधित रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की मद सं. ((ix))	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक और सरकार से ऋण या उधार नहीं लिया है अथवा कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के खंड 3((ix)) (क) से 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।”	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक और सरकार से ऋण या उधार की चुकौती में कोई चूक नहीं की है अथवा कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश के खंड 3((ix)) (क) से 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।”
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध-क की मद सं. (17)	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि वहन नहीं की है।”	“हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई नकद हानि वहन नहीं की है। तथापि, कंपनी ने तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.17 करोड़ रुपए की निवल लेखांकन हानि और 2.16 करोड़ रुपए की नकदी हानि वहन की है।”

कृते जेएसवीपी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003435एन)

हस्ता./-

(सीए राज कुमार मेहरा)

साझेदार

सदस्यता सं. 501305

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) दूरभाष नं.:0191-2479531; ई-मेल आईडी:cscvpp@gmail.com
सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

प्रतिनिधि फॉर्म - एमजीटी 11

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

सदस्य (सदस्यों) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आईडी:	

मैं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के _____ इक्विटी शेयरों का सदस्य होने के नाते, एतद्वारा निम्नलिखित को

1. नाम:
2. पता:
3. हस्ताक्षर:

सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स जम्मू -180012 (जम्मू और कश्मीर) में शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होने वाली कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में मुझे/हमें और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और यथा इंगित ऐसे संकल्पों के संबंध में तत्संबंधी किसी स्थान पर मत देने (मतदान में) के लिए नियुक्त करता हूं।

साधारण कार्य के लिए संकल्प

- | | |
|---|---|
| 1 | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ को प्राप्त करने, विचार करने और अंगीकृत करना। |
|---|---|

2	वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना।
---	--

..... सितम्बर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए। .

1/- रुपए का रसीदी
टिकट लगाए

सदस्य के हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:

1. प्रतिनिधि का यह फार्म प्रभावी होने के लिए विधिवत भरा हुआ होना चाहिए और कंपनी की बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।
2. अपनी प्राथमिकता को इंगित करना वैकल्पिक है। आपका प्रतिनिधि उस तरीके से मतदान करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे।
3. प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेने से नहीं रोकेगी, यदि वह इसका इच्छुक है तो।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) दूरभाष नं.:0191-2479531; ई-मेल आईडी:cscvpp@gmail.com
सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

उपस्थिति पर्ची

शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को आयोजित 11वीं वार्षिक आम बैठक।

शेयरधार(कों) का नाम और पता	
शेयरों की संख्या	

मैं एतद्वारा सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) में शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को प्रातः 11 बजे आयोजित कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया उपस्थिति पर्ची भरें।

सीवीपीपीएल का रूट मानचित्र :

